1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 11] पंचम् विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का 23 वां दिवस [संख्या 18

मंगलवार

30 मार्च, 1976

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(खनिज, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, समाज कल्याण, विद्युत्, गृह, चिकित्सा, श्रम, सैनिक कल्याण एवं जन स्वास्थ्य-विभाग)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न। श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

पलाना कोयला खान

488. **श्री जनार्दनसिंह गहलोत** (गांधी नगर, जयपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पलाना कोयला खान सरकार ने कब अपने अधिकार में ली ? पहले किस प्रकार कोयला निकाला जाता था और उस कोयले का क्या उपयोग किया जाता था ? उस समय उत्पादन कितना था और खपत क्या थी ?

(2) इस कोयला खान के विस्तार, विकास और उत्पादन पद्धति में सुधार करने के लिए अथवा खर्च में कमी के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की कब-कब कौन-कौन सी समितियां बनाई गई ? उन समितियों ने कब कब अपनी रिपोर्ट दी ?

(3) उक्त रिपोर्टों मे की गई सिफारिशों में से राज्य सरकार ने किन-किन को कब-कब स्वीकार किया ? उनके अनुसार कार्य करने के परिणाम क्या रहे ?

(4) इस योजना पर अब तक प्रति वर्ष आय-व्यय मदवार क्या-क्या हुआ तथा लाभ व हानि की क्या स्थिति रही ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री जुझारसिंह): (1) पलाना कोयला खान सन् 1949 में राज्य सरकार ने अपने अधिकार में ली। कोयले का खनन कार्य बोर्ड एवम् पिल्लर तरीके से अण्डर ग्राउण्ड माईनिंग द्वारा किया जा रहा था उस समय इस कोयले

Page No 2

(2)

(श्री जुझारसिंह)

का उपयोग बीकानेर पावर हाउस तथा गंगानगर पावर हाउस में किया जाता था। सन् 1948 व सन् 1949 मे उत्पादन क्रमश: 62,500 तथा 72,500 टन था। खपत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (सूरतगढ़): कितना उत्पादन था ?

श्री जुझारसिंह: 48 में 62,500 टन तथा 1949 में 72,500 टन।

(2) इस कोयला खान के विस्तार, विकास और उत्पादन पद्धति में सुधार करने के लिए सन् 1958 में भारत सरकार द्वारा ए. बी. गुहा, कोल माईनिंग सलाहकार भारत सरकार खान एवं ईंधन विभाग (ईस्पात खान एवं ईंधन मंत्रालय नई दिल्ली) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति से रिपोर्ट सन् 1959 में प्राप्त हुई।

(3) राज्य सरकार ने समिति की रिपोर्ट पर कार्यवाही करने हेतु अपनी स्वीकृति दिनांक 13–7–60 को दी थी। इसके अनुसरण में जनवरी सन् 1962 में पलाना लिगनाईट माईनिंग बोर्ड का गठन किया गया तथा श्री एच. के. घोष को चीफ माईनिंग इंजीनियर, पलाना लिगनाईट माईनिंग बोर्ड के पद पर नियुक्त किया गया। परन्तु बाद में धनाभाव के कारण बोर्ड विगठित कर दिया गया।

(4) ब्योरा संलग्न सूची में अंकित है।

(कृपया सूची के लिए परिशिष्ट 1 देखिये)

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्नकर्ता।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पलाना लिगनाईट के लिए कितनी राशि का प्रावधान रखा गया था और उसके उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया था ?

श्री जुझारसिंह: यह आंकड़े प्राप्त नहीं हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना टाइम पर तो यह खान बन्द हो गई थी लेकिन फिर भी अभी आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कोई प्रावधान रखा था।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत: उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इसका एक करोड़ टन का लक्ष्य रखा गया। 1800 टन प्रति दिन की योजना थी। इस योजना के बारे में मुझे अच्छी तरह से याद है, उपाध्यक्ष महोदय, सोवियत रशिया से लिगनाईट खान चलाने के लिए सलाह मांगी गई थी और उस पर सोवियत एक्सपर्ट्स ने सन् 65 में एक रिपोर्ट दी। इसके सम्बन्ध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उन्होंने और उसके ऊपर रशियन गवर्नमेंट ने यह कहा था कि सो के. बी. का पावर स्टेशन 21 वर्ष तक चलाया जा सकता है। आपके एक्सपर्ट्स की भी यह मान्यता है कि इसमें जो मिनरल और कोल्स हैं उससे 25 वर्ष तक थरमल पावर स्टेशन लगाया जा सकता है मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इतना बड़ा बीकानेर जिले में प्रोजेक्ट है और

Page No 3

(3)

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

बीकानेर जिला औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है, वहां पर इतना बड़ा थरमल पावर प्लान्ट लग जाये तो काफी विकास हो सकता है। मैं राज्य सरकार से जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अब तक क्यों नहीं की ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : मेरा ऐसा....

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : मेरा एक प्रश्न है।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे सुन लीजिए। मेरा ऐसा ख्याल है कि माननीय सदस्य को उसकी पृष्ठभूमि का अन्दाजा नहीं है जिसके कारण इसको बन्द करना पड़ा। यह अन्डर ग्राउण्ड माईन्स थी और आल मोस्ट अन्दर वर्क करना मुश्किल हो गया था क्योंकि लिगनाईट जल्दी इन्फ्लेमेबल थी और आग लग जाया करती थी। आज के समय में और उस समय के अन्दर बहुत बड़ा फर्क आ गया है। आज ईंधन की कमी के कारण से ऊर्जा के लिए कई दूसरी चीजों का उपयोग हो सकता है किन्तु वह जमाना ऐसा था जिसमें सिवाय ईंटों के भट्टों के लिगनाईट और किसी काम में नहीं आ सकता था। इसको थोड़ा सा भी समय पड़ा रहने दें तो आग लग जाएगी। उसके बाद में अकस्मात माईन में आग लग गई जिससे बन्द करनी पड़ी। जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी है चाहे युगोस्लाविया ने रिपोर्ट दी हो और रशिया ने दी हो, वहां प्रोजेक्ट चलाना सम्भव नहीं है। यह ठीक है कि उस समय यह थरमल पावर सस्ती हो सकती थी लेकिन आज लाभप्रद नहीं है।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : आपने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि 48 में 62 हजार टन और 49 में 72 हजार टन लिगनाईट मिलता था। यह भी स्वीकार किया है कि इस माईन से बीकानेर के और गंगानगर के थरमल पावर स्टेशन चलते रहे हैं। यह भी तथ्य है कि लगातार जितनी भी नहरों को पक्का करने के काम थे वे सारे इसी भट्टे से चलते थे। तब तो यह अनइकोनोमिकल नहीं था, जल्दी जलने वाला नहीं था, उसके बाद यह खुद जलने वाला कैसे बन गया।

श्री हरिदेव जोशी : यह क्वालिटी डेटरियोरेट होने से हो गया होगा। सवाल यह है बीकानेर स्टेट के जमाने में बीकानेर के अन्दर केवल थरमल पावर प्लाण्ट था मगर उसके बाद हाईड्रो इलेक्ट्रिक पावर आ गयी and hydro power is more cheaper than that बीकानेर में हाइड्रो पावर पहुंचने से थरमल पावर बन्द कर देनी पड़ी।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : इसके अनेक उपयोग हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक सवाल है। यह आप अनइकोनोमिकल किस आधार पर मानते हैं ? क्या आपके पास कोई आंकड़े हैं इसके कि इतना प्रोडक्शन होता है और इतनी कोस्ट आएगी ? कोई आंकड़े हैं ?

Page No 4

(५)

श्री हरिदेव जोशी : अनेक बार इसकी इकोनोमी को वर्क आउट करवा लिया गया है। एक्सपर्ट्स से कराया है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : हम जानना चाहते थे कि वे क्या हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : बैठ कर बात समझ लीजिए।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : जो राज्य सरकार ने आंकड़े दिए हैं प्रश्न के उत्तर में उससे यह स्पष्ट है कि सन् 1962 से 72 हजार टन तक का प्रोडक्शन उसमें होता रहा है तो फिर अनइकोनोमिकल कैसे मान लिया ?

श्री हरिदेव जोशी : पलाना भी एक बहुत बड़ी खान थी जो एक समय बहुत इकोनोमिकल थी और उसमें खूब प्रोडक्शन होता था लेकिन दूसरे दिन पानी भर गया और कई लोग डूब कर मर गए तो खान को बन्द कर देना पड़ा। इसी तरह से जब पलाना खान में आग लग गई तो पलाना को भी बन्द करना पड़ा।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : क्या यह सही है कि युगोस्लाविया और रशियन स्पेशलिस्ट ने यह रिपोर्ट दी है कि वहां जितने ऐसे तत्व हैं जो इसको इन्फ्लेमेबल बनाते हैं वह बहुत कम कास्ट में रिमूव किए जा सकते हैं और दुनिया के बेस्ट लिगनाईट्स में से यह है ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री रावतराम (छापर) : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने यह अंतिम फैसला कर लिया है कि आगे इस पर विचार नहीं किया जावे और कोई कार्यवाही नहीं की जावे ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि रिपोर्ट के अन्दर प्लानिंग कमीशन को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिए राज्य सरकार ने भेजी थी, उसके बाद वापिस परस्यू करने का क्या राज्य सरकार का विचार है और क्या राज्य सरकार का इसको आगे चलाने की कोई योजना है और अगर है तो वह क्या है ?

श्री हरिदेव जोशी : जमाना आगे बढ़ता चला जाता है और हम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। हालत यह है कि यह चीज लिगनाईट यहां पर हो नहीं है बल्कि तमिलनाडु में बहुत बड़े पैमाने पर प्रोड्यूज होता है लेकिन आज तो वह भी इकानोमिकल नहीं है। आज स्थिति उल्टी है क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा कर भी लिगनाईट को ऊर्जा के काम के लिए, जिस चीज के लिए जहां जहां काम में आता है, अगर उसका आल्टरनेटिव रास्ता मिल जाएगा तो वहां जायेंगे। इसलिए हमको समझना चाहिए कि जो चीज बीकानेर स्टेट के जमाने में थी, केवल कोयला दूसरी जगह से लाकर करते तो मंहगा पड़ता इसलिए वहां का थरमल प्लान्ट इकोनोमिकल था लेकिन आज वही कोयला इस मौके पर मंहगा पड़ता है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : क्या यह सही है कि लिग्नाईट का उपयोग केवल फ्यूअल

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
के रूप में ही नहीं है बल्कि अमोनियां गेस, मिला कर फर्टीलाईजर बनेगा तो इसका बीपेस्ट यूज है। क्योंकि दुनिया में आयल कार्ईसिस से नेप्था की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि अगर लिगनाईट बेस्ड और जिप्सम बेस्ड या पायराइट बेस्ड या सुपर फासफेट बेस्ड या फास-फेट बेस्ड या फासफोरस बेस्ड फेक्ट्रियां लगाई जा सकती हैं उस दृष्टिकोण से क्या इसकी उपयोगिता बहुत अधिक नहीं हो गई ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं इससे सहमत नहीं हूं लेकिन आउट आफ डेट हो गया है और जिस तरह से जिप्सम चला गया वह चीज भी चली गई।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री योगेन्द्र-नाथ हांडा।

नगरपालिका रायसिंहनगर को दिया जाने वाला पानी

489. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिंचाई विभाग द्वारा नगर-पालिका रायसिंहनगर को कितना पानी किस किस कार्य के लिये कितने लोगों द्वारा दिया जाता है ? कितना पानी कारखानों के लिये व किस किस कारखाने के लिये, कितना पीने के लिये और कितना बगीचों के लिये एक वर्ष में दिया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही नहीं है कि नहरी पानी का नगरपालिका द्वारा सही उपयोग नहीं किया जा रहा है न किया जाता रहा है और यह पानी सब्जियां लगाने, खेती करने के उपयोग में लाया जाता रहा है और जा रहा है जबकि यह पानी कारखानों के लिये पीने के लिये और बगीचों के लिये दिया जाता है ?

(3) किस किस व्यक्ति या कार-खाने द्वारा नहरी पानी का दुरुपयोग किया गया उस पर कब कितना कितना तावान कायम किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) इस पानी के दुरुपयोग के लिये नगरपालिका के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या यह सही है कि श्री निहाल चन्द और राजस्थान काटन और जिनिंग फैक्टरी पिछले अनेकों वर्षों से नहरी पानी से नगरपालिका क्षेत्र में अनेकों वर्षों से काश्त कर रहे हैं ? यदि हां, तो उन पर कितना तावान कायम किया गया ?

सिंचाई मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) सिंचाई विभाग द्वारा नगरपालिका रायसिंहनगर को केवल एक ही मोगा 28 पी.एस. बी. से 24 घन्टे की बारी प्रति सप्ताह सार्वजनिक कार्यों जैसे बगीचे, पार्क और पशुओं के पीने के लिये जोहड़ के लिये दिया जाता है। यह पानी नियमानुसार निर्धारित दरों पर राजस्थान सिंचाई अधिनियम के नियम 15 के अन्तर्गत दिया जाता है

Page No 6

(6)

(श्री हीरालाल देवपुरा)
रायसिंहनगर में पीने के पानी के लिये अलग से जलप्रदाय विभाग को एक मोगा दिया हुआ है जिसका डिस्चार्ज 1,25 क्यूसेक है। कारखाने व बगीचों को पानी दिये जाने की सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है परन्तु फिर भी आवश्यक जांच करवाई जा रही है।

(3) ऐसी कोई सूचना नहीं है। तावान का प्रश्न नहीं उठता है।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

(5) जी नहीं। केवल अपनी वारी में से बचे पानी के द्वारा कुछ क्षेत्र में बाड़ी लगाते हैं। इन्हें दिये जाने वाले पानी के औद्योगिक दर पर चार्जेज कायम किये जाते हैं जो कि किसी भी सिंचाई दर से कहीं अधिक हैं। तावान की कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(कृपया सूची के लिये परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जब आपने यह बताया कि दूसरा आउटलेट वाटर वर्क्स का सेन्क्शन हो चुका है तब फिर वह उसमें से जो कि पहले का है, पानी सब्जी वगैरह के लिये क्यों दे रहा है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : क्या कहा, समझ में नहीं आया, क्वेश्चन क्या था ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मेरे कहने का मतलब यह है कि पानी किस-किस उपयोग में आता है और आठ घंटे पानी क्यों दिया जा रहा है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : उद्योगों के लिये जो पानी दिया जाता है, वह पुराने नियमों के अनुसार सिंचाई विभाग से दिया जा रहा है। वाटर वर्क्स का मोगा कोई चालू है या नहीं इससे मेरा सम्बन्ध नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपने यह तो स्वीकार किया है कि कारखाने वाले इस पानी को सब्जी लगाने के लिये काम में ले रहे हैं। क्या यह प्रिविलेज आप हर एक किसान को देते हैं या एक कारखानेदार को ही दे रहे हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह तो जिस हिसाब से टंकी बना रखी है, उससे उनको पानी मिलता है, अगर पानी उनके पास बच जाता है तो उसको दूसरे काम में लेते हैं। लेकिन विभाग का कोई पानी का नुकसान हो रहा हो ऐसी बात नहीं है।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : प्रश्न एक दो बीघा का नहीं है, आप दस बीघा में कलेक्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपने निहालचन्द को पांच बीघा में भी स्वीकृत नहीं किया। वास्तव में अगर उस कारखाने में कम जरूरत है पानी की तो आप इसकी जांच करके पानी कम देने की कोशिश करिये। उसको आपने तीन घंटा स्वीकृत किया है।

श्री हीरालाल देवपुरा : उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। निहालचन्द को तीन घंटे की जानकारी आपने दी है। उस कारखाने में अगर दूसरे काम में पानी

(श्री हीरालाल देवपुरा)

लाया जा रहा है तो इसकी जांच करवाई जायेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : निहालचन्द को आपने तीन घंटे स्वीकृत किया है और उसके वहां बुलडोजर चलवाये गये और उसको हटाया गया था।

श्री हीरालाल देवपुरा : वह तो कारखाने के लिये किया गया है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह कारखाना नहीं है जिसको आपने बुलडोजर से रिमूव किया है, उसको आपने तीन घंटे के लिये किस आधार पर स्वीकृत किया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : आप कह रहे हैं कि कारखाना नहीं है, यह मेरे पास सूचना नहीं है, अगर कारखाना नहीं है तो जो कार्यवाही करनी है वह करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जिस तरह से आपने उनको सेंक्शन किया है उस तरह से आपने इनको भी आथोराइज किया है क्या ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने कहा, अगर कारखाना नहीं है तो मैं इसके लिये जांच करवाकर कार्यवाही करूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 490

श्री शंकरलाल, (पाली)।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री हरिकिशन।

राजकीय माध्यमिक कन्या विद्यालय, राजगढ़

491. **श्री हरिकिशन (राजगढ़):** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि राजकीय माध्यमिक कन्या विद्यालय राजगढ़ (अलवर) एक पुरानी हवेली में चल रहा है जहां केवल कक्षाओं को लगाने के लिये छोटे खुले तिबारे हैं जिनमें सीधी धूप व बरसात व ठण्डी हवा आती है ? यदि हां, तो क्या सरकार भवन की व्यवस्था को हल करने हेतु शाला भवन बनाने को तैयार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सत्य है कि राजगढ़ तहसील अलवर में आदिवासी लोगों की जनसंख्या बहुत है और इस क्षेत्र में केवल एक माध्यमिक कन्या विद्यालय है जहां बाहर से कन्याएं पढ़ने आती हैं जिनको रहने के लिये छात्रावास नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार यहां कन्या छात्रावास बनाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सत्य है कि वर्तमान प्रगतिशील युग में छात्राओं के लिये क्रीड़ा के विकास के लिये अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है लेकिन इस कन्या माध्यमिक विद्यालय के लिये क्रीडा स्थल नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपयुक्त स्थान पर भूमि अवाप्त करके क्रीडा स्थल की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री फारुक हसन): (1) जी हां। नये भवन की व्यवस्था जन सहयोग से ही संभव है।

Page No 8

8

(श्री फारुक हसन)

(2) जी हां। अभी कोई विचार नहीं है।

(3) जी हां। शहरी क्षेत्रों में प्राय: क्रीड़ा स्थलों का अभाव है। सरकार इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करेगी।

श्री हरिकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, राजकीय माध्यमिक कन्या विद्यालय राजगढ़ एक पुरानी इमारत में चल रहा है और कभी भी भारी वर्षा से गिर सकता है जिससे बच्चों को नुकसान हो सकता है। क्या सरकार इसके लिये तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझती है? दूसरा यह कि सरकार कब तक निर्णय लेने का विचार रखती है?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष माननीय वित्त मन्त्रीजी ने कृपा पूर्वक कुछ फण्ड्स दिये हैं उसमें से मैं प्रयास करूंगा, कुछ आपके इस स्कूल की रिपेयर के लिये भी दूंगा। लेकिन आप भी जन सहयोग के लिये कोशिश करें जिससे ठीक तरीके से बिल्डिंग बनाई जा सके।

श्री हरिकिशन : मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन वहां पर टाउन एरिया है आप शहरों में तो करवा देते हो और जन सहयोग नहीं लेते हो, वहां पर यह शर्त क्यों लगाते हो।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री हनुमान सहाय व्यास।

राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति

492. श्री हनुमानसहाय व्यास (बैराठ): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि तीन वर्ष से अधिक कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी भी विभाग में प्रतिनियुक्ति पर नहीं रहेगा?

(2) राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम जयपुर में कितने अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं और उनके तीन वर्ष पूरे हो रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य सरकार द्वारा जिन्हें तीन वर्ष पूरे हो रहे हैं या हो गये हैं को प्रतिनियुक्ति पर से निगम से वापस भेजने की क्या कार्यवाही की जा रही है?

(4) क्या यह भी सही है कि इस निगम में सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारी अतिरिक्त परियोजना सलाहकार भी कार्य कर रहे हैं जिनके कारण भरतपुर के सड़क निर्माण कार्य में करीब एक लाख रुपये का घाटा हुआ?

(5) क्या ऐसे अधिकारी की अभी भी कार्यकाल बढ़ाने की सिफारिश की जा रही है जबकि उसके तीन वर्ष मई में पूर्ण हो रहे हैं।

(6) क्या यह सही है कि उनका निर्माण विभाग में अच्छा कार्य नहीं था इस कारण उन्हें पदोन्नत नहीं किया जा सका एवं वहां से अधिक वेतन के पद पर प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया है?

राज्य मन्त्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी हां।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

(3) दो अधिकारियों की प्रति नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर उन्हें वापिस भेजा जा रहा है। शेष दो मामलों पर वर्तमान प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(4) जी नहीं।

(5) इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(6) विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री हनुमान सहाय व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जो लिस्ट मुझे दी गई है उसमें सभी प्रकार के कर्मचारी एल. डी. सी., यू. डी. सी. टाइपिस्ट, स्टेनो टाइपिस्ट और 60 के करीब हैं जो कि डेपुटेशन पर हैं, इनको निगम स्थाई क्यों नहीं कर रहा है या फिर दूसरे रिक्रूटमेंट करके क्यों नहीं रखता है ? जब डेपूटेशन के लोग वापिस डिपार्टमेन्ट में जाते हैं तो जो लोग उनकी जगह ले लिये गये हैं उनको रिवर्ट करना पड़ता है या उनको सेवायें समाप्त कर दी जाती हैं। इसलिए निगम क्यों नहीं अपने आदमियों को रिक्रूट करता है।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जिन पर डेपुटेशन से लिया जाना ठीक होता है, कुछ टेक्निकल पोस्टें इसी प्रकार की होती हैं उन पर डेपुटेशन से आदमी लेने पड़ते हैं। गवर्नमेन्ट में तो एक आदमी ठीक नहीं हुआ तो वह वहां खप सकता है क्योंकि वहां तो समुद्र है। लेकिन कारपोरेशन में जहां एक ही पोस्ट है, वहां अगर वह ठीक नहीं हुआ तो हमेशा के लिये काम बिगड़ जाता है इसलिये कुछ जगहों पर डेपुटेशन पर ही आदमी रखने पड़ते हैं तभी काम ठीक चल सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : नेस्ट! श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत !

गाडुलिया लुहारों को बसाने की योजना

493. श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़ गढ़) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गाडोलिया लुहार जो घुम्मक्कड जन जाति की श्रेणी में आते हैं, को राज्य सरकार द्वारा बसाने की क्या योजना थी और चित्तौड़गढ़ में कितने गाडोलियों को बसाया गया ?

(2) इस योजना के तहत कितने गाडोलियों को कितनी कितनी कृषि भूमि आवंटित की गयी कृपया व्यक्ति का नाम, भूमि की मात्रा तथा किस गांव में वह स्थित है की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या चित्तौड़ नगर में गाडोलियों को आवासीय भूखण्ड भी दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या वे उन भूखण्डों पर बस गये हैं या उन भूखण्डों को बेच कर चले गये हैं ?

राज्य मन्त्री, समाज कल्याण (श्रीमती कमला) : (1) गाड़िया लोहार घुमक्कड़ जाति की श्रेणी में आते हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति के गृह विहीन परिवारों

(श्रीमती कमला)

की भांति गाड़िया लोहारों को भी गृह निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत कर बसाने की थी। तदनुसार चित्तौड़ गढ़ में 28 गाड़िया लोहारों को बसाया गया।

(2) इस योजना के तहत 8 गाड़िया लोहारों को 103–1/2 बीघा कृषि भूमि का आवंटन किया गया। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। चित्तौडगढ नगर में 28 गाड़िया लोहारों को आवासीय भूखण्ड दिये गये थे। आवंटित भूखण्डों पर थोड़े समय रहने के पश्चात् शनै: शनै: चले गये। इनमें से 24 प्लाट बिक गये हैं और चार की कार्यवाही चल रही है।

(कृपया सूची के लिये परिशिष्ट 3 देखिये)

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहती थी कि गाड़ोलिया लोहारों को बसाने के लिए एक शैक्षणिक संस्था गाडोलिया छात्रावास के नाम की कोई संस्था चलती है मैं यह भी पूछना चाहती हूं कि इस छात्रावास में कितने गाडोलिया हैं? क्या आप इनकी संख्या बता सकती हैं?

श्रीमती कमला : यह बिलकुल जुदा और अलग प्रश्न है। माननीय सदस्या इस प्रश्न को अलग से पूछ लें।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : इन गाड़ोलियों को बसाने के लिए जो जो राज्य सरकार ने कदम उठाये हैं उनके अन्तर्गत ही यह प्रश्न आता है। उनको बसाने के लिए और उनके लड़कों को पढ़ाने के लिए ही यह छात्रावास बनाया गया था तो मैं यह जानना चाहती हूं कि इस छात्रावास में कितने गाड़ोलिया लड़के हैं और उनकी संख्या कितनी है?

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं निवेदन कर चुकी हूं छात्रावास में कितने बच्चे हैं और उनको वहां पर कैसे रखा जा रहा है, यह जुदा प्रश्न है और गाड़ोलिया लुहार को बसाने के लिए राज्य सरकार ने क्या क्या किया और वर्तमान में क्या स्थिति है, यह अलग से प्रश्न है जिसका मैं जवाब दे चुकी हूं।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : छात्रावास की सूचना आप नहीं दे सकतीं तो जाने दीजिये। जैसा कि आपने बताया है 103 बीघा भूमि गाड़ोलियाओं को आवंटित की गयी है क्या वहां पर गाडोलिया लुहार खेती करते हैं?

श्रीमती कमला : मैंने पहले ही स्वीकार किया है कि गाड़ोलिया लुहार वहां से चले गये है और वे वहां पर नहीं बसे हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया से मैं यह पूछना चाहूंगा और जैसा कि उन्होंने कहा है 70 परिवारों को वहां पर बसाने की योजना थी, उनके लिए मकान बनाये गये। वे वहां बसे और उन मकानों को नीलाम कर दिया तो क्या राज्य सरकार का यह कदम उचित था और क्या राज्य सरकार इनको नीलाम न करके अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को आवंटित नहीं कर सकती थी?

श्रीमती कमला : राज्य सरकार ने इनको नीलाम करना इसलिए उचित समझा कि गाडोलिया लुहार इस स्थान पर नहीं बसे, वे चले गये और जो मकान थे वे टूटने फूटने लगे थे। वहां पर कोई बसने वाला नहीं था इसलिए नीलाम कर दिये गये।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : क्या यह सही है कि उन मकानों को कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं था इसलिए नीलाम कर दिये और जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है दूसरी जातियों के सदस्यों को क्यों नहीं दिये गये ?

श्रीमती कमला : इस जाति में से जिनको बसाया जा रहा था उन्होंने वहां पर बसना स्वीकार नहीं किया और इस जाति के अन्य लोगों ने भी लेने से इन्कार कर दिया तो इनको नीलाम कर दिया गया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या अनुसूचित जाति के अन्य लोगों को देने का आपने प्रयत्न किया है ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : एक प्रश्न समझ लीजिये। एक स्कीम बनायी गयी थी। इस स्कीम के तहत इन गाडोलिया परिवारों को बसाने का तय किया गया था भावनावश यह एक स्कीम बनायी गयी थी। एक्सपेरिमेन्ट से ऐसा लगा कि वह एक भावना थी और ठीक से उनको नहीं लगी और फिर उनको बसाने की योजना को एबन्डन कर दिया और इन मकानों को नीलाम कर दिया गया।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय मैं यह पूछना चाहती हूं इनको बसाने के पीछे कौनसी भावना थी ? हरेक आदमी एक निश्चित स्थान पर रहना पसन्द करता है फिर कौनसी भावना के कारण वे वहां पर नहीं बसे ? क्या राज्य सरकार ने इसके बारे में अनुसन्धान किया है कि गाडोलिया लुहार क्यों नहीं बसना चाहते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : काफी काम किया है। उस समय तक आपको कोई अन्दाज भी नहीं होगा। इनके लीडर्स ने यह कहा था कि वे एक जगह पर बसना चाहते हैं मगर वे एक जगह पर इसलिए नहीं बस सकते कि जो रोजगार इनको घूमते रहने में मिल सकता है वह एक जगह बसने पर नहीं मिलता है। यह एक इकोनोमिक फैक्टर है जिसको उस समय भावनावश नहीं समझा गया। सब से बड़ा फेक्टर यही है कि उनको एक जगह बसाने पर वह रोजगार, मजदूरी नहीं मिलती है जो उनको घूमते रहने से मिलती है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उनको रोजगार देने के लिए कोई प्रोविजन नहीं किया गया था ? क्या कोई साधन मुहैय्या नहीं किये गये थे इस बात के लिए ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां काफी किये गये थे।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु (करणपुर) : उससे पहले इनको हनुमानगढ़ में भी आबाद करने का ऐलान किया गया था और वे वहां पर जमीन लेना चाहते थे। और क्या यह सही है कि गवर्नमेन्ट ने उनको नहीं दी ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं इतना निश्चित रूप से जानता हूं कि कई जगह मकान वगैरह इनके रहने के लिए बनाये गये थे मगर वे लोग इन स्थानों पर थोड़े दिन रहे और बाद में छोड़कर चले गये। सोजत में भी ऐसे मकानात बनाये गये थे। अनुभव ने यह बतलाया है कि एक जगह बसने से उनको रोजगार नहीं मिलेगा और वे भूखे मरने लग जाएंगे।

श्री गुरदयालसिंह संधु : क्या राज्य सरकार इस बात की जानकारी करेगी कि उनको भूखण्ड देकर, भाखड़ा क्षेत्र में बसने का सरकार ने ऐलान किया था ? तो क्या राज्य राज्य सरकार भूखंड देगी ?

श्री हरिदेव जोशी : मालूम किया जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मुख्य मंत्री महोदय ने यह बताया है कि भावनावश एक एक्सपेरिमेन्ट किया गया था और उस एक्सपेरिमेन्ट से यह एक्सपेरियन्स हुआ कि वे नहीं बस सकते ? तो इस एक्सपेरिमेन्ट पर राज्य सरकार का कितना व्यय हुआ और जैसा कि प्रश्नकर्ता ने यह पूछा है कि राज्य सरकार की ओर से इसके लिए क्या एफर्ट्स किये गये हैं साइन्सटिफिक तरीके से ? कोई इस तरीके के एफर्ट्स किये गये हैं तो उनकी जानकारी दी जाये। तीसरा प्रश्न यह करना चाहता हूं वे मकान छोड़ कर चले गये, वसे नहीं तो उनके मकान को सरकार ने नीलाम कर दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन मकानों को नीलाम करने के बजाय क्या राज्य सरकार इन मकानों को शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों को नहीं दे सकती थी ?

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन यह करना है कि घुमक्कड़ जाति को बसाया जाये और वह उस स्थान को छोड़ कर चली जाये तो क्या राज्य सरकार की ओर से इस प्रकार की सुविधाएं उन लोगों को दी गयी थीं या नहीं ? मेरा अनुभव यह है कि अगर किसी को एक स्थान पर सारी सुविधाएं दे दी जावें तो वह व्यक्ति उस स्थान को छोड़ कर नहीं जा सकता। क्या राज्य सरकार की ओर से इन घुमक्कड़ जाति के लोग जो कि जंगली जाति हैं, उनको सब प्रकार की सुविधाएं नहीं दी गयी हैं ?

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : मेरा प्रश्न यह है कि इन लोगों ने फिर से जमीन मांगी है तो क्या राज्य सरकार फिर से इन लोगों को जमीन देगी या नहीं ?

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : मैं मुख्य मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इन लोगों ने भाखड़ा और राजस्थान कैनाल पर वसने के लिए जमीन मांगी थी और उनके फार्मस को अस्वीकार कर दिया गया है ? क्या यह सही है ?

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, एक शुरुआत इस बात से हुई थी कि गाड़ोलिया लुहार चित्तौड़ से निकले हैं और वे चित्तौड़ प्रवेश नहीं करते हैं, एक प्रकार की उनकी यह शपथ थी। इस तरह से एक सम्मेलन करके उनकी यह शपथ तुड़वाई गई और उन सबको चित्तौड़ मे इकट्ठा

(श्री हरिदेव जोशी)

किया गया था और फिर भावनावश यह सोचा गया कि इनको किस तरह से एक जगह इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेन्ट आफ इंडिया और राजस्थान सरकार ने मिल कर एक स्कीम बनायी जिसमें उनके बच्चों को पढ़ाने, उनको वर्कशाप के अन्दर ट्रेनिंग देने, सेंटर वर्कशाप की फेसिलिटीज उनको देने और उनको एक जगह बसाने की यह स्कीम थी। यह अच्छी चीज थी। माननीय सदस्य यह कहते हैं कि उनको काफी अच्छी सुविधाएं दे दी जातीं तो वे कभी भी छोड़ कर नहीं जाते। इससे मैं सहमत नहीं हूं। मैंने भी इन लोगों के अन्दर काम किया है। आप चाहे कितना ही अच्छा इनवायर्नमेन्ट दे दें, जिसकी जंगल में रहने की आदत है वह वह जंगल में ही रहेगा, वह कभी भी शहर में या बस्ती में रहना पसन्द नहीं करेगा। उनके लिए जो शैक्षणिक, सामाजिक एनवायर्नमेन्ट बनाया गया था, उसको उन्होंने पसन्द नहीं किया और उन्होंने अपनी पुरानी सामाजिक पद्धति को ही पसन्द किया। माननीय सदस्या, निर्मला जी ने खोद खोद कर यह जानना चाहा कि चित्तौड़ का जो गाड़ोलिया होस्टल है, उस होस्टल में गाड़ोलिया लुहार के बच्चे कितने हैं? माननीय मंत्री महोदय को इसकी जानकारी नहीं थी परन्तु मैं बता देना चाहता हूं कि आज वहां पर भीलों के बच्चे ज्यादा हैं गाड़ोलिया लुहारों के बच्चे कम हैं। क्योंकि गाड़ोलिया लुहारो के बच्चे उतनी सख्या में नहीं आ सके और यह छात्रावास काफी बड़ा बनाया गया है इसलिए आदिवासियों के बच्चों को इनके अन्दर जगह दी गयी है। तो आज इतनी सुविधाएं, इतनी स्कालरशीप देने के बाद भी ये लोग नहीं आ रहे हैं। मैं इनके बीच गया हूं। सोजत के अन्दर सड़क के किनारे इनके लिए मकान बने हुए थे। उन मकानों को आप देखें, सारे मकान बना कर रख दिये गये परन्तु आज खाली पड़े हैं। तो जो उनकी सोशल कन्डीशन्स हैं, इनवायर्नमेन्ट है वह इनको सूट नहीं करता। इसलिए गाड़ोलिया लुहार वहां से निकल गये।

श्रीमती निर्मला कुमारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगी...

श्री उपाध्यक्ष I have closed it Next.

श्रीमती निर्मला कुमारी : मैं एक निवेदन करना चाहती हूं .....

श्री उपाध्यक्ष : I would not allow you now. प्रश्न संख्या 494, श्री अजीत सिंह !

राज्य के प्रत्येक जिले में पोस्ट ग्रेजुएट कालेज

494. **श्री अजीतसिंह** (टोंक) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक पोस्ट ग्रेजुएट कालेज खोलने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना के अनुसार टोंक में भी एक पोस्ट ग्रेजुएट कालेज खोला जायेगा और उसमें उर्दू विषय भी पढ़ाया जावेगा ? यदि हां, तो कालेज कब तक खोल दिया जावेगा ?

राज्य मंत्री शिक्षा, (श्री फारुक हसन): (1) जी नहीं।

Page No 14

(१५)

(श्री फारुक हसन)

(2) अभी ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री प्रजीतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्रीजी ने यह कहा था कि हरेक जिले में पोस्ट-ग्रेजुएट कालेज खोला जायेगा। इसके साथ ही मैं यह भी जानकारी करना चाहूंगा कि सरकार की इस नीति को क्यों बदला जा रहा है? दूसरा प्रश्न यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि टोंक में अकेडेमी खोली जा रही है जबकि पोस्ट-ग्रेजुएट कक्षाएं वहां पर नहीं होंगी तो यह कैसे होगा? यह प्रोत्साहन दे रहे हैं तो वहां पर कक्षायें चालू करना बहुत आवश्यक है। इसकी आवश्यकता महसूस क्यों नहीं करते? जो वायदा किया था पहले उसको पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं?

शिक्षा मंत्री (श्री खेत सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन और मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन, गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया, दोनों की राय यह रही है कि हायर एजूकेशन में थोड़ी लिमिटेशन रखनी पड़ेगी। जो टेलेन्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा हायर एजूकेशन में मौका देना चाहिए। इसमें देखा होगा, गवर्नमेंट आफ इण्डिया की नई नीति निकली है, टेन प्लस टू प्लस थ्री योजना के तौर पर व्यावसायीकरण एजूकेशन में लाया जा रहा है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : क्या शिक्षा मंत्री इस किस्म के आंकड़े देने के लिए तैयार हैं कि वहां पर अगर इस किस्म का पोस्ट ग्रेजुएट कालेज खोला जाय तो उसमें टेलेन्टेड लड़के उपलब्ध नहीं होंगे? क्या आपको यह जानकारी है कि टोंक में तालीम का बहुत ज्यादा शौक है? वहां पर खास तौर पर बी.एड. तालीम पाये हुए लड़के-लड़कियां मौजूद हैं—क्या यह जानकारी है?

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जैसा फर्माया कि व्यावसायीकरण की तरफ एजुकेशन जा रही है। यह अलग बात है, इसमें तीन वर्ष लगेंगे। आज डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर पोस्ट ग्रेजुएट कालेज नहीं है जब कि वहां से कितने ही ग्रेजुएट निकलते हैं। तो इसका यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन और मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन से ताल्लुक नहीं है। राज्य सरकार को योजना बनानी चाहिए। राज्य सरकार महसूस इस बात को करे, क्योंकि इस सदन में इस चीज को मंजूर कर रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट कालेज खोलने जा रहे हैं और क्रमोन्नत करने जा रहे हैं। तो मंत्री महोदय यह बतलायें कि किन सरकमस्टान्सेज में इस स्कीम को ड्राप किया है और किस प्रकार से इसको पूरा करेंगे। यह फण्डामेंटल चीज है, आप 28 साल में भी पोस्ट ग्रेजुएट कालेज नहीं खोल पाये हैं। आप जोब ओरियन्टेड एजूकेशन की बात करना चाहते हैं तो वह तो तीन साल में हो पायेगा। उससे पहले इस साल कुछ भी नहीं करने वाले हैं। यह कब तक होगा रहेगा कि जो विकास होना चाहिए वह न हो।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : सप्लीमेंट्री का कहा था।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : पिछले सत्र में बजट में यह प्रावधान रखा गया था कि पोस्ट-ग्रेजुएट कालेज खोले जायेंगे—क्या यह सही है? इस प्रकार का प्रावधान मंत्री

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)
महोदय ने बिना सोचे समझे को रख दिया जब कि यह मालूम था, यूनिवर्सिटी · ·

श्री उपाध्यक्ष : आपका क्वेश्चन आ गया।

श्री मूलचन्द सांखरिया : कुछ स्थान ऐसे हैं जो जिला मुख्यालय नहीं हैं, लेकिन जिला मुख्यालय से वह कम भी नहीं है। वह स्टूडेंट्स की संख्या, लाइब्रेरी आदि फेसेलिटी को देखते हुए जिला मुख्यालय से वरीयता पाये तो क्या उस स्थान की आप अवहेलना कर देंगे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसी भी तहसीलें हैं जो जिला से कम नहीं हैं। फिर तो गांव पर आ जायेंगे थोड़े दिन में।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : जैसे दौसा, गंगापुर।

श्री खेतसिंह : मैं इस बात से सहमत हूं, कुछ सब-डिवीजन हैं वह जिला से कम नहीं हैं, कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन जहां तक कालेज का प्रश्न है, मैंने जैसा पहले निवेदन किया, हमको गवर्नमेंट आफ इण्डिया और यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन से बहुत ग्रान्ट मिलती है, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन और मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन, गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की राय को नजरअन्दाज कर दें और मनमानी, जैसा बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य चाहते हैं, वैसा कर लें। हमारी लिमिटेशन्स हैं। मैंने निवेदन किया, हमारा विचार निश्चित तौर पर था कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बड़े कालेज हैं उनको पोस्ट ग्रेजुएट में कन्वर्ट करें। लेकिन यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन और मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन ने सलाह दी कि आपको ज्यादा पोस्ट-ग्रेजुएशन पर जोर नहीं देना चाहिए बल्कि एक स्तर पर, आपको नीचे के स्तर पर शिक्षा पर जोर देना चाहिए। दूसरे, थोड़ा इसके लिए आप हमारी परमिशन लेने के बाद फाइनल करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा (व्यवधान) यह कब कहता हूं। यह इश्यू क्लोज नहीं हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं कि योजना नहीं है। फिलहाल गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की नीति है, उसके अनुसार कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मेरा सवाल गायब हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट!

श्री खेतसिंह : आपने फर्माया कि क्या टोंक के अन्दर टेलेंटेड स्टूडेंट्स की कमी है ? ऐसी बात नहीं है। मैंने यह नहीं कहा कि टोंक में टेलेन्टेड स्टूडेंट्स नहीं हैं। मैंने यह कब कहा कि उर्दू और फारसी के बड़े बड़े विद्वान नहीं हैं। वहां पर लोगों का, मुस्लिम पापूलेशन होने के कारण, उर्दू में ज्यादा शौक है पढ़ने का। यह सब होते हुए मैंने जो परिस्थितियां बताई, उनके कारण से इसको पोस्टपोन कर रखा है। कभी वापिस गवर्नमेन्ट आफ इंडिया या यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन इस पर विचार करेगी तो आगे कार्यवाही को जा सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री झाबरमल सुण्डा !

Page No 16

(16)

बिजली उपभोक्ता और बोर्ड के बीच एग्रीमेंट

495. श्री झाबरमल सुण्डा (फतेहपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उपभोक्ता बिजली व बिजली बोर्ड के बीच विद्युत् कनेक्शन के पहले कोई करार होता है ? यदि हां, तो कृषि बिजली उपभोक्ता के व बोर्ड के बीच होने वाले करार की प्रति सदन की मेज पर रखी जाय।

(2) क्या बोर्ड ने कृषि उपभोक्ता से बिजली खर्च वसूल करने में एग्रीमेंट तोड़ा है ? यदि नहीं तो औसत चार्ज उपभोक्ता से लेने का प्रावधान कानून की कौनसी धारा में निहित है तथा बिजली खर्च वसूल करने के क्या मानक हैं ?

(3) क्या सीकर वृत्त में कृषि उपभोक्ताओं की न्यूनतम चार्ज व सही बिजली उपभोग के अलावा औसत बिजली खर्च के बिल दिये हैं ? फरवरी, 1975 से फरवरी, 1976 के बीच ऐसे कितने उपभोक्ताओं को बिल दिये हैं तथा वह रकम सामूहिक व अलग अलग कितनी है ? किन कारणों से औसत बिल दिये गये हैं ?

(4) क्या बिजली खर्च रिकार्ड करने को कृषि उपभोक्ता को मीटर दिये जाते हैं ? क्या बोर्ड के अधिकारी मीटर की रख-रखाव व टूट-फूट का ध्यान रखते हैं ? यदि हां, तो फिर सीकर वृत्त के कृषि उपभोक्ताओं को औसत बिल देने के क्या कारण हैं ?

विद्युत् मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी हां विद्युत् कनेक्शन लेने हेतु जो प्रार्थना-पत्र कृषि उपभोक्ता द्वारा दिया जाता है वह विद्युत् कनेक्शन के लिए इकरारनामा भी होता है। इकरारनामें की एक प्रति परिशिष्ट 'म' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। औसत चार्ज उपभोक्ताओं से लेने का प्रावधान मण्डल द्वारा प्रसारित "जनरल" कण्डीशन आफ सप्लाई एण्ड स्केल आफ मिसलेनियस चार्जेज की धारा 19 (डी) (7) में निहित है। इसी प्रकार विद्युत सम्बन्धी चोरी के मामले में चार्ज के लिए धारा 29 (सी) (2) में प्रावधान किया हुआ है। विद्युत् खर्च वसूल करने का मानक विद्युत् सम्बन्धी टेरिफ में दिया हुआ है

(3) जी हां। सामूहिक रकम रु. 2075596.36 है।

(4) जी हां। मण्डल बिजली खर्च रिकार्ड करने के लिए मीटर लगता है और उसका मासिक किराया लेता है। मण्डल द्वारा लगाये गये मीटरों का साधारणतः रख रखाव करना मण्डल की जिम्मेदारी है। उपभोक्ताओं द्वारा मीटरों को खराब किया जाना, बिजली की चोरी होना अथवा मीटर की सीलों की तोड़ फोड़ का पता लगाने पर औसत बिजली देना लाजमी हो जाता है।

(कृपया इकरारनामे के लिये परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री झाबरमल सुण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मीटर का जहां तक सवाल है, मीटर के खराब होने के तीन कारण बताये-खराब किया जाना, चोरी होना, सील तोड़ देना। ऐसी स्थिति में औसत बिल कितने अर्से पहले के दिये जायेंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : ग्राम तौर पर पहले तीन महीने का खर्च है उसका ग्रौसत निकाला जाता है। लेकिन जब बिजली की रीडिंग के ग्रन्दर फाल काफी लम्बे ग्रर्से पहले का मालूम होता है ग्रौर डिटेक्ट हो जाता है तो जिस तारीख से वह फाल, वह गिरावट नजर ग्राती है तब से एवरेज चार्जेज लिये जाते हैं।

श्री झाबरमल सूण्डा : जो बाइण्डर होता है, उस बाइण्डर में मीटर रीडर रिमार्क करता है कि ग्राज खराब हो गया है, पहले ठीक था। लेकिन फिर भी पांच साल का एवरेज चार्ज ले रहे हैं। बाइण्डर को स्टेन्डर्ड मानते हुए क्या कोई कार्यवाही हो रहा है ? मेरा निवेदन है कि नहीं हो रही है ग्रौर किसी को ग्राठ हजार का, किसी को दस हजार का, किसी को 45 हजार का बिल दिया जा रहा है। ये 460 बिल हैं, दस गांव में दिये गये हैं, यह 15 लाख के बिल हैं ग्रौर बाकी एक हजार ग्रादमी को 40 लाख के बिल देने को तैयार हैं। क्या बाइण्डर में रिमार्क है, वह सही है ग्रौर यह बिल जायज हैं ? ग्रगर जायज बिल हैं तो फिर इतने बड़े बिल पिछले सालों में क्यों नहीं दिए गये ? दो तीन साल तक क्यों नहीं दिये गये ? क्या यह ग्राडिट के हिसाब से ठीक है ? ग्रब इतने बड़े बिल क्यों दिये जा रहे हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जो बिल का जिक्र किया, ग्रौर पहले भी कई माननीय सदस्यों ने बतलाया था तो मैंने माननीय सदस्यों को बतला दिया था कि ग्रादेश जारी कर दिये हैं कि एवरेज चार्ज के बिल ले रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगता है कि बिल बहुत ज्यादा बना है तो उसकी पूरी जांच करा लें। नीचे के केवल पर बिल बनाये हैं, उनकी सीनियर ग्राफिसर जांच कर लें ग्रौर एवरेज बिल के बारे में कोई एडवर्स कार्यवाही नहीं की जाय। करेन्ट बिल जो महीने का है, वह जमा करा दिया जाय ग्रौर जो एवरेज चार्जेज का बिल ग्राया है उसको सीनियर ग्राफिसर जांच कर लें। मीटर में खराबी बतलायी है या दूसरा कारण हो गया है ग्रौर एवरेज बिल ज्यादा बन गया है तो जांच करके उसको दुरुस्त किया जाय ग्रौर लोगों पर दबाव डाल कर सारा पैसा वसूल नहीं किया जाय। जहां यह साबित होगा कि यह पैसा वसूल होने लायक है तो यह माननीय सदस्य मानेंगे कि वह वसूल किया जाना चाहिए ग्रौर वह वसूल किया जायगा।

श्री झाबरमल सूण्डा : ग्राडिट तो रिकार्ड के हिसाब से होता है, ग्राडिट में जब दर्ज है तो उपभोक्ता पर भी ग्रसर पड़ता है।

श्री हीरालाल देवपुरा : ग्रगर ग्रधिकारी की गलती पाई जायगी तो उस पर भी ग्रसर पड़ेगा।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : जब किसी कारणवश जैसे ग्रकाल हो या ग्रौर कोई कारण हो कुंग्रा न चला हो तो ऐसी हालत में मिनीमम चार्जिज देने होते हैं। जब उसका कुंग्रा चला या नहीं ग्रौर मिनीमम चार्जिज देता है तो क्या उसके बाद भी कुछ साल का एवरेज बिल भेजा जा सकता है ग्रौर भेजा जा रहा है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इन सब बातों की जांच की जाएगी कि वाजिब बनाया गया है या नहीं। आपका कहना वाजिब है कि कुंआ नहीं बना तो बिल नहीं बनना चाहिए। यही तो कारण है जिनकी जांच की जाएगी। उसके बाद वाजिब होगा तो वसूल किया जाएगा। नहीं, तो नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामरघुनाथ चौधरी।

ग्राम पुनास की जल प्रदाय योजना

496. श्री राम रघनाथ चौधरी (डेगाना) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या डेगाना क्षेत्र जिला नागौर, में पुनास ग्राम की जल प्रदाय योजना स्वीकृत की गई है ?

(2) इस योजना में कुल कितने व कौन-कौन से ग्राम सम्मिलित किए गए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना का कार्य कब प्रारंभ कर कब तक समाप्त होने की संभावना है ?

जन स्वास्थ्य, मंत्री (श्री चंदनमल बैद) : (1) जी हां। जल प्रदाय योजना पुनास प्रथम खंड दिनांक 10-3-76 को स्वीकृत की गई है।

(2) योजना के स्वीकृत खंड में ग्राम पूनास, खारियाकला, खारिया खुर्द चौलियास, पालास बिग्नोध्या एवं बाबाबास सम्मिलित किए गए हैं।

(3) उक्त योजना पर इसी वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। साधारणतः जल प्रदाय योजना का कार्य पूरा करने में 2 से 3 वर्ष का समय लग जाता है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : ये जो नाम आपने बताये हैं क्या इस योजना के अंतर्गत यही गांव हैं जो इस साल लिए जा रहे हैं या और भी बहुत से गांव हैं ? क्योंकि इस योजना में करीब 19 गांव थे ?

श्री चंदनमल बैद : नागौर जिला योजना समिति को जितना पैसा एलाट किया गया था उससे ज्यादा उन्होंने योजना भेज दी तो हमने कहा इतनी बड़ी योजना हम नहीं ले सकते तो उन्होंने कहा जितनी योजनायें हैं आप सारी ले लीजिए, उसका थोड़ा हिस्सा भी लेना पड़े तो ले लीजिए लेकिन किसी योजना को छोड़ें नहीं और अगले साल में उनको शुमार किया जाए। तो उन्होंने जो योजनायें भेजी थीं, सारी योजनायें पूरे रूप से न लेकर खंड के रूप में ले लीं। 16 गांवों के लिए उनका प्रस्ताव था उसके बजाय इस साल हमने 6 गांवों को योजना में लिया है। अगले साल अगर नागौर जिला योजना समिति ने उसको बदलकर दूसरा प्रस्ताव नहीं भेजा तो इन 10 गांवों को अगले साल की योजना में ले सकेंगे।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : पूर्ण गांव जिनकी योजना बनी है जो कि तीन चार साल में अलग अलग स्टेजिज में लेने हैं उनके नाम नहीं मिल सके हैं।

श्री चंदनमल बैद : मैं भेज दूंगा इस समय शायद मेरे पास नहीं है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : इस योजना को किस साल के अंत तक पूरा बनाकर समस्त गांवों को पानी मिल सकेगा, व सब पर कितनी लागत आएगी ?

श्री चंदनमल बैद : जैसा मैंने निवेदन किया 8,77,000) रु. की योजना है। इस साल 50 हजार रुपए की राशि खर्च होगी। जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया, योजना को पूरा होने में 3–4 साल लगेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्र बाला।

पंचायत समिति सुल्तानपुर की आर. ई. सी. योजना

497. श्रीमती नगेन्द्र बाला (दीगोद) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कोटा जिले की पंचायत समिति, सुल्तानपुर की आर. ई. सी. स्वीकृत योजना में कुल कितने गांव लिए हैं ? कृपया गांवों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य कब से प्रारंभ होगा और पूर्ण रूप से सभी गांवों में कब तक बिजली उपलब्ध हो जायेगी ?

विद्युत् मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) कोटा जिले की पंचायत समिति सुल्तानपुर की आर. ई. सी. योजना में 65 गांव लिए गए हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1976–77 में योजना के अनुसार 4 वर्षों में योजना में लिए गांवों को विद्युतिकृत किया जायगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

श्रीमती नगेन्द्र बाला : मैंने पूछा है कि यह काम कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्री हीरालाल देवपुरा : 4 वर्ष में।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : सूची सदन पर रखवाने की केवल मात्र मन्शा थी कि पंचायत समिति, सुल्तानपुर के जिन गांवों का सर्वे कराया गया उनमें 6–7 गांव इतने बड़े बड़े हैं कि किसी में डेढ़ हजार किसी में दो हजार गांव हैं जो हमारे गांवों की विद्युतिकरण की योजना है उसकी दो मन्शायें हैं एक तो विद्युतिकरण होने के बाद रिटर्न्स मण्डल को मिलने चाहिए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा बिजली का लाभ मिले। जो गांव पानी की डूब में हैं जो इस योजना में नहीं आए हैं, क्या उनको गांवों में इनक्लूड करेंगे या कुछ परिवर्तन करेंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इस योजना में उन गांवों को नहीं लिया जा सकता लेकिन उनका अलग से विद्युतिकरण किया जा सकता है।

श्री रावतराम : आर. ई. सी. की स्कीम जो बनाई जाती है उसका क्या क्राइटेरिया है ? और दूसरी बात, रेगिस्तानी इलाके में भी कोई योजना आज तक बनाई है ?

श्रीमती नगेन्द्र बाला : जो योजना बनाई गई है उसमें किन्हीं अधिकारियों की नियुक्ति मंत्री महोदय कर चुके हैं, पोस्टिंग हो गई है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने कहा 1976–77 में प्रारंभ की जाएगी। एक अप्रेल को वित्तीय वर्ष शुरू होगा। काम

Page No 20

(20)

(श्री हीरालाल देवपुरा)

अब शुरू होगा। रावतरामजी ने पूछा कि आर. ई. सी. योजना बनाने का क्या क्राइटेरिया है और क्या रेगिस्तानी इलाके में भी योजना बनाई गई है। वैसे यह सवाल बिल्कुल अलग है लेकिन आर. ई. सी. की अलग अलग योजनाओं के लिए अलग अलग क्राइटेरियां है। जो रैगिस्तानी इलाके हैं वहां आर्डिनरी कोर्स में बनती हैं। वहां अण्डरग्राऊंड वाटर की अवेलेबिल्टी हो, अण्डरग्राऊंड वाटर बोर्ड का सर्टीफिकेट हो, वहीं पर योजना बनाई जाती है। दूसरी बात मिनीमम नीडप्रोग्राम का जो इन्टीरियर एरिया है जहां बिजली पहुंचाना जरूरी है लेकिन पानी न होने के कारण बिजली नहीं पहुंच पाती, जहां एच. टी. लाइन्स खींचनी पड़ती हैं वे नहीं खींच सकते, उनके लिए मिनीमम नीड्स प्रोग्राम में योजना बनाते हैं, इन्हीं रैगिस्तानी इलाकों में बनाई है जैसे भोपालगढ़, शेरगढ़, फलौदी में बनाई है, चूरू जिले में कुछ योजनायें हमारे सर्वे के अन्दर चल रही हैं। सर्वे के बाद ही कह सकता हूं कि कितनी योजनायें बनाई जा रही है...

(शोरगुल)

श्रीमती नगेन्द्र बाला : मंत्रीजी ने 1976-77 बताया, उसका मतलब 1977 के अंत तक भी हो सकता है। तो काम कब शुरू होगा? जब आर. ई. सी. का कार्य तीन वर्ष में समाप्त हो जाना चाहिए और करीब सभी जगह ऐसा हुआ है तो फिर यहां 4 वर्ष क्यों दिए गए हैं? तीसरी बात, जिन गांवों के बारे में आपने कहा कि दूसरे तरीके से लिए जा सकते हैं तो उनके बारे में आपने कहा कि दूसरे तरीके से लिए जा सकते हैं तो उनके बारे में आश्वासन देंगे कि किस तरह से गांवों में बिजली पहुंच सकेगी?

श्री रामरघु नाथ चौधरी : आर. ई. सी. स्कीम के अन्तर्गत अगर बीच में एक गांव छूट गया है, सभी सराऊंडिंग गांवों में बिजली है तो बीच वाले गांव को जोड़ने का प्रावधान इसमें है? अगर 11 के. वी. लाइन गांव से गुजर गई है और उस गांव को इन्क्लूड नहीं किया गया है तो उसको बिजली से जोड़ने का प्रावधान है।

श्री हीरालाल देवपुरा : आर. ई. सी. योजना में स्वीकृत हो जाने के बाद हम किसी दूसरे गांव को नहीं जोड़ सकते। रहा सवाल, क्या कोई गांव बीच में छूट गया है जो योजना के अन्तर्गत आना चाहिए था वह नहीं आ पाया उसके लिए प्रारम्भ में ही मैंने कहा कि इनको अलग से लिया जा सकता है। कहीं यह प्रतिबन्ध नहीं है कि उन गांवों को बिजली नहीं पहुंचाई जाएगी। आगे जो आर. आई. सी के द्वारा योजनायें ली जायेंगी उनके अंदर लिए जा सकते हैं बशर्ते कि उन गांवों की इकोनामिक फीजीबुल्टी हो जाती है, उनका विद्युतिकरण करना है और हम करेंगे। मैंने कहा कि 1976-77 में इस काम को प्रारम्भ करेंगे और 4 वर्ष में योजनाओं को पूरा कर देंगे तो निश्चित रूप से हमें इस वर्ष इन गांवों का काम प्रारम्भ करना है और इसमें किसी तरह की देरी करने का सवाल नहीं है बाकी दूसरी बात आपने जो कही नहीं बस आपके यही सवाल थे।

प्रश्न सं. 498

श्री उपाध्यक्ष। नेक्स्ट।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री भोमा राम।,

भारत-पाक युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को सहायता

499. श्री भोमा राम चौधरी (डीडवाना): क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भारत पाक युद्ध 1971 में नागौर जिले के कौन कौन सैनिक शहीद हुए एवं उनके परिवारों को राज्य सरकार द्वारा क्या सहायता आदि प्रदान की गई ?

(2) भारत पाक युद्ध 1971 में नागौर जिले के कौन कौन सैनिक विकलांग या अपाहिज हुए एवं उनको राज्य सरकार द्वारा क्या क्या सहायता दी गई ?

(3) क्या यह सही है कि भारत की फौज में कार्यरत श्री बल्देवराम पुत्र श्री गोपी राम जाट निवासी ग्राम तहसील डीडवाना भी लद्दाख मोर्चे पर शहीद हुआ ? यदि हां, तो उसके परिवार को कितना रुपया व कितनी जमीन दी गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

सैनिक कल्याण मंत्री (श्री कुम्भारसिंह): (1) भारत पाक युद्ध 1971 में नागौर जिले के 34 सैनिक शहीद हुए इन सैनिकों के परिवारों को दी गई सुविधाओं की सूची (परिशिष्ट-क) संलग्न है।

(2) भारत पाक युद्ध 1971 में नागौर जिले के 10 सैनिक विकलांग घोषित किये गये इन सैनिकों को दी गई सुविधाओं की सूची (परिशिष्ट-ख) संलग्न है।

(3) जी हां। राज्य सरकार नियमानुसार मृतक सैनिक बल्देवराम की माता श्रीमती प्रणचीदेवी को 1000 रु. नकद व 1000रु.के सुरक्षा प्रमाण पत्र दिये गये हैं तथा साढ़े बारह बीघा सिंचित भूमि राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में आवंटित की गई।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखिये)

श्री भोमा राम चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सरासर गलत है क्योंकि बल्देवराम की माता श्रीमती प्रणची देवी को कोई जमीन नहीं दी गई है। इस औरत का पति पहले सन् 1938 की लड़ाई में भी सैनिक था उसकी वजह से उसको पेन्शन मिलती है। वह बेचारा आदमी कोलोनाइजेशन कमिश्नर के पीछे पीछे धक्के खाता-खाता थक गया। लेकिन उसको राज्य सरकार से कोई जवाब नहीं मिला आखिर क्या कारण है कि उनको जमीन अलाट नहीं की गयी है ?

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा: उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मन्त्री महोदय ने नम्बर दो में बताया है कि 10 सैनिक विकलांग घोषित किये गये और उनके परिवारों को सुविधायें दी गई हैं, इसमें 34 व्यक्तियों को राजस्थान नहर परियोजना में जो रिजर्वड लैण्ड में आपने विकलांग परिवारों को जमीन देने का लिखा है और 44 शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को अलाटमेंन्ट करना बताया गया है क्या यह सही है कि उनको उसका कब्जा मिल गया है ? मैं समझता हूं कि किसी को भी नहीं मिला है।

श्री जुझारसिंह : आपने जो बताया कि किसी को नहीं मिला है यह गलत है। वैसे मैंने तो लिस्ट 34 की दी है उसमें उनको जमीन तो अलोट हो चुकी है आप कोई स्पेसिफिक नाम बतावें कि जिसको जमीन नहीं अलोट की गयी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या सबको मिल चुकी है ?

श्री रावतराम : आपने जो साढ़े 12 बीघा जमीन का अलॉटमेन्ट करना बताया है मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इसमें कब्जा मिला या नहीं किसी को या सिर्फ कागजों में ही है ?

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य श्री भोमाराम जी कह रहे हैं कि उनको अलॉट जमीन नहीं हुई है यह गलत है। श्री बल्देवराम की माता प्राणी देवी को जमीन राजस्थान कैनाल में अलॉट की गयी है लेकिन उसका पिता कहता है कि वह जमीन मेरे नाम होनी चाहिये। इसके लिये वह चक्कर काट रहा है जमीन मदर के नाम अलॉट हुई है। फादर कहता है कि मेरे नाम अलॉट होनी चाहिये जबकि उसके फादर को पेन्शन मिलती है क्योंकि वह भी पहले सैनिक रह चुका है। नियमों में ऐसा प्रावधान है कि जिसको पेन्शन मिलती है उसको जमीन नहीं दी जा सकती। अब अगर नियमों में ऐसा कोई चेन्ज करने की बात होगी तो ही कर सकते हैं और आप कहते हैं कि उसको जमीन नहीं मिली उसके जवाब में मेरा निवेदन है कि उस प्राणी देवी को राजस्थान कैनाल ऐरिया में छत्तरगढ़ तहसील में नम्बर 1 की जमीन में से चक नम्बर 8 के मुरब्बा नम्बर 144 । 61 की दी गयी है।

श्री रावतराम : कब्जा मिल गया है क्या ?

श्री जुझारसिंह : कब्जा बल्देवराम का पिता अपने नाम जमीन को चाहता है। वह गोपीराम के नाम नहीं हो सकता है।

श्री भोमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, उस बल्देवराम का पिता गोपीराम कब्जा लेना चहता है और वहां गोपीराम कालोनाइजेशन कमिश्नर के पास जमीन के लिये चक्कर काट रहा है, पर कोई सुनता नहीं है उसकी। मैं खुद इसके लिये तीन बार गया पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हो सकी है। मन्त्री महोदय जो कुछ भी हाउस में कह रहे हैं यह गलत कह रहे हैं।

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि मृतक बल्देवराम की माता के नाम जमीन अलॉट की गई है लेकिन उसका पिता गोपीराम उस जमीन को अपने नाम करवाना चाहता है उसके लिए अब नाम बदल कर दुरुस्त कर दिया जावेगा और वह जमीन उस बल्देवराम के पिता के नाम अलॉट करदी जायेगी। दिक्कत यही था रही थी कि जमीन माता के नाम अलाट थी और उसका फादर जमीन अपने नाम से जमीन अलोट करवाना चाहता था।

श्री रावतराम : क्या यह सही है कि उसको अभी तक कब्जा नहीं मिला है ? और दूसरे क्या यह भी सही है कि इन शहीदों के परिवारों को ऐसी जमीन दी जाती है कि जहां पानी नहीं लगता है या लगने की कभी कोई उम्मीद नहीं होती है ? क्या यह असिंचित जमीन है ?

श्री जुझार सिंह : जहां तक मेरी जानकारी है इसको सिंचित ही बतलाया गया है।

श्री रावतराम : यह जमीन का कब्जा कब तक मिल जायेगा ?

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि इन सैनिकों के परिवारों को जमीन जो अलाट की जाती है, वह ऐसी जगह अलॉट की जाती है कि वहां पर एक हजार साल तक पानी नहीं लग सकता है या उन फौजियों के परिवारों को असिंचित भूमि का अलॉटमेन्ट कर दिया जाता है। 44 विकलांग परिवारों के साथ क्या इसी तरह की जमीन दी गयी है।

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अगर किसी शहीद के परिवार को असिंचित भूमि अलॉट की जाती है तो वह नियमानुसार 25 बीघा जमीन अलाट की जाती है। भूमि अलॉट की जाती है तो वह साढ़े बारह बीघा अलॉट की जाती है। यहां पर चूंकि साढ़े बारह बीघा जमीन अलॉट होना लिखा है इसलिए मैं तो इसे सिंचित भूमि का अलॉटमेंट ही मानूंगा। अगर माननीय सदस्य के पास ऐसा कोई स्पेसिफिक केस हो तो मैं उनकी जांच करूंगा।

श्री भोमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय जो जमीन देने की बात करते हैं वह गलत है उस मृतक सिपाही के माता के पिता को अभी तक कोई जमीन राजस्थान कैनाल के ऐरिया में नहीं दी गयी है। और अब तक जमीन नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आफिशियल रिकार्ड के अनुसार साढ़े बारह बीघा जमीन का अलॉटमेन्ट बतलाया गया है जो उसको मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल

दुगर्बी घाटा बान्ध योजना का सर्वे

500. श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि दुगर्बी घाट बान्ध (करौली) बरखेड़ा नदी पर की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(2) अगर हां, तो क्या योजना का सर्वे हो चुका है एवं सरकार इस पर क्या विचार कर रही है ?

सिंचाई मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) जी हां। योजना विचाराधीन है।

(2) अभी इस योजना का सर्वे नहीं हो पाया है।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : यह सर्वे का कार्य कब तक पूरा हो जावेगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह कार्य वर्ष 76–77 में पूरा हो जाने की उम्मीद है।

२५

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा

501. **श्री भीमसेन (लूणकरणसर)**: क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की विकट पेयजल समस्या के समाधान हेतु जल प्रदाय योजनाओं के निर्माण एवं उनकी क्रियान्विति के लिए एक स्वायत्तशासी निगम की स्थापना का आश्वासन गत विधान सभा सत्र में दिया था ? अगर हां, तो इस आश्वासन को पूरा करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद): जी हां। इसके गठन के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ?

श्री भीमसेन : क्या आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चन्दनमल बैद : सभी आवश्यक कार्यवाही जो हो सकती है। वित्त विभाग से कमेटी के लिए गठित होने के लिए जांच करना, लॉ डिपार्टमेंट से जांच करवाना और जनस्वास्थ्य विभाग से जांच करवाना और फिर लॉ डिपार्टमेंट और वित्त विभाग की आपस में बातचीत होकर तय करना। अभी तक तो लॉ डिपार्टमेंट भी नहीं देख पाया है।

श्री भीमसेन : यह कब तक हो जावेगा ?

श्री चन्दनमल बैद : यह कहना मुश्किल है। क्योंकि वित्त विभाग और लॉ विभाग को इसमें बात होना जरूरी है और उनमें बात होने में सालों लग सकते हैं और नहीं लगे सो एक दिन में बात तय हो जाय। यह तो दोनों विभागों के बातचीत होने पर है।

श्री रावतराम : क्या यह छठी पंचवर्षीय योजना तक तो हो जायेगा ?

श्री चन्दनमल बैद : छठी क्यों ? पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हो जायेगा। यानि कि 76–77 के साल तक हो जायेगा।

प्रश्न संख्या 502

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमृत लाल गहलोत।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिए)

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य तो अनुपस्थित हैं लेकिन आप अपनी डिसक्रीशनरी पावर्स को यूज करके इस प्रश्न को सदन में पुछवालें क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूनिवर्सिटी के बारे में है। आप राज्य सरकार से उत्तर दिलवादें।

प्रश्न संख्या 503

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भरतलाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिए)

(विराम)

प्रश्न संख्या 504

श्री जगमोहनसिंह ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री राजेन्द्र भारतीय ।

बून्दी सिलिका सप्लाई कम्पनी

505. **श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय** (बून्दी) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि बून्दी सिलिका सप्लाई कम्पनी को आज से चार वर्ष पहले सिलिका की लीज उस शर्त पर दी गई थी कि वो तीन वर्ष के अन्दर इसी सिलिका से कांच बनाने का कारखाना लगायेंगे ?

(2) यदि हां तो क्या बून्दी सिलिका कम्पनी ने कांच का कारखाना लगा दिया ? यदि नहीं, तो उनकी लीज जो केवल तीन वर्ष के लिए थी, कैसे चल रही है ?

(3) क्या बून्दी सिलिका कम्पनी को बून्दी शहर में कारखाना लगाने का इरादा है, यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री जुझारसिंह):
(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : क्या यह सही है कि इसी सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि बून्दी सिलिका कम्पनी बून्दी में दो तीन वर्षों में ही अपना कारखाना लगा देगी? बशर्ते कि उनको लीज मिलेगी। लेकिन आज तीन साल से अधिक हो गया है लेकिन अभी तक वहां पर कोई कारखाना नहीं लगाया गया है। क्या इसके लिए सरकार कुछ विचार करेगी ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने यह क्या तरीका बना रखा है कि हर प्रश्न का उत्तर हां में न देकर जी नहीं में देती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप इसको जी हां में बदलवा दीजिये।

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उनको कोई नया लीज नहीं दिया गया था वहां पर उस कम्पनी को जो पहले लीज दिया गया था उनको ही रिन्यूअल किया गया है। दूसरे वहां पर कोई सिलिका कम्पनी नहीं है। वहां पुरानी लीज ही रिन्यूअल किया गया है। माननीय सदस्य जिसके बारे में पूछना चाहते हैं वह श्री कन्हैयालाल घाटेवाला के बारे में पूछना चाहते हैं उनको लीज पांच साल के लिये रिन्यूअल किया गया है और जब यह लीज पहले दी गयी थी उस वक्त यह शर्त थी कि वह लीज पीरियड के एक्सपायरी के पहले ही वहां पर कारखाना लगा देंगे तो निवेदन यह है कि अभी तक उसको पांच साल पूरे नहीं हुए हैं और चूंकि माननीय सदस्य की वह कान्सटीट्यून्सी है उनको खुद को पता है कि वहां पर कितनी प्रोग्रेस इसमें हो रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : सेठों से आप कम्पनियों के नाम बदलवाते जायं, मंत्री महोदय, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि बूंदी सिलिका के नाम से 30 साल से हैं। चाहे कन्हैया लाल घाटेवाला के हों या और किसी के। पहले कहा तीन साल, दुबारा कहा चार साल में लगा लेगा। कारखाना पूरा नहीं हुआ। पांच साल हो गये। रबर की तरह से हर

Page No 26

(26)

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)
पीरियड बढ़ता ही जा रहा है। आपका ध्यान कोटा की तरफ ज्यादा है। कारखाना भी कोटा के नजदीक ले जाकर लगाने की सोचते हैं। बूंदी की ओर आपका ध्यान नहीं है। 25 साल से बूंदी को म्यूजियम के तौर पर रखा है। मैं फिर भी कहता हूं कि इस कारखाना का ढकोसला किया जा रहा है। कोई मशीन फिट नहीं की है। नहर की जमीन लेकर बहुत बड़ी जमीन पर कब्जा कर लिया है।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : आप भी बूंदी म्युजियम की एक वस्तु हैं क्या ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : माननीय सदस्य ने सप्लीमेन्टरी कम पूछा है और इन्फोर्मेशन ज्यादा दी है। कोई व्यक्ति माइन लेकर यदि उस पर कारखाना लगाये तो साल दो साल अधिक ले लेता है तो उसमें कोई नुक्सान नहीं है। माइनिंग लीज तीन साल या पांच साल की होगी। फैक्टरी लग जाती है तो वह 20 साल 25 साल के लिए होगी गवर्नमेन्ट यह सोचती है उस समय कि मिनरल बेस्ड है फिर तो लीज को रिन्यू कर दिया जाय। लाइम स्टोन मान लीजिये। साधारण लाइम स्टोन है तो दो तीन साल के लिये या अधिक से अधिक पांच साल के लिये होगी। उसी पर बेस्ट सीमेन्ट फैक्टरी लगती है तो काफी लम्बे पीरियड के लिये लगती है। गवर्नमेन्ट ने कोंसियशली किया है तो यह बहुत अच्छा किया है। कोई गलती नहीं की है।

अब रह जाता है बूंदी का सवाल। सरकार अपनी ओर से कोशिश करेगी। आप भी किसी को लाकर करेंगे तो उसमें मदद करेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : अर्ज यह है...

श्री हरिदेव जोशी : लीज होल्डर जिसके लीज में फैक्टरी लगाने का है वह अगर इस बार नहीं करेगा तो उससे पैनेल्टी वसूल होगी।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : अर्ज यह है कि ओरिजनली तीन साल के लिए दी गई थी।

श्री जुझार सिंह : ओरिजिनल...

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : सप्लीमेन्टरी मेरा सुन लीजिये शान्ति से जवाब दीजिये मैं निवेदन कर रहा था कि पहले तीन साल के लिये किया। जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा उसमें कोई एतराज नहीं है। कोन्स्टिचुएन्सी के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। तीन साल से अधिक की बात होती तो हम जनता से यह कहते कि यह तीन साल के लिये ही नहीं अधिक के लिये है। आप पीरियड बढ़ाते जायं जबकि वहां पर कोई स्ट्रक्चर नहीं। आयन्दा दूसरों को मिल सकती थी। उनको नहीं मिल सकती थी उस माइन का पीरियड नहीं बढ़ाना चाहिये था।

श्री जुझारसिंह : टर्म्स पर लीज हुई है। उसमें शर्त थी वह यह थी "That the party shall have to put up a glass factory in Bundi within a period of five years from the date of renewal of mining

(श्री जुझार सिंह)

lease". तीन साल का अन्दाज माननीय सदस्य को कैसे हो गया ? उसी को वे रिपीट कर रहे हैं। पांच साल की लीज थी। न टर्म बढ़ायी गयी और न कोई चीज की गयी। 8–2–77 को पांच साल होने वाले हैं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आयी है वह मैं बता देता हूं। जमीन गोविन्दपुरा बावड़ी के पास कारखाना लगाने के लिये दी गयी। कारखाना बनाने का काम प्रारम्भ कर दिया गया है। भूमि पर पक्की चाहर दिवारी बन चुकी है पट्टियों की नींव तैयार कर ली गयी है। ब्रिक्स इरेक्शन की तैयारी करली गयी है पानी हेतु कुआ तैयार हो गया है। शेड्स के लिये मकान बन रहे हैं पार्टी के द्वारा मशीनें प्राप्त कर लगायी हैं। जिनको लगाने के लिये शीघ्र कार्यवाही कर देंगे। 76 के अन्त तक यह चालू हो जावेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तीन साल इसके समाप्त होने पर यह प्रश्न किया था उस समय भी यही पोइन्ट बताये थे। तीन साल की अवधि बतायी। चार साल हो गयी वह फिर। चेम्बर में ले जाकर मुझे फाइल पढ़वायी गयी। मेरी आंखों देखी हुई बात कैसे गलत हो सकती है। तीन साल में तीन तरह की फाइलें आ गयीं। मैं मानने को तैयार नहीं हूं। उन्होंने पढ़वायी फाइल आज पांच साल की बात कर रहे हैं। इतना कम से कम सदन के मेम्बर को धोखा नहीं देना चाहिये। अब पांच साल की बात करते हैं। इसी शख्स कन्हैयालाल के प्रति मन्त्री महोदय का स्पष्ट कोर्नर होने से बूंदी कोन्टिस्टचुएन्सी में उनको दिया गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अजायब घर में रखें।

श्री हरिदेव जोशी : लीज का जो एग्रीमेंट होता है वह रजिस्टर होता है। उसमें कोई चेन्ज नहीं कर सकता है। इस लिये आप जो कह रहे हैं वह इसलिये समझ में नहीं आता है। वह उस समय हो जाता है जब रिन्यू होकर ओरिजिनल लीज दी जाती है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : वर्कशॉप लगायी नहीं।

श्री हरिदेव जोशी : रिमार्क माननीय सदस्य के अनचेरिटेबल हैं। प्राइमाफेसी केस है, अविश्वास नहीं करना चाहिये, गवर्नमेंट रिकार्ड की एक बात बतायी जाती और केटोगोरिकली माननीय मन्त्री कहते हैं तो साधारण आदमी को माइनिंग लीज नहीं देते हैं। इस तरह से अगर साधारण आदमियों को माइनिंग लीज देने लगे तो माइनिंग एरिया ही नष्ट हो जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : हाथ से जो काम करते हैं। कोओपरेटिव सोसाइटी बनाई है...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर प्लीज ! बिराजिये !

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : छोटे 2 टुकड़े...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! ऑर्डर प्लीज ! आर्डर प्लीज ! आप कृपया बिराजिये।

श्री राजेन्द्र कुमार। (प्रश्नत्रय)।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

श्री महेन्द्रकुमार : मेरा प्रश्न ले लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : कुछ नियमों का भी अध्ययन कीजिये।

श्री महेन्द्रकुमार : जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज!

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

पाली में पीने के पानी से पीलिये की बीमारी

490. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि "राजस्थान पत्रिका" दिनांक 20—2—76 में एक ही पृष्ट पर अधिशासी अभियन्ता जल प्रदाय विभाग पाली के वक्तव्य के अनुसार पीने के पानी से कोई रोग नहीं फैलने को कहा गया है और उसी समाचार के साथ पाली जिले के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी का वक्तव्य छपा है जिसमें पीने के पानी के कारण पीलिया रोग फैलने की बात कही गई है? यदि हां, तो इन दोनों वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य सही था?

(2) दोनों वक्तव्यों में विरोधाभास के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जी हां। जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि नलों द्वारा वितरण पेय जल से पीलिया रोग पाली में फैला है। चिकित्सा अधिकारी द्वारा भी इसको अन्य संभावनाओं के साथ नलों के पानी से पीलिया रोग फैलने की सम्भावना व्यक्त की गई थी।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

पुलिस थाना बनीपार्क जयपुर में दर्ज मामला

498. श्री गणेशलाल (गंगराल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना बनीपार्क, जयपुर में किसी व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर मुकदमा संख्या 44 व 45 सन् 1971 में दर्ज किया गया था और दोनों मुकदमे अनुसंधान करने पर झूठे पाये गये थे? यदि हां, तो शिकायतकर्ता का नाम व पता क्या है और किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध यह शिकायत की गई थी? शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त झूठी शिकायतें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई थी? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त झूठी शिकायत करने वाले व्यक्ति अक्सर पुलिस में कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायतें किया करते हैं? यदि हां, तो उन्होंने पुलिस

(श्री गणेश लाल)
थाना बनीपार्क, जयपुर में सन् 1971 से मार्च, 1975 तक किस किस व्यक्ति के विरुद्ध कब कब शिकायतें की और जांच करने पर उनका क्या निष्कर्ष निकला।

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त झूंठी शिकायत करने वाले व्यक्तियों की गतिविधियों के सम्बन्ध में पुलिस ने जांच की थी और लोकायुक्त सचिवालय को कोई जांच प्रतिवेदन भेजा था ? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। श्री हरिनारायण सैनी पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण सैनी निवासी नारी का नाका, जयपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर यह मुकदमें एवं श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ पूर्ण चन्द्र, रामसहाय माली, पुरुषोत्तम एवं प्रहलाद के विरुद्ध दर्ज किये गये थे। शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। धारा 182 आई. पी. सी. के तहत पेश किया गया इस्तगासा जेर तजवीज अदालत है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन द्वारा निर्धारित वेतनमान

502. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदार पुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालय एवं कालेजों में कार्यरत अध्यापकों को यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन द्वारा निर्धारित वेतनमान देने के सम्बन्ध में अब राज्य सरकार की क्या नीति है ? उस नीति-पत्र को सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त नीति के सुझाव के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने एक समिति का गठन किया था ? यदि हां, तो उस समिति के सदस्यों के नाम एवं उनके द्वारा सरकार को दी गई रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सत्य है कि पड़ोस के राज्यों में यू. पी. सी. के वेतनमान लागू होने के फलस्वरूप राजस्थान से योग्य अध्यापक वहां नौकरी करने जा रहे हैं ? देश के किन किन राज्यों में उपरोक्त: वेतनमान लागू हो चुके हैं ? उनकी पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) 1 जनवरी, 1975 से अब तक राजस्थान, जोधपुर एवं उदयपुर विश्वविद्यालय से कितने लेक्चरार, रीडर एवं प्रोफेसर नौकरी छोड़ अन्यत्र चले गये हैं ? उसकी पूर्ण सूची मय पद एवं नाम के अलग-अलग सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार वेतनमानों के बारे में यू. पी. सी. द्वारा की गई सिफारिशों को सिद्धान्ततः स्वीकार करती है।

(2) जी-हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(शिक्षा मंत्री)

(3) कुछ अध्यापकों ने विभिन्न कारणों से अन्यत्र नियुक्ति ले ली है। जिन राज्यों में यू. पी. सी. के वेतनमान लागू हो चुके हैं उनकी सूची राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(4) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट—9 देखिये)

अनुसूचित जाति एवं जन जाति के कर्मचारियों को आरक्षण के आधार पर पदोन्नतियां

503. **श्री भरतलाल** (बामनवास): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या चिकित्सा विभाग में दिनांक 10-2-75 के पश्चात् विभिन्न पदों पर पदोन्नतियां हुई हैं ? यदि हां, तो उनमें अनुसूचित जाति।अनुसूचित जन जाति के लोगों को 40 पाइन्ट रोस्टर के अनुसार पदोन्नतियां दी हैं ?

(2) चिकित्सा विभाग तथा उसके अधीनस्थ कर्मचारियों में 10 फरवरी, 75 के पश्चात् हुई पदोन्नतियों की सूचना कृपया निम्न तालिका में सदन की मेज पर रखें:—

पद व श्रेणी	पदोन्नति की तिथि	रोस्टर पाइंट संख्या	पदोन्नत किये गये कर्मचारी का नाम	अनुसूचित जाति। अनुसूचित जन जाति का कर्मचारी है अथवा नहीं
1	2	3	4	5

(3) क्या पदोन्नति करते समय अनुसूचित जाति।अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची अलग से बना कर सुरक्षित रोस्टर पाइंट के अनुसार पदोन्नति देने का प्रयास किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, 40 पाइन्ट रोस्टर के अनुसार पदोन्नति दिये जाने की प्रणाली अब प्रारम्भ की जावेगी।

(2) सूची संलग्न है।

(3) अनुसूचित जाति।अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की अलग से सूची बनाने के प्रयास प्रारम्भ कर दिये हैं। सूची पूर्ण होने पर पूर्णतया रोस्टर प्रणाली के आधार पर ही पदोन्नति दी जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

छबड़ा में बिजली के वोल्टेज से असुविधा

504. श्री **जगमोहनसिंह** (छबड़ा): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि छबड़ा कस्बे में आये दिन बिजली गुल हो जाती है व वोल्टेज की मात्रा हमेशा कम आती है जिससे स्थानीय जनता को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

(2) यदि हां, तो इसका क्या कारण है और इसका निदान कैसे और कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) छबड़ा में वोल्टेज कम मिलने की शिकायतें रहीं हैं।

(2) छबड़ा, बांरा से करीब 80 कि. मी. दूर है। मौजूदा सप्लाई 11 के. वी. पर होने के कारण वोल्टेज की कमी होती है। इस लाइन को छीपा बड़ोदा तक 33 के. वी. पर चार्ज करने के प्रयास जारी हैं। इस कार्य के पूरा होने पर छबड़ा में मिलने वाले वोल्टेज में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में ग्रामीण विद्युतिकरण निगम द्वारा स्वीकृत हुई छबड़ा पंचायत समिति की ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत छबड़ा को नापासर से था 33 के. वी. लाइन द्वारा जोड़ा जायगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायत समिति शाहबाद (कोटा) में हथियारों के लाइसेन्स

248. श्री रामगोपाल (किशनगंज) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति शाहबाद जिला कोटा में समस्त हथियारों के लाइसेंसों को अस्थायी रूप से निलम्बित किया जा कर सम्बन्धित पुलिस स्टेशनों पर जमा कर लिया गया था ?

(2) क्या यह सत्य कि इसके बाद ग्राम गोवरच्या तहसील किशनगंज में डकैती की घटना घटो थी ?

(3) क्या यह सत्य है कि पुलिस विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी ने स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए यह सिफारिश की है कि कुछ व्यक्तियों को छोड़ कर समस्त हथियारों के लाइसेंस धारियों को वापिस लौटा दिये जावें ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? कृपया अवगत कराने का कष्ट करें ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। मामला जिलाधीश, कोटा के यहां विचाराधीन है।

अपराधों पर अंकुश

249. श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में डकैती, लूट, हत्या, तस्करी, जूआ, चोरी व महिलाओं एवं लड़कियों के अनैतिक व्यापार पर अंकुश लगा है और घटनाओं में कमी आई है ?

(2) भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रदेश भर में सन् 1973 से जनवरी, 1976 तक के तुलनात्मक अपराधों के आंकड़े सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) अपराधों को स्थायी रूप से रोकने और उनमें निरन्तर कमी आ सके इसके लिये राज्य सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) (क) पुलिस विभाग को पुनर्गठित कर वांछित स्थानों पर नये थाने व चौकियों की स्थापना की गई है।

(ख) पुलिस की नफरी में वृद्धि की गई है।

(ग) बड़े बड़े शहरों में थाने के इन्चार्ज पदों पर पुलिस निरीक्षक की नियुक्ति व पुलिस कन्ट्रोल रूम्स की स्थापना की गई है।

(घ) वायरलेस व्यवस्था में सुधार कर वेरीफाई फ्रीक्वेन्सी पर कार्य प्रारम्भ किया गया है।

(च) अपराधों की रोक थाम के लिए बहुखण्डीय आधुनिक यन्त्रोंयुक्त विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रारम्भ की गई है और शीघ्र ही रेन्ज स्तर पर इसकी शाखायें खोली जा रही हैं।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

जयपुर शहर में नये थाने खोलने का निर्णय

250. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (हवामहल जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जयपुर शहर में चार नये थाने खोलने के लिये राज्य सरकार ने निर्णय लिया है? यदि हां, तो कहां कहां और कब तक?

उत्तर

जी हां। (1) शास्त्री नगर

(2) विधायक पुरी

(3) झोटवाड़ा व

(4) मोती डूंगरी

राजस्थान राज-पत्र में क्षेत्र सम्बन्धी प्रकाशन कार्यवाही पूर्ण होते ही उक्त चारों थाने चालू कर दिये जायेंगे।

औद्योगिक इकाइयों को कर्जा

251. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान वित्त निगम को स्थापित हुए कितने वर्ष हुए हैं? स्थापना से अब तक निगम ने कुल कितनी धनराशि के कर्जे स्वीकृत किए और कितने वितरित किए है? कृपया जिले अनुसार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(2) वित्त निगम ने चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर तक राज्य की कितनी औद्योगिक इकाइयों को कर्ज राशि स्वीकृत की और कितनी धनराशि की सहायता उपलब्ध कराई?

(3) क्या निगम की कर्ज उप समिति ने कुछ नई औद्योगिक इकाइयों को कर्जा स्वीकृत किया है? यदि हां, तो कितनी इकाइयों को और कितना? इन इकाइयों से कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा? कृपया स्वीकृत धन राशि

Page No 33

33

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
दर्शाते हुए इकाइयों की सूची जिले अनुसार सदन की मेज पर प्रस्तुत की जावे।

उत्तर

(1) राजस्थान वित्त निगम आगामी 8 अप्रेल, 1976 को अपनी स्थापना के 21 वर्ष पूरे कर रहा है। 8 अप्रेल 1955 को अपनी स्थापना (inauguration) के बाद 31 दिसम्बर, 1975 तक राजस्थान वित्त निगम ने 32 करोड़ रु. के ऋण स्वीकृत किये हैं और 19 करोड़ रु. के कर्ज वितरित किये हैं। जिलेवार विवरण तालिका संख्या 1 में दिया गया है।

(2) वित्त निगम ने चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 1975–76 में एक अप्रेल 1975 से 31 दिसम्बर 1975 तक 160 औद्योगिक इकाइयों को 520.91 लाख रु. का कर्ज स्वीकृत किया है। निगम केवल ऋण ही स्वीकृत करता है, सहायता नहीं।

(3) राजस्थान वित निगम द्वारा गठित कर्जा उप समिति कर्जा स्वीकृत करने का कार्य नहीं करती है। यह कर्जा स्वीकृति की सिफारिश मात्र करती है, उसकी सिफारिश पर प्रबन्ध संचालक महोदय ऋण स्वीकृत करते हैं। कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा इसकी जानकारी नहीं है। सूची संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-11 देखिये)

कनिष्ठ लिपिकों की पदोन्नति

252. श्री राम गोपाल (किशनगंज): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विभिन्न सेवा नियमों में स्केल संख्या 11 तक पदोन्नति का आधार वरिष्ठता ही माना गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पृष्ठ संख्या 15 पर भी यह कहा गया है कि उस स्केल संख्या तक पहला प्रमोशन वरिष्ठता के आधार पर ही किया जायगा?

(3) गत तीन माह से राज्य के विभिन्न विभागों में उपरोक्त नियम के अनुसार कितने कितने कनिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति नहीं की गई तथा इसके क्या कारण हैं? सूची सदन की मेज पर रखें?

(4) प्रश्न के भाग (3) में नियमों का उल्लंघन कर कनिष्ठ कर्मचारियों को वरिष्ठ कर्मचारियों से पूर्व पदोन्नत करने के लिए क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों?

(5) जिन कर्मचारियों की बिना वरिष्ठता के कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पदों पर पदोन्नति की गई है क्या उनकी पदावनति करने का सरकार विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

ग्राम बाढ़ सालोदा की गोचर भूमि

253. श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम बाढ़ सालोदा की गोचर भूमि को, औद्योगिक क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

(2) अगर हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है एवं कब तक औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस विषय में जिलाधीश सवाई-माधोपुर द्वारा प्रस्ताव राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को प्रेषित किये गये हैं, जो विचाराधीन हैं। आशा है कि उक्त क्षेत्र निकट भविष्य में ही औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया जायेगा।

कर्मचारियों से सरकारी मकान खाली कराने की योजना

254. श्री राजेन्द्र सिंह (उनियारा) —क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जयपुर में नियुक्त राज्य कर्मचारियों के निजी मकान के होते हुए भी सरकारी मकान कब्जे में हैं ? यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों से सरकारी मकान खाली कराने की राज्य सरकार की योजना है ?

उत्तर

राजकीय आवास आवंटन नियमों के अन्तर्गत जिन कर्मचारियों के स्वयं के मकान उनके पदस्थापन के स्थान पर होते हैं, उन्हें राजकीय आवास आवंटित नहीं किये जाते इसके अतिरिक्त इन नियमों के नियम 9 व उसके नीचे दिये निदेश के अनुक्रम में कर्मचारी को राजकीय आवास, यदि उन्हें आवंटित हो तो उसे स्वयमेव ही रिक्त कर देना चाहिए, अतः नियमों में प्रावधान स्पष्ट एवं व्यापक है। इन्हीं नियमों के अन्तर्गत यह भी प्रावधान है कि कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके स्वयं के मकान उनके पदस्थापन के स्थान पर होने पर भी जनहित में, उन्हें राजकीय आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे कर्मचारी जो इन नियमों के अनुसार सरकारी आवास में रहने के अधिकारी नहीं हैं उनसे सरकार राजकीय आवास खाली करा लेती है।

पुलिस थाना बनीपार्क (जयपुर) में दर्ज मामले

255. श्री गणेशलाल (गंगरार) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना बनीपार्क, जयपुर ने मुकदमा संख्या 44 व 45 सन् 1971 में अंतिम प्रतिवेदन बसीगे अदम बकूआ में क्रमशः दिनांक 16-10-71 व 25-5-71 दिये जाकर शिकायतकर्ता द्वारा झूठे मुकदमें पंजीबद्ध कराने के सन्दर्भ में धारा 182 भा.द.सं. या ता.हि. के अन्तर्गत पुलिस अधिकारियों ने इस्तगासे अन्तिम प्रतिवेदनों के साथ

(श्री गणेशलाल)

न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये थे ? यदि हां, तो मुकदमा संख्या 44–45 सन् 1971 द्वारा प्रस्तुत इस्तेगासे व अंतिम प्रति वेदनों की प्रतिलिपि सदन को मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग एक में वर्णित तथ्य के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान, जयपुर ने लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को झूठी शिकायत पंजीकृत कराने वाले व्यक्ति के विरुद्ध सूचना दी थी ? यदि हां, तो पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान, जयपुर द्वारा लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को लिखे गये पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। पुलिस द्वारा प्रस्तुत किये गये इस्तगासे व अन्तिम प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(2) जी हां। इन दोनों मुकदमात में अन्तिम रिपोर्ट देकर शिकायतकर्ता (मुस्तगीस) के विरुद्ध धारा 182 भा. द. सं. के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने का वर्णन सी.आई.डी. (अपराध शाखा) द्वारा उप लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान जयपुर को भेजी गई इन्क्वायरी रिपोर्ट में किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

संस्थानों में विधायकों का मनोनयन

256. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1972 से लेकर आज तक राज्य के किन-किन विधायकों को किस-किस निगम, कमीशन, बोर्ड संस्थान व संस्था आदि में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया गया है ?

पूर्ण विवरण के साथ सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य सरकार के विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार

सूची संलग्न है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–12 देखिये)

राज्य में निगमों के सदस्य व चेयरमैन बनाने का आधार

257. श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवा-महल, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कुल कितनी निगम है ?

(2) प्रत्येक निगम की कितनी पूंजी है ?

(3) प्रत्येक निगम के चेयरमैन एवं सदस्य कौन-कौन हैं, सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत की जावे।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

(4) चेयर मैन और सदस्य किस आधार पर बनाये जाते हैं ?

(5) क्या राज्य में कुछ और निगम भी स्थापित करने की योजना है ?

(स्थगित किया गया)

जोधपुर जिले के गांवों का विद्युतीकरण

258. श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) जोधपुर जिले में पिछले चार वर्षों में कितने गांवों का विद्युतिकरण किया गया ? पंचायत समिति वाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि चार वर्षों में एक गांव का विद्युतीकरण नहीं किया गया जबकि हर वर्ष जिला कृषि उत्पादन समिति से जस्टीफाइड विलेज जहां पचासों कुएं व पानी है प्रस्ताव भेजे गये लेकिन मंजूरी नहीं दी गई इसके क्या आधार हैं व विद्युतिकरण योजना में नहीं लेने का क्या कारण है और भविष्य में क्या नये गांवों को लेने का विचार है ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना सूची 'घ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। जिन गांवों का विद्युतिकरण किया गया है उनकी सूची प्रश्न एक के उत्तर में दी गई है। सब ट्रांसमीशन सिस्टम की कमी व धनाभाव के कारण और अधिक ग्रामों का विद्युतिकरण नहीं किया जा सका। अभी हाल ही में जिले की भूपालगढ़ पंचायत समिति की एक ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की योजना स्वीकृत हुई है जिस पर वर्ष 1976–77 में कार्य आरम्भ किया जायगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–13 देखिये)

मजदूरों एवं कर्मचारियों की मजदूरी का भुगतान

259. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) क्या यह सही है कि जुलाई, 75 से दिसम्बर, 75 तक कार्यरत मजदूरों एवं वेतन का भुगतान किए जाने हेतु ओवरसियर को रकम दी गई थी ? यदि हां, तो किस ओवरसियर को और कब तथा कब इसका भुगतान किया गया ?

(2) क्या यह सच है कि उक्त रकम का भुगतान नहीं किये जाने की लिखित एवं मौखिक शिकायतें भी की गई ? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारी के विरुद्ध विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो कब और क्या और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रश्न से यह ज्ञात नहीं होता है कि यह किस तहसील व जिले से संबंधित है फिर भी प्रश्नकर्ता के क्षेत्र शाहपुरा बिराटनगर से सम्बन्धित ओवरसियर को दी गई रकम व भुगतान आदि की सूचना इस प्रकार है माह जुलाई 75 से

(श्री हनुमानसहाय व्यास)
दिसम्बर 75 तक भिन्न-भिन्न तारीखों में दी गई राशि कुल रुपये 98,247,23 पै. है। जिसमें से ओवरसियर ने समय समय पर 95,157.08 पै. का भुगतान कर अकाउन्ट प्रस्तुत कर दिया व समायोजन कर लिया गया है रु. 3,090.15 पै. का हिसाब अभी बाकी है।

(2) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

डूंगरपुर ज़िले के तालाबों पर हुए कार्य की शिकायतें

260. **श्री महेन्द्र कुमार (पाड़वा)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग की अनियमित सीमेंट के स्टाक को जिला प्रशासन को सील करने का अधिकार नहीं है? यदि नहीं तो क्यों? यदि हां, तो मारगिया बांध पर सीमेंट की शिकायत जनता द्वारा किये जाने पर भी सीमेंट सील क्यों नहीं की गई।

(2) क्या भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच विभाग के संबंधित अधिकारी से ही कराने का प्रावधान है? यदि हां, तो क्या अधिकारी द्वारा स्वयं के विभाग में हुए भ्रष्टाचार की सही रिपोर्ट देने की राज्य सरकार उम्मीद रखती है?

(3) क्या भ्रष्टाचार निरोधक विभाग (एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट) द्वारा भ्रष्टाचार की सीधी जांच नहीं कराई जा सकती? यदि नहीं तो क्यों? यदि हां, तो डूंगरपुर जिले में मारगिया बांध, भागा मेमोर, भोइयों का नाका, धोड़ियों का नाका, आकरसोल मिलोद, बावा की बार तथा अमरपुरा के तालाबों पर हुए घोर भ्रष्टाचार की सीधी जांच क्यों नहीं कराई गयी?

(4) क्या सिंचाई खण्ड डूंगरपुर में व्याप्त घोर भ्रष्टाचार के संबंध में जिले से कोई शिकायत हुई? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई तथा इसके अनुसार किन कर्मचारियों एवं अधिकारियों को दंडित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सत्य है कि सिंचाई खण्ड डूंगरपुर में दिनांक 1-11-75 के पूर्व में निर्माण कार्य ठेकेदारों द्वारा कराये गये? यदि हां, तो क्या सीमेन्ट विभाग द्वारा पूर्ण तौर से उपलब्ध कराई गई? यदि नहीं तो क्या ठेकेदार को उनके द्वारा सीमेन्ट खरीदने के बिल प्राप्त कर भुगतान किया गया? यदि नहीं तो किन कारणों से व सीमेन्ट कहां से लाये?

उत्तर

(1) शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत में उल्लेखित Prima facie सिद्ध होने पर सिंचाई विभाग या अन्य किसी राजकीय विभाग के सीमेन्ट व अन्य वस्तुओं के स्टाक को सील करने या अधिकर जांच करने वाले समक्ष अधिकारियों को होता है जिसमें जिला अधिकारी भी शामिल हैं। मारगिया बांध पर सीमेन्ट के बारे में प्राप्त शिकायत में प्रस्तुत तथ्य सिद्ध नहीं होने से स्टाक को सील करने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) जी नहीं। शिकायतों की जांच किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा करवाई जा

(सिंचाई मंत्री)

सकती है। राज्य सरकार सक्षम अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट की होने की आशा रखती है चाहे वह जांच स्वयं विभाग के अधिकारी द्वारा कराई गई हो।

(3) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा आवश्यकता पड़ने पर जांच करवाई जा सकती है मारगिया भागामेमोर, भोईयों का नाका, घोड़ियों का नाका, शंकरसोल, सिशोद, बाबा की घार तथा अमरपुरा बांधों पर समय समय पर प्राप्त शिकायतों की जांच सक्षम अधिकारियों द्वारा करवाई गई है। शिकायतों में भ्रष्टाचार नहीं पाया गया। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग सीधी शिकायत प्राप्त होने पर भी कार्य कर सकता है।

(4) जो नहीं। कार्यवाही करने व कर्मचारियों व अधिकारियों को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(5) जिस अवधि में सीमेन्ट स्टोर में उपलब्ध होता है उस समय कार्य पर आवश्यक पूर्ण सीमेन्ट विभाग द्वारा दिया गया है। कुछ ठेकेदारों को अति आवश्यक कार्य के लिये सिमेन्ट का स्वयं प्रबन्ध करने की स्वीकृति दी गई थी, ऐसे ठेकेदार सीमेन्ट उदयपुर, सलुम्बर एवं डूंगरपुर सीमेन्ट विक्रेताओं से लाये हैं। बांसवाड़ा व उदयपुर खण्ड से भी 1200 सीमेन्ट वेग उपलब्ध हो सका था।

टेन्डर्स की शर्तों में सही लिखा गया है कि यदि सीमेन्ट विभागीय स्टोर में उपलब्ध हुआ तो कार्य के लिये सीमेन्ट विभाग देगा अतः सीमेन्ट उपलब्ध कराने हेतु विभाग बाध्य नहीं है फिर भी निर्माण से सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा, ठेकेदार द्वारा स्वयं का सीमेन्ट कार्य में लिया गया इसका प्रमाणीकरण के उपरान्त ही कार्य को चेक कर, ठेकेदार को कार्य का चुकारा दिया गया।

विभाग के गोपनीय दस्तावेज

261. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग के गोपनीय पत्रादि की प्रतिलिपि न्यायालय में पेश करने हेतु दी जा सकती है ? यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में किन किन व्यक्तियों को किन किन गोपनीय कागजातों की प्रतिलिपि दी गई ? सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि नियमों के अन्तर्गत कोई भी गोपनीय दस्तावेजों की प्रतिलिपि हैड आफ दी डिपार्टमेंट की बगैर इजाजत नहीं दी जा सकती ?

(3) क्या बगैर लिखित इजाजत गोपनीय दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेकर न्यायालय में पेश करना जुर्म है ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार कब तक नियमानुसार कार्यवाही करेगी ?

(4) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुये गोपनीय दस्तावेजों की प्रतिलिपि अनधिकृत रूप से प्राप्त कर न्यायालयों में पेश की है ? यदि हां तो किन किन अधिकारियों कर्मचारियों

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
ने पिछले 10 वर्ष में कब कब इस प्रकार की कार्यवाही की है ?

(5) क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों अधिकारियों के विरुद्ध जांच करवाकर दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों-अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । गत 5 वर्षों में गोप-कागजात की प्रतिलिपि किसी भी व्यक्ति को नहीं दी गई है ।

(2) राजकीय दस्तावेजों की प्रतिलिपियां नियमानुसार ही दी जाती है ।

(3) हां, ज्योंही मामला विभाग की जानकारी मे आता है । नियमानुसार दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है ।

(4) श्री शिवकुमार शर्मा ने शिकायत की है कि सर्वश्री लक्ष्मीनारायण गुप्ता वरिष्ठ लिपिक एवं सत्यनारायण मामोरिया लेखालिपिक द्वारा श्री आनन्दमोहन कुलश्रेष्ठ के इमरजेन्सी डिविजनल अकाउन्टेंट बन जाने के विरुद्ध की याचिका मे कुछ दस्तावेज की प्रतिलिपि उच्च न्यायालय में पेश की है, जिसकी जांच की जा रही है ।

(5) श्री लक्ष्मीनारायण वरिष्ठलिपिक एवं श्री सत्यनारायण लेखालिपिक का स्पष्टीकरण मांगा गया है और नियमित कार्यवाही की जा रही है ।

पांचना बांध (गम्भीरी) का कार्य

262. श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि गत वर्ष सदन में आश्वासन दिया गया था कि पांचना बांध (गम्भीरी) का कार्य इसी वर्ष में शुरू कर दिया जावेगा ?

(2) अगर हां, तो अब तक कार्य शुरू क्यों नहीं किया एवम् कब से कार्य शुरू कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) धनाभाव के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका । धन राशि उपलब्ध होने पर कार्य प्रारम्भ किया जावेगा ।

बांठड़ी से खाटू सड़क की बाढ़ से क्षति

263. श्री भोमाराम चौधरी (डीडवाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

नागौर जिले की डीडवाना तहसील में बांठड़ी से खाटू की चक से बनवासा, कोलिया से खुनखुना तथा डीडवाना से आकोदा जाने वाली सड़कों पर इस वर्ष बाढ़ से कितनी कितनी क्षति हुई एवं इन्हें ठीक करने हेतु कितनी कितनी राशि स्वीकार की है या की जा रही है ?

उत्तर

बांठड़ी से खाटू तथा कोलिया से खुनखुना सड़कें विभाग की मरम्मत सूची पर है, जिन पर बाढ़ क्षति क्रमशः 1,30 लाख व 1,00 लाख रुपये की आंकी गई थी । जिनकी साधारण मरम्मत विभागीय गैंग द्वारा बाढ़

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)
के पश्चात् की गई थी। धनाभाव के कारण मरम्मत हेतु धनराशि आवंटित किया जाना अभी सम्भव नहीं हुआ है।

चक से बनवासा तथा डिबबाना से प्राकोदा सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है।

तहसील विराटनगर में बांधों का सर्वे

264. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पणदो एवं लुहाकना के बंधों के निर्माण का निर्णय जिला स्तरीय कमेटी द्वारा गत वर्ष लिया गया था? यदि हां, तो सरकार इन बंधों को कब तक पूरा करने का इरादा रखती है?

(2) क्या यह सच है कि तहसील विराटनगर के अनेकों बांधों का सरकार द्वारा सर्वे कराया गया है? यदि हां, तो किस किस बांध का सर्वे कराया गया है और कब तक सरकार इन बांधों को पूर्ण करा सकेगी?

(3) क्या यह सच है कि साबी नदी व इन बांधों के निर्माण को प्राथमिकता देने का निर्णय किया है?

उत्तर

(1) जी हां। पणदो का तखमीना बन गया है जिसकी जांच की जा रही है और लुहाकना बांध का सर्वेक्षण कार्य चल रहा है।

(2) जी हां। सूची संलग्न है। तखमीनों की स्वीकृति होने पर व धनराशि उपलब्ध होने पर इन बांधों का कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।

(3) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट—14 देखिये)

सब-डिवीजन नीम का थाना के गांवों का विद्युतिकरण

265. श्री मालाराम (नीम का थाना): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नीम का थाना सब-डिवीजन में आर. ई. सी. की स्कीम के अन्तर्गत कितने गांवों में विद्युतिकरण किया गया है और कितने गांवों में करना बाकी है और बाकी कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा?

(2) नीम का थाना क्षेत्र में 1975-76 में कितने कुओं पर कनेक्शन दिये गये तथा कौन कौन से गांवों में कितने कितने?

उत्तर

(1) नीम का थाना आर. ई. सी. योजना के अन्तर्गत 24 ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है और 12 ग्रामों का विद्युतिकरण होना शेष है जो वर्ष 1976-77 में हो जायगा।

(2) वांछित सूचना संलग्न है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट—15 देखिये)

हरिजन एवं आदिवासियों की बस्तियों में विद्युत्

266. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़): क्या विद्युत्-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आपात्काल स्थिति से पहले राजस्थान में कितनी हरिजन और आदिवासी बस्तियों को विद्युत् दी गई थी? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) आपात्काल स्थिति के बाद कितनी आदिवासी और हरिजन बस्तियों को विद्युत् प्रदान की गई? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विभाग आपात्काल स्थिति के बाद भी हरिजन और आदिवासी बस्तियों को विद्युत् देने में असफल रहा है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान में जून, 1675 तक 1173 हरिजन और आदिवासी बस्तियों में सुविधा दी गई। जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) जुलाई, 1975 के बाद जिन बस्तियों को विद्युत् सुविधा दी गई है, उनकी जिलेवार उपरोक्त सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं। ग्रामीण विद्युतिकरण निगम द्वारा स्वीकृति दी योजनाओं की 204 हरिजन और आदिवासी वस्तियों के विद्युतिकरण का कार्य चालू है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट—16 देखिये)

डाई नदी पर बांध बनाने की योजना

267. श्री चतरभुज (टोडारायसिंह): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील केकड़ी जिला अजमेर में डाई नदी पर बांध बनाने (सिंचाई) का इरादा रखती है।

(2) यदि हां, तो इस बांध की सिंचाई कितने क्षेत्रफल में होगी तथा इस बांध की क्षमता कितनी होगी व गहराई कितने फुट होगी?

(3) क्या इस बांध को बनाने से आबादी वाले गांव उठेंगे? अगर उठेंगे तो कौन कौन से गांव उठेंगे?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अभी सर्वेक्षण कार्य चल रहा है पूरा होने पर कुछ कहना सम्भव होगा।

(3) सर्वे के परिणाम के पश्चात् ही इस संबंध में कुछ कहा जा सकेगा।

सिर पर मैला ढोने की प्रथा

268. श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवा महल, जयपुर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य की कितनी नगरपालिकायें ऐसी हैं जिनमें सिर पर मैला उठाने की प्रथा समाप्त करदी गई है?

(2) सिर पर मैला उठाने की प्रथा समाप्त किये जाने की दिशा में सरकार ने

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
क्या योजना बनाई है और यह प्रथा कब तक बिल्कुल समाप्त कर दी जावेगी ?

(3) गांधी जन्म शताब्दी वर्ष में कहां कहां इस प्रथा को समाप्त किया गया है ?

(4) राजस्थान से इस प्रथा को समूल रूप से समाप्त करने के लिये कितनी धन-राशि की आवश्यकता है ?

(5) क्या राज्य सरकार ने इस प्रथा को समाप्त करने के लिये भारत सरकार से अनुदान मांगा है ?

(6) क्या यह सही है कि इस प्रथा को समाप्त करने के लिए मलकानी कमेटी की रिपोर्ट पर 16 लाख रुपये के व्हील-बेरोज खरीदे गये थे जो आज भी बेकार पड़े हैं ? इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किया गया है ?

(स्थगित किया गया)

राष्ट्रीयकृत मार्गों की ड्राफ्ट स्कीम

269. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में अब तक जिन-जिन मार्गों का राष्ट्रीयकरण हुआ है या राष्ट्रीयकरण करने की योजना है, उनकी ड्राफ्ट स्कीम कब-कब प्रकाशित की गई ?

(2) राष्ट्रीयकृत मार्गों की अन्तिम योजना (फाइनल स्कीम) कब-कब प्रकाशित की गई और परिवहन निगम की गाड़ियां कब-कब चालू हुईं ?

(3) क्या यह सही है कि ड्राफ्ट स्कीम और गाड़ियां चालू होने के बीच जो समय लगा वह आवश्यकता से अधिक था ? यदि हां, तो प्रत्येक के क्या-क्या कारण थे ?

(4) स्कीम की त्रुटियां होने के कारण कितना विलम्ब हुआ ? इन त्रुटियों के लिये दोषी कौन-कौन हैं व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(स्थगित किया गया)

भूमिहीन कृषि मजदूरों को रोजगार देने की योजना

270. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी-नगर, जयपुर) क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितने भूमिहीन कृषि मजदूर है ? क्या इसका कोई सर्वेक्षण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? यदि हां, तो कब, किसके द्वारा ? कृपया सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन भूमिहीन कृषि मजदूरों को रोजगार देने की क्या योजना है ?

(3) क्या कृषि मजदूरों की मजदूरी, छुट्टी, कल्याण, विवाद निपटारा आदि के लिये औद्योगिक मजदूरों की भांति ही कानूनी व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या है और नहीं, तो क्यों नहीं ? इस सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

राज्य पथ परिवहन निगम के सेवा मुक्त अधिकारी एवं श्रमिक

271. श्री राम सिंह कुड़ी (जायल) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने तारीख 26-6-75 से तारीख 28-2-76 तक किन–किन प्रशिक्षणार्थियों को किन-किन चार्जेज पर किस-किस तारीख को सेवामुक्त कर दिया एवं ऐसा किन सेवा नियमों के अन्तर्गत किया? कृपया विवरण तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने तारीख 26-6-75 से तारीख 28-2-76 तक किन सेवारत अधिकारियों एवं श्रमिकों को सेवामुक्त किस-किस तारीख से किया एवं ऐसा किन सेवा नियमों के अन्तर्गत किया? कृपया विवरण तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में प्रशिक्षणार्थियों एवं रेगुलर सर्विस में लगे अधिकारियों एवं श्रमिकों के विरुद्ध किन-किन सेवा नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाहियां की जाती हैं? कृपया सेवा नियमों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

राज्य पथ परिवहन निगम के सेवा नियम

272. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कार्यरत किन-किन पदों के लिए कौन-कौन से सेवा नियम कब-कब से लागू हैं?

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में आई.ए.एस., आर.ए.एस. या आर.पी.एस. या आर.ए.सी.एस. अधिकारियों के अलावा कौन कौन से पद हैं एवं उनकी वेतन श्रृंखलायें क्या हैं एवं तारीख 28–2–76 तक कितने पद थे?

3. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कौन कौन अधिकारी डेपुटेशन पर हैं एवं उन्हें वेतन के अतिरिक्त डेपुटेशन भत्ता किस नियम के अन्तर्गत कितना कितना मिलता है?

(4) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में अधिकारियों एवं श्रमिकों के जो भी पद हैं, उनमें नियुक्तियां, अनुशासनात्मक कार्यवाहियां एवं सेवा मुक्ति के लिए किन किन सेवा नियमों के अन्तर्गत बने किन किन नियमों के अन्तर्गत प्रावधान किये हुए हैं? कृपया प्रत्येक पद के लिए लागू सेवा नियमों के नाम एवं निगम को क्रम संख्या बताने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कार्यरत निम्नलिखित पदों के लिए निम्नलिखित नियम लागू हैं :–

1–राजस्थान राज्य पथ परिवहन श्रमिक स्थाई आदेश, 1965:–

चालक, परिचालक एवं वरिष्ठ कार्यवश से नीचे के समस्त यान्त्रिक पद । सहायक

(यातायात मंत्री)
आगार प्रबन्धक, यातायात निरीक्षक, स्थान प्रभारी, सहायक यातायात निरीक्षक, पत्रक वितरक, रोकड़ सम्बन्धी कार्य करने वाले समस्त आगार लिपिक, समय पालक, वाटरमेन, चौकीदार तथा कार्यशाला में कार्यरत अन्य कर्मचारी जैसे वरिष्ठ लेखक, कनिष्ठ लेखक, चपरासी, चौकीदार आदि जिनकी सेवायें यातायात सचालन हेतु प्रयोग में आती हैं।

2—राजस्थान राज्य पथ परिवहन कर्मचारी सेवा नियम, 1965:—

मुख्य यान्त्रिक अभियन्ता। कार्य व्यवस्थापक, सहायक प्रधान प्रबन्धक, श्रम कल्याण अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी, लेखाधिकारी, स. लेखाधिकारी, तकनिकी सहायक, मुख्य यांत्रिक अभियन्ता, सहायक यांत्रिक अभियन्ता, भण्डार अधिकारी, सहायक प्रादेशिक प्रबन्धक, आगार प्रबन्धक, लेखाकार, कार्यालय अधीक्षक, कार्यालय सहायक, सहायक सांख्यिकी, श्रम कल्याण निरीक्षक, शीघ्र लिपिक, अविदर्शक सहायक अभियन्ता, लेखालिपिक, क. लेखाकार, वरिष्ठ लेखक, क. लेखक, भण्डार अधीक्षक, ड्राफ्ट्समैन, चपरासी, साईकिल सवार, स्वीपर आदि जो स्थाई आदेशों से शासित नहीं होते हैं।

जो अधिकारी राज्य सरकार से डेपुटेशन पर कार्यरत है, उनकी टर्म्स एण्ड कण्डीशन राज्य सरकार द्वारा ही भेजी जाती हैं।

स्थाई आदेश दिनांक 17—8—65 से तथा सेवा नियम दिनांक 16—8—65 से लागू हुए हैं।

(2) निगम मे स्वीकृत पदों व उनकी वेतन श्रृंखलाओं की सूची संलग्न है। इन पदों में से अध्यक्ष, प्रधान प्रबन्धक व मुख्य लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति के अधिकार सरकार को हैं।

(3) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से संलग्न मानचित्र में दिये गये अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं एवं उन्हें वेतन के अतिरिक्त 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता राज्य सरकार के आदेशानुसार दिनांक 1—7—74 से देय है। राज्य सरकार ने अब इस आदेश में संशोधन कर दिया है जिसके अनुसार जिन अधिकारियों का स्थानान्तरण इसी स्थान पर हुआ है उन्हें 1—3—76 से से 10 प्रतिशत ही प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होगा।

(4) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में जो कर्मचारी फैक्ट्रीज एक्ट एवं मोटर ट्रांसपोर्ट वर्क्स एक्ट के अन्तर्गत कार्य करते हैं, उनकी सेवाएं निगम में स्थाई आदेशों के तहत शासित होती हैं, उक्त आदेशों की धारा 34 के अन्तर्गत कर्मचारी श्रमिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है और उक्त आदेश के अन्तर्गत दण्ड दिया जाता है। जिन कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवायें राजस्थान राज्य पथ परिवहन कर्मचारी सेवा नियम के अन्तर्गत शासित होती हैं उनकी नियुक्ति सेवा नियम की धारा 118 के तहत दी जाती है और इस नियम के अन्तर्गत शासित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक

(यातायात मंत्री)

कार्यवाही करने हेतु सेवा नियम में कोई प्रावधान नहीं है, इससे ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही निगम के इस निर्णयानुसार कि जब तक निगम अपने नियम नहीं बना लेता है तब तक राज्य सरकार के नियमों में निहित सिद्धान्तों का अनुसरण किया जावे। राज्य सरकार के सी. सी. ए. रूल्स के अनुसार की जाती है और इसी के अन्तर्गत दण्ड इत्यादि दिये जाते हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड

273. श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का गठन किस वर्ष, किस उद्देश्य से किस विधि के अधीन किया गया ?

(2) उक्त बोर्ड की क्या-क्या योजना गतिविधियां उपलब्धि वर्ष 1975-76 तक रही व इसके लिये धन-उपलब्धि का दायित्व किस पर रहा ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त बोर्ड या बोर्ड के प्रोजेक्ट में कार्यरत कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की श्रेणीवार, के अनुसार वेतन, भत्ते, सेवा निवृत्ति के बाद के लाभ मिलने चाहिये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि बोर्ड के प्रोजेक्ट के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को न तो भविष्य निधि का लाभ मिला है और न ही पेन्शन ? यदि हां, तो इसका उत्तरदायित्व किस पर है और ऐसे कर्मचारियों को वृद्धावस्था में जीवनयापन के लिए कोई सुविधा देने की राज्य सरकार की क्या नीति है ?

(5) क्या राज्य समाज कल्याण बोर्ड के कर्मचारी और बोर्ड के प्रोजेक्ट में कार्यरत कर्मचारियों में वेतन, भत्ते व सेवा निवृत्ति पश्चात् मिलने वाले लाभ व इनसे सम्बन्धित शर्तों में अन्तर है ? यदि हां, तो क्यों और इसका उत्तरदायित्व किस पर है ?

(6) क्या बोर्ड के अन्तर्गत चलने वाले प्रोजेक्ट के कर्मचारियों को बोर्ड के कर्मचारियों के समान सुविधायें उपलब्ध कराना राज्य सरकार उचित समझती है ? यदि हां, तो राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का गठन नवम्बर, 1954 में केन्द्रीय सरकार की सिफारिश पर मंत्री मण्डल के निर्णयानुसार किया गया है। राज्य बोर्ड के उद्देश्य संबंधी सूचना संलग्न है।

(2) वर्ष 1974-75 तक बोर्ड का विभिन्न प्रवृतियों, गतिविधियों एवं उपलब्धियों आदि का प्रगति प्रतिवेदन संलग्न है। राज्य बोर्ड की योजनाओं के अनुदान कार्यक्रमों हेतु शत प्रतिशत धन केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा सीधा ही राज्य बोर्ड को उपलब्ध कराया जाता है।

Page No 46

(46)

(समाज कल्याण मंत्री)
कल्याण योजना (सी. डी.) व समाज कल्याण योजना (सीमावर्ती क्षेत्र) के व्यय पर केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा राज्य सरकार के हिस्सा राशि का अनुपात 2:1 तथा परिवार एवं बाल कल्याण योजनाओं (तीन) का शत प्रतिशत व्यय भार राज्य सरकार वहन कर रही है।

(3) जी नहीं। यह कर्मचारी राज्य कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आते हैं।

(4) जी हां। क्योंकि यह कर्मचारी राज्य कर्मचारी नहीं है। अतः इनका उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर नहीं है।

(5) बोर्ड और प्रोजेक्टों के कर्मचारियों को समाज वेतन व भत्ते ही दिये जाते हैं। केवल फर्क यह है कि बोर्ड के कर्मचारियों को भविष्य निधि का लाभ 1–4–69 से दिया जा रहा है। प्रोजेक्ट के कर्मचारियों का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(6) प्रोजेक्ट एवं बोर्ड के कार्यालय कर्मचारियों को समान सुविधायें प्राप्त कराने के लिये प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

पंचायत समिति सांचोर को पीने के पानी हेतु राशि का आवंटन

274. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)। क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार की पंचायत समितियों को ग्रामीण सार्वजनिक कूप एवं हौज निर्माण हेतु कुछ रकम दिलाने की नीति है? अगर हां, तो इसके तहत पंचायत समिति सांचोर को अब तक पीने के पानी हेतु रकम क्यों नहीं आवंटित की गई है?

(2) अब पंचायत समिति सांचोर को पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु कब तक कितनी धनराशि विभाग द्वारा दी जावेगी?

(3) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति क्षेत्र सांचोर में कई सार्वजनिक पीने के पानी के कुए टूटे हुए हैं जिनकी मरम्मत करवाना आवश्यक है? अगर हां, तो उनकी मरम्मत हेतु कब तक कितनी धनराशि आवंटित कर दी जावेगी?

(स्थगित किया गया)

अनुसूचित जाति/जन जाति के लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता

275. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (गांधीनगर जयपुर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति एवं जन जाति को निःशुल्क कानूनी सहायता देने के लिये राज्य सरकार की ओर से विभिन्न जिलों के स्तर पर अधिवक्ता नियुक्त किये गये हैं? यदि हां, तो कब से, किन-किन जिलों में और किस किस वेतन पर? कृपया ऐसे अधिवक्ताओं के

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)
नामों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त नियुक्त किये गये अधिवक्ताओं ने उनकी नियुक्ति के समय से लगाकर अब तक अनुसूचित जाति एवं जन जाति के कोई भी अभियोजन निःशुल्क पैरवी के लिए नहीं लिये ? यदि हां, तो कृपया ऐसे अभियोजन, जो अधिवक्ताओं ने पैरवी के लिये लिए हों, की सूची प्रत्येक जिले स्तर की सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 1975–76 से अनुसूचित जाति व जन जाति के व्यक्तियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को कानूनी सहायता देने का कार्य अब विधि विभाग द्वारा किया जाता है।

(2) इसका संबंध अब विधि विभाग से है।

नठारा की पाल (तहसील सराड़ा) की सड़क का कार्य

276. श्री देवीलाल (सराड़ा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या जिला उदयपुर तहसील सराड़ा में नठारा की पाल की सड़क रेलवे स्टेशन जयसमन्द रोड से थाना, नठारा कला माडली करमा तालाब, बामनिया होकर जावर माइन्स को जोड़ने वाली एप्रोच सड़क आदिवासी क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत ली गई है ? यदि हां, तो इसका कार्य कब प्रारम्भ होने वाला है ?

(स्थगित किया गया)

जयपुर से टोडारायसिंह मार्ग पर निगम की बसें

277. श्री चतरभुज (टोडारायसिंह): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर से टोडारायसिंह रोड पर कब से डामर किया गया तथा कितनी बसें उस पर प्रतिदिन चलती हैं ?

(2) जयपुर से केकड़ी राजस्थान राज्य पथ परिवहन की बसें कब से चालू की गईं और इससे टोडारायसिंह को क्यों वंचित रखा गया ?

(3) जयपुर से टोडारायसिंह तक निगम की बसें चालू करने में सरकार का क्या इरादा है ? यदि हां, तो कब तक और कितनी बसें चालू कराने का इरादा है ?

उत्तर

(1) जयपुर से टोडारायसिंह सड़क पर डामर कार्य वर्ष 1958–59 से 1968–69 की अवधि में हुआ है। इस मार्ग पर प्रतिदिन 2 बसें कच्चे रास्ते होकर चलती हैं।

(2) निगम की बसें दिनांक 20-3-74 से चालू की गई हैं। टोडारायसिंह राष्ट्रीयकृत मार्ग पर नहीं होने से इस स्थान पर निगम की बसें नहीं प्रारम्भ की गईं।

(3) इस मार्ग पर दिनांक 26-2-76 से एक वाहन चालू कर दी है जो जयपुर

(यातायात मंत्री)
से सायंकाल साढे–छः बजे जाती है एवं टोडारायसिंह से सुबह साढे–पांच बजे वापिस रवाना होती है। निगम द्वारा इस मार्ग हेतु दो अनुज्ञा–पत्र प्राप्त कर लिये गये हैं।

मान्यता प्राप्त पाठशालाओं को अनुदान

278. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदार पुरा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सत्य है कि उम्मेद कन्या माध्यमिक विद्यालय, सोजती गेट, जोधपुर को 1969 के वर्ष में उच्चतर प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक राजकीय मान्यता प्राप्त होने पर क्रमोन्नत किया गया? यदि नहीं, तो कब से?

(2) क्या यह राज्य सरकार की नीति है कि मान्यता प्राप्त होने के पांच वर्ष पश्चात् नई पाठशालायें, कक्षायें या विषय खोलने के व्यय का 50% अनुदान के रूप में दिया जाय?

(3) उपरोक्त पाठशाला को मान्यता प्राप्त होने से लगभग 7 वर्ष पूरे होते हुए भी उसे नवीं एवं दसवीं कक्षाओं के व्यय के अनुपात से कोई अनुदान अब तक क्यों नहीं दिया गया एवं भविष्य में कब से और कितना देना प्रारम्भ किया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राज्य की वर्तमान नीति है कि मान्यता प्राप्त होने के पांच वर्ष पश्चात् 50 प्रतिशत पर अनुदान स्वीकृत किया जाय।

(3) इस शाला में माध्यमिक कक्षाएं पूर्ण रूप से जुलाई, 1970 में ही खोली गई हैं और अभी तक जुलाई, 1969 तक मान्यता प्राप्त संस्थाओं को अनुदान सूची पर लेने की कार्यवाही विचाराधीन है।

नरवलदास का खोला (जयपुर) का खनिज एरिया

279. श्री शंकरसिंह (नसीराबाद) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि खनिज अभियन्ता, जयपुर द्वारा क्रमांक ख आज सी. सी. II एस.टी. अल्पावधि अनुमति पत्र का प्रमाणित प्रपत्र (स्टेण्डर्ड फार्म) एम. एम. सी. आर. 1959 नियमों के नियम 56 के अन्तर्गत श्री काना पुत्र श्री दीना कौम बलाई को नरवलदास का खोला में 150 टन खोदने तथा हटाने की अनुमति प्रदान की है?

(2) क्या यह भी सही है कि यह भूमि वन विभाग की है?

(3) क्या यह भी सही है कि खनिज विभाग ने इस एरिया को खनिज एरिया घोषित नहीं किया था?

(4) क्या यह भी सही है कि अनुमति प्रपत्र की प्रति वन संरक्षक, जयपुर

(श्री शंकरसिंह रावत)
को नहीं दी ? यदि हां, तो क्या ऐसी स्थिति में जो खनिज वालों को हानि होगी, खनिज विभाग इसकी जुम्मेदारी लेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, चाहे भूमि वन विभाग की है। अगर भूमि में खनिज उपलब्ध है तो खनिज विभाग उसमें अनुज्ञा स्वीकृत करने का अधिकार रखता है। नरबल दास का खोला में खनन कार्य बहुत लम्बी अवधि से होता आ रहा है।

(3) जी नहीं, खनिज विभाग को किसी भी खनिज उपलब्ध क्षेत्र को खनिज क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। समस्त क्षेत्रों में उपलब्ध खनिज सम्पदा पर खनन स्वीकृति करने का एक मात्र खनिज विभाग को ही अधिकार है।

(4) जी नहीं, खनन कार्य में वन विभाग द्वारा आपत्ति के सम्बन्ध में सर्व प्रथम ही कानाराम द्वारा शिकायत दिनांक 3-3-76 प्राप्त होने पर वन मण्डल अधिकारी, जयपुर को उसी दिन खनन कार्य की स्वीकृति की सूचना दे दी गई थी।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 19-3-76)

ग्राम पंचायत बंधनाऊ (सरदार शहर) में कब्जा हटाने के मामले

77. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायत बंधनाऊ, तहसील सरदारशहर, जिला चूरू में जनवरी, 1975 में ऐसे कितने सामान्य प्रशासन या अन्य तरह के कितने मामले थे, जिनमें पुलिस की मदद लेकर कब्जा हटाया गया ? सूची नाम वार सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त मामलों में पंचायत द्वारा कब-कब पार्टियों को नोटिस दिया गया तथा उन्होंने क्या जवाब दिया ? प्रतियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) उक्त मामलों में पंचायत द्वारा कब्जा उठाने के लिये पुलिस एवं सब-डिवीजनल ऑफिसर चूरू को कब कब लिखा गया तथा आवश्यक मदद कब प्राप्त हुई ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि ये कब्जे श्री हणूतमल प्रधान ने ही पुलिस को व नायब तहसीलदार को अपने साथ लाकर तुड़वाये ?

(5) यह भूमि आबादी की थी या अन्य नजूल भूमि या कृषि की ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 19-3-76)

मेहरात जाति के लोगों की पुलिस में भर्ती

80. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य की पुलिस सेवा में पिछले 5 वर्ष में कितने लोगों की भर्ती की गई ? हर वर्षवार एवं पदवार ब्योरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री केशरीमल)

(2) उक्त अवधि में भर्ती किये गये लोगों में मेहरात जाति के लोगों की संख्या कितनी है ? हर वर्ष का अलग-अलग ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि मेहरात जाति को पुलिस में व फौज में भर्ती नहीं किया जा रहा ?

(4) क्या यह सही है कि वर्षों से यह आवाज उठाई जा रही है कि इस जाति के नव जवानों को पुलिस व फौज में भर्ती के आदेश सरकार दिलाये और केन्द्र सरकार को निवेदन करे ? क्या राज्य सरकार ने ऐसा किया, नहीं तो क्यों ? क्या राज्य सरकार आगे आने वाले समय में इस जाति के लोगों की भर्ती की व्यवस्था करायेगी और लगाई गई रोक को हटायेगी ?

उत्तर

(1) ब्यौरा संलग्न है।

(2) मेराहत जाति के लोगों की भर्ती के बारे में पृथक से विवरण नहीं रखा जाता है; अतः वांछित विवरण प्रस्तुत किया जाना सम्भव नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के अलावा अन्य जाति के लोगों के लिये सरकारी नौकरी में भर्ती के लिये आरक्षण किया जाने का कोई प्रावधान नहीं है और फिलहाल इस प्रकार का आरक्षण करने का राज्य सरकार का कोई विचार नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट—17 देखिये)

सदन की मेज पर रखा गया पत्र प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : यातायात मंत्री।

सदन की मेज रखा जाने वाला पत्र

श्री मोहनलाल छंगाणी (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पथ परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35 (3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1973-74 को सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री रामानन्द अग्रवाल : (अलवर) : प्वोन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। माननीय मन्त्रीजी ने अभी 73—74 का प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखा है जब कि प्रावधान के अनुसार प्रत्येक वर्ष का प्रतिवेदन उसी वर्ष में रखा जाना चाहिए। 74—75 के वर्ष का पेन्डिग है। उसको माननीय मंत्री जी कब रखना चाहते हैं ? गलती हुई है, वह माने और आश्वासन दे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जल्दी से जल्दी रखूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गलती नहीं मानी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा जयपुर-सीकर रूट पर अनियमितता

श्री उपाध्यक्ष : यस। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री झाबरमल सूण्डा।

श्री झाबरमल सूण्डा (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तो कार्य सचालन

(श्री कंवरलाल सूंडा)
संबंधी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा जयपुर सीकर रूट पर सवारियां न उठाने तथा फतेहपुर सीकर रूट पर किराया अधिक करने के बारे में परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : परिवहन मंत्री।

श्री मोहनलाल छंगाणी (यातायात मंत्री): जयपुर—सीकर व सीकर—झुंझुनू मार्ग का दिनांक 5-6-75 से तथा सीकर—फतहपुर मार्ग का तारीख 13-9-74 से राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण से पूर्व व पश्चात् उपरोक्त स्थानों के लिए निम्न वाहनें चलाई जा रही हैं:—

मार्ग का नाम	राष्ट्रीयकरण से पूर्व परिचक्रों की संख्या	राष्ट्रीयकरण के पश्चात् परिचक्रों की संख्या
जयपुर-सीकर	41	45
सीकर-फतहपुर	25	25
सीकर-झुंझुनू	25	28

निजी बसें छोटे साइज की होती थीं जब कि निगम की बसें 52 सीटों की हैं।

जयपुर से सीकर व सीकर से फतहपुर के बीच मौजूदा समय में क्रमशः 15 एवं 30 से 40 मिनट के बाद निगम की बसें उपलब्ध कराई जा रही हैं।

इसके अतिरिक्त निम्न स्थानों को सीधी बस सेवाओं के जरिये जयपुर से जोड़ा गया है :—

1. जयपुर—चूरू वाया फतहपुर-लक्ष्मणगढ़
2. जयपुर—राजगढ़ वाया पिलानी
3. जयपुर—कूदन वाया सीकर
4. जयपुर—मंडावर वाया सीकर
5. जयपुर—सुजानगढ़-लाडनूं
6. जयपुर—सरदार शहर
7. जयपुर—गंगानगर
8. जयपुर—हनुमानगढ़

यह सुविधा राष्ट्रीयकरण से पूर्व इस क्षेत्र की जनता को उपलब्ध नहीं थी।

इसके अलावा इन मार्गों पर दो रात्रि सेवा जो निम्न स्थानों को जोड़ती हुई चलाई गई हैं तथा पांच द्रुतगामी सेवायें संचालित की जा रही हैं जिससे यात्रियों के समय की बचत हो सके।

रात्रि सेवायें

जयपुर—बीकानेर वाया रतनगढ़

जयपुर—पिलानी वाया झुंझुनू

चालकों द्वारा निर्धारित बस स्टाप्स के ऊपर बसों को न रोकने एवं यात्रियों को न बिठाने के संबंध में जब जब भी निगम को शिकायतें मिली हैं तब इस संबंध में तुरन्त कार्यवाही की गई है। स्वयं निगम के अध्यक्ष द्वारा जनवरी, 1976 में सभी चालकों एवं परिचालकों के नाम परिपत्र जारी किया गया है जिसमें उन्हें मार्गों के सभी निर्धारित बस स्टेण्ड्स पर बसों को रोक कर यात्रियों को बस में चढ़ाने का अवसर प्रदान करने के लिए आदेश दिये गये थे तथा इन आदेशों की पालना न करने वालों को कठोर सजा देने के लिए भी

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

चेतावनी दी गई थी। यह आदेश छपवा कर प्रत्येक चालक एवं परिचालक को दिया गया ताकि इनकी पालना करवाई जा सके। अनुबंधित बसों के बारे में भी इस प्रकार की शिकायत मिली थी और सभी बसों के मालिकों को व्यक्तिगत रूप से जनवरी, 1976 में निर्देशित कर दिया गया कि उनको बस का चालक इस सूरत में निर्धारित बस स्टाप पर बस रोकेगा। यहां तक कि यदि परिचालक गाडी रोकने का इशारा न भी करे तब भी उन्हें बस रोकनी पड़ेगी। जहां कहीं भी विशिष्ट शिकायतें चालकों के खिलाफ बस न रोकने के बारे में प्राप्त हुई हैं वहां कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई गई है। माननीय सदस्य द्वारा मौलिक रूप से दिनांक 10 फरवरी, 1976 को बस न रोकने के बारे में शिकायत की थी जिस पर उसी उसी दिन प्रधान प्रबन्धक ने सम्बन्धित चालक को निलम्बित कर उसके खिलाफ विभागीय जांच प्रारम्भ करने एवं दण्डित करने के लिए आदेश प्रदान कर दिये थे तथा उस पत्र की प्रतिलिपि माननीय सदस्य महोदय को भी भिजवा दी गई थी। भविष्य के लिए भी यह स्पष्ट आदेश दिये गये हैं कि जहां कहीं चालकों एवं परिचालकों द्वारा निर्धारित बस स्टाप पर वाहन न रोकने की विशिष्ट शिकायतें प्राप्त हों तो उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। निगम ऐसे मामलों में किसी प्रकार की रियायत नहीं करना चाहता।

इसके अतिरिक्त निगम ने अखबार में भी विज्ञापन दिनांक 6-1-76 व 18-2-76 के जरिये आम जनता से यह प्रार्थना की है कि व ऐसे मामलों से निगम को अवगत करायें ताकि कठोर कार्यवाही अमल में लाई जा सके व इस प्रकार की शिकायत दूर की जा सके।

निगम द्वारा जयपुर से कूदन बस सेवा प्रारम्भ की गई है। यद्यपि से कूदन का मार्ग राष्ट्रीयकृत नहीं है फिर भी कूदन के निवासियों को जयपुर के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध कराने हेतु निगम ने यह संचालन प्रारम्भ किया है। सीकर से कूदन के लिए भी एक बस सेवा प्रारम्भ की गई है ताकि कूदन जाने वाले यात्रियों को अधिक सुविधा दी जा सके। ये दोनों बस सेवायें स्थानीय जनता की मांग पर प्रारम्भ की गई हैं।

निगम द्वारा 1 जनवरी, 1976 से डिनोमिनेशन टिकट प्रणाली प्रारम्भ की गई है। इस प्रणाली के अन्तर्गत 5 किलोमीटर की एक स्टेज निर्धारित की गई है तथा 5 किलोमीटर से ऊपर की दूरी दूसरी स्टेज में गिनी जाती है। एक स्टेज का न्यूनतम किराया यात्रा कर सहित 0.70 पैसे होता है। राज्य सरकार द्वारा एक किलोमीटर का साधारण बस सेवा का किराया 4 पैसे निर्धारित किया गया है, 35 प्रतिशत यात्री कर अतिरिक्त लगता है। किराये की राशि का गुणन करने के बाद 10 पैसे के गुणनखण्ड में यात्री द्वारा देय राशि निर्धारित की जाती है।

सीकर से फतहपुर की दूरी 52 किलोमीटर है जिसके 11 स्टेज बनते हैं तथा उपरोक्त प्रणाली से 3.00 किराया बनता

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

है। सीकर से कूदन की दूरी 24 किलोमीटर है जिसकी 5 स्टेज बनती हैं तथा उपरोक्त पद्धति से 1.40 किराया बनता है। यही किराया निगम द्वारा वसूल किया जा रहा है।

लक्ष्मणगढ़ के निवासियों की ओर से यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि सीकर से लक्ष्मणगढ़ की दूरी 30 किलोमीटर है। अत: उसमें जांच करवा कर दुरुस्ती की गई। पहले सीकर से लक्ष्मणगढ़ का किराया 1.90 वसूल किया जाता था, दुरुस्ती के बाद सीकर से लक्ष्मणगढ़ का किराया 1.60 लिया जाता है।

श्री झाबरमल सुंडा : उपाध्यक्ष महोदय, परिवहन मंत्रीजी ने जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दिया इन बातों पर गम्भीरता से····

श्री उपाध्यक्ष : आपके दो मुद्दे हैं, एक तो किराया कम होने का और दूसरे सवारियां उठाने का—इनके बारे में पूछें क्या पूछना है ?

श्री झाबरमल सुंडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें यह चाहता था कि जो संगठन है कारपोरेशन का उसमें आर. ए. एस. और आई. ए. एस. अधिकारी हैं और कोई किसी से बात नहीं करता और जो कर्मचारी होते हैं उनमें और चेयरमैन में इतनी दूरी हो जाती है कि वास्तविक कठिनाइयों का निराकरण नहीं होता इसलिए मेरा मंत्री महोदय को कहना है कि ऐसे डिपो के मैनेजर पब्लिक के आदमी को बनाया जाये। इसके बाद में मेरा कहना यह है कि सिगनल देने के बावजूद भी आपने कहा कि बसें रोकी जाती हैं लेकिन ऐसा नहीं है। लगातार सिगनल देने के बावजूद भी बसें नहीं रोकी जाती हैं। तो यह निगम बना दिया जाये कि जैसे हर स्टेशन पर बिना सिगनल दिये और चाहे सवारियां हों या नहीं हों, ट्रेन रुकती है उसी प्रकार बसों को भी हर स्टेण्ड पर स्टाप पर रुकना चाहिए और सिगनल देने पर तो रुक ही जाना चाहिए।

तीसरे निगम में बसों की कमी है या बहुतायत है यह मैं नहीं जानता, लेकिन सीकर से उदयपुर एक बस जाती है। इसमें मेरा कहना है कि सीकर से उदयपुर का संबंध कोई हिस्ट्री की वजह से हो सकता है लेकिन सीकर से उदयपुर जाने वाले लोग होते नहीं और यह बस 32 मील तक किसी को बिना लिफ्ट किये हुए ही रींगस आ जाती है। यह समझ में नहीं आता कि क्या है ? जब कि सीकर से सीधी उदयपुर की सवारियां तो होती नहीं हैं तो फिर रास्ते में वह क्यों नहीं रुकती ? इसलिए इसको सीकर से जयपुर तक तो लोकल बनाना चाहिए और फिर चाहे उसको एक्सप्रेस बनायें या डी-लक्स बनायें या कुछ भी बनायें। लेकिन एक डिपो से दूसरे डिपो तक लोकल रन करनी चाहिए। इसके अलावा वहां से तीन चार घण्टे तक एक्सप्रेस गाड़ियां ही चलती हैं और उसके बीच में कोई लोकल बस नहीं चलती। तो निगम चाहता है कि सुविधायें दी जायें लेकिन फिर भी लोगों को बसें मुहैय्या नहीं हो रही हैं तो मैं यह चाहता हूं कि दो एक्सप्रेस के बीच में लोकल बसें जरूर दी जायें ताकि सवारियां एक जगह इकट्ठी नहीं हों।

(श्री झाबरमल सुंडा)

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, जब लाइट चली जाती है तो बुकिंग विन्डो बन्द हो जाती है और वहां से टिकिट नहीं मिलती है। मैं एक बार गया हूं तो लाइट चली जाने से बुकिंग बन्द करदी गई। तो इस हालत में बुकिंग क्लर्क के पास ऐसे साधन रखने की चेष्टा की जाये जिससे कि बुकिंग होती रहे।

दूसरे यह भी है कि एक एक स्टेण्ड से चार, पांच और सात-सात बसें सीकर के लिए जाती हैं तो उसके टिकिट लेने के लिए पिलानी वाले भी खड़े होंगे तो रींगस वाले भी खड़े होंगे। रींगस जाने वाले आगे और पिलानी जाने वाले पीछे खड़े हैं तो, सभापति महोदय, पीछे वाले को पिलानी की टिकिट कैसे मिलेगी और पिलानी बस पहले जाती है तो बुकिंग क्लर्क उसको पहले टिकट कैसे देगा। तो उसको परेशानी हो सकती है। इसलिए इस सिस्टम को इस तरह से मैनेज किया जाये कि फर्स्ट कम को भी तकलीफ नहीं हो और लेट आया हो उसको भी तकलीफ नहीं हो। बस जा रही हो तो पिलानी जाने वाले के लिए कोई विकल्प होना चाहिए। अगर विन्डो की संख्या ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है तो उसके लिए कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा भी होता है कि बुकिंग क्लर्क जिसको इच्छा करती है उसको टिकिट देता है और जिसको इच्छा नहीं करती उसको टिकिट नहीं देता। एक बार मैं सीकर से जयपुर आ रहा था तो पलसाना के सरपंच भी खड़े थे तो उनको टिकिट नहीं दिया। वह कहने लगा कि जयपुर की दूंगा। इसलिए ऐसा होना चाहिए कि जो आदमी विन्डो पर खड़ा है उसको मना नहीं किया जा सकता।

बुकिंग के मामले में मुझे निवेदन करना है कि बस रवाना होती है और एक किलोमीटर पर ही चैक हो जाती है तो तुरन्त बैठने वाला आदमी पकड़ा जाता है। तो इसके लिए क्या कोई मंत्री महोदय सोच रहे हैं कि देरी तक खड़ा नहीं रहना पड़े? टिकिट भी बहुत होते हैं। इससे एक बात तो यह है कि

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जो नये टिकिट मिले हैं वे काफी होते हैं उसका हिसाब मिलता नहीं है और पंचिंग करने में बहुत देर होती है। टिकिट को पंचिंग मशीन में एक साथ रखते हैं तो पंचिंग नहीं होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात में यह सिस्टम है और वहां पर दस दस टिकिट एक साथ पंच हो सकते हैं। चोरी रोकने के लिए कई और भी रास्ते हो सकते हैं। एक साथ पंच करने का सिस्टम होना चाहिए जिससे टाइम कम लगे। पंचिंग के हिसाब से, कण्डक्टर के हिसाब से और बुकिंग करने के हिसाब से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि गाड़ी भी डिले न हो और सवारियां भी परेशान नहीं हों। इसमें मेरा सुझाव यह है कि निगम भी यह चाहता था कि जहां ज्यादा डिपोज हैं वहां बुकिंग विंडो नहीं खोलना चाहते तो एजेंट सिस्टम था जिसको पांच सात रुपये प्रति सौ रुपया देकर टिकिट बिकवाया करते थे लेकिन यह सिस्टम लेबर की वजह से या दूसरे कारणों से एजेंट का सिस्टम

(श्री झाबरमल सूंडा)

रोक लिया गया है। मैं चाहता हूं कि यह सिस्टम चालू कर दिया जावे ताकि टिकिट भी ज्यादा बुक होंगे और सवारियों को चढ़ाने में भी सुविधा रहेगी।

चैकिंग के मामले में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताऊं कि इस समय जो अडाप्ट किया गया है वह बिल्कुल बेकार साबित हुआ है। एक रूट पर चेकिंग पार्टी चली गई तो दूसरा रूट फ्री हो गया...,

श्री उपाध्यक्ष : यह आपके काल अर्टेंशन का सब्जेक्ट मैटर नहीं है।

श्री झाबरमल सूंडा। मेरा निवेदन है कि एम. एल. एज. को जो रोडवेज से पासेज मिले हुए हैं, जो सुविधायें मिली हुई हैं, उनको जो सुविधायें दी गई हैं ट्रैवेल करने की तो उनको यह अधिकार हो कि चैकिंग भी कर सकें। बाकी हमारे सामने...

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

कई माननीय सदस्य : No, No.

श्री झाबरमल सूंडा : उपाध्यक्ष महोदय, कई दफा हमने देखा है कि बिना टिकिट के लोगों को बिठा लेते हैं और हम कुछ नहीं कह सकते हैं, हम बैठे बैठे देखते रहते हैं।

कई माननीय सदस्य : No. No.

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिए। आप तशरीफ रखिए।

श्री झाबरमल सूंडा : एक दो बातें और निवेदन करनी है, उपाध्यक्ष महोदय, जो साईड में छोटे छोटे ग्राम होते हैं, एक दो किलोमीटर के अन्दर वहां पर बसें नहीं जाती हैं। जैसे सीकर से रींगस जाते हुए महरौली गांव है जो एक हजार की बस्ती है और एक किलोमीटर पर ही है लेकिन आपकी बस वहां पर नहीं जाएगी, उनको अकाउण्ट्स वगैरह की दिक्कत होगी लेकिन लोगों को सुविधा देने के लिए जो ऐसे छोटे-छोटे गांव आस-पास हैं उनके अन्दर बस जानी चाहिए। इसी तरह से भरतपुर में महेन्दीपुर के बालाजी हैं वहां पर लोग आते जाते हैं लेकिन वहां पर बस नहीं जाती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो दो तीन किलोमीटर के अन्दर साईड के विलेजेज हैं, जो टाउन्स हैं वहां पर बस ले जाई जाये।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : This is no debate on transport. आप तशरीफ रखिए। माननीय मंत्रीजी।

श्री मोहन लाल छंगाणी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जब भी मुझ से मिले हैं बराबर सीकर और झुंझनूं के बारे में, उनकी दिक्कत के बारे में मुझे अवगत कराते रहे हैं और मैंने व्यक्तिगत तौर पर लगातार कार्यवाही की है। उनकी शिकायत को उसी दिन दूर करने के लिए कार्यवाही की और उसको निश्चित किया है। वैसे कई बातें आपने अभी कही हैं। अनेक रूट्स अनइकोनोमिकल हैं, उदयपुर सीकर का रूट है जो

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

अनइकोनोमिकल है। इसको इकोनोमिकल कैसे बनाया जाय, रूट्स का काफी फैलाव हो गया है, इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं। कई चैंजेज करने पड़ेंगे तो करेंगे और जनता की सुविधा के लिए चैंजेज करेंगे। जहां तक टाईमिंग्स का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, इस शिड्यूल में काफी दिक्कतें आई हैं। अब फिर हम बम्बई से एक्सपर्ट बुला रहे हैं और जो अभी समर टाईमिंग्स लागू कर रहे हैं इसमें भी बस को लेंगे। इसके उपरान्त भी जहां-जहां असुविधा है टाईमिंग्स की उसको देख कर उसमें चैंजेज करेंगे। इसमें चाहे आई. ए. एस. चेयरमैन हो या नोन आफिशियल चेयरमैन हो, कोई इसमें आडे नहीं आएगा और टाईमिंग्स को चेंज करने की कोशिश करेंगे। जहां तक विण्डोज का सवाल है जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि एक ही लाईन होती है क्योंकि क्लर्क एक ही रहता है। रींगस जाने वालों की, सीकर या उदयपुर जाने वालों की एक ही लाईन रहती है। लेकिन फिर भी हम इस व्यवस्था को देखेंगे और जहां पर रोज का कलेक्शन ज्यादा होगा वहां पर अलग 2 करने की कोशिश करेंगे और सीकर के मामले में तो खासतौर से देखेंगे कि कोई अव्यवस्था हो तो वह दूर हो जावे और किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं रहे।" वहां पर विंडोज की अच्छी व्यवस्था हो सके वह भी करायेंगे।

श्री मीठालाल : सलाहकार समितियों के बारे में...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक प्रश्न मेरा है...

श्री उपाध्यक्ष : बीच में नहीं बोलें, पहले उत्तर सुन लें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, एक शिकायत यह की गई कि बिजली चले जाने से बुकिंग क्लर्क टिकिट नहीं देता। तो मैं आज ही आदेश दे रहा हूं कि किसी तरह की लालटेन की व्यवस्था की जावे। फाईनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मोमबत्ती की व्यवस्था की जावे तो वह भी करेंगे क्योंकि आखिर तो मामला उनके पास ही जाएगा। मैं लालटेन आदि की व्यवस्था करने की कोशिश करूंगा ताकि किसी तरह की अड़चन न आवे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कैंडल लाईट हो या... (अश्रव्य)

श्री मोहनलाल छंगाणी : कैंडल लाईट या टार्चेज की व्यवस्था करने में तो दिक्कत हो सकती है लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब भी लाईट जावे लगातार मुसाफिरों को टिकिट मिलते रहें इसमें कोई अड़चन पैदा न हो इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी।

जहां तक कण्डक्टर का सवाल है, कण्डक्टर के बारे में, चैकिंग के बारे में प्रणाली चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी मैंने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को लिखा है कि हमको कुछ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट दिए जावें क्योंकि ए. टी. ई. वगैरह जो चैकिंग करते हैं और कण्डक्टर में और ए. टी. आई. में पे का कोई खास फासला नहीं होता, कभी-कभी आपस में मिल भी जाते हैं, इस प्रकार की शिकायतें

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
हमारे पास भी आई है। इसलिए हम चाहते हैं कि चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट लग जावें तो अचानक चैकिंग ज्यादा से ज्यादा किए जा सकें और वहीं पर सजा भी मिल जाय। जो भी निर्णय लेना हो उसी समय हो सके। जहां तक डीनोमीनेशन प्रणाली का सवाल है, आप जानते हैं कि यह हमने अभी हाल ही में इण्ट्रोड्यूज की है। इसके बारे में स्टडी की व्यवस्था कर रहे हैं। जो जो खराब हैं, पंचिंग कैसे हों, टिकिट कैसे देना चाहिए, हम इस बारे में अभी नए हैं लेकिन एक्सपीरियंस के आधार पर लागू किया है लेकिन फिर भी उसकी स्टडी होकर जो भी चेंजेज करना होगा हम चेंज करेंगे। हमारी निरन्तर कोशिश यही होगी कि यात्रियों को सुविधा मिले। जहां तक एम. एल.एज. के द्वारा चैकिंग करने की बात है, मैं समझता हूं कि आप माननीय सदस्य भी यह नहीं चाहेंगे कि एक एम.एल.ए. होकर, विधायक होकर एक ए. टी. आई. का काम करें। वे जब भी मुझ से मिलें या चैयरमैन से मिलेंगे वे निश्चित रूप से फौरन कार्यवाही की जावेगी और उस पर एक्शन लिया जावेगा ताकि असुविधा से बचा जा सके।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा माननीय मंत्री महोदय से पूछना है···

(व्यवधान: अश्रव्य)

श्री मोहनलाल छंगाणी : सलाहकार समितियों में माननीय सदस्य भी सदस्य हैं और वे समितियां इफेक्टिव काम कर रही हैं। आप जब भी शिकायत करें या सुझाव दें तो उस पर तुरन्त कार्यवाही की जावेगी।

श्री मीठालाल मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय···

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पहले है। आपने अलग अलग एम.एल.एज. की सलाहकार समितियां बनाई हैं और अगर वे समितियां काम करती होतीं तो आज जो मामले सदन में आए हैं वे सदन में नहीं आते। यदि आपकी सलाहकार समितियां फंक्शन करती होतीं तो यह स्थिति नहीं होती। अगर उनमें माननीय सदस्यों को बुलाया जाता तो उनमें ये सारे प्रश्न उपस्थित किए जा सकते हैं।

श्री मीठालाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने कुछ सदस्यों को नोमीनेट किया था राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर समिति को बने हुए दो ढाई साल हो गए, आपसे भी पहले निवेदन किया था लेकिन उसमें सदस्यों को बुलाया नहीं जाता है। आप बता दें कि आज तक आपने दो ढाई साल में एक बार भी उन सदस्यों को बुलाया हो। अगर सदस्यों को बुला लेते तो सदन का समय इस मामले में, जो छोटे 2 मामले यहां पर आए हैं वह वहां पर डिस्कस हो सकते थे और सदन का समय जाया नहीं होता। लेकिन आपकी शकल उस जगह पर तो काम नहीं दी और अब सदन का टाइम खराब कर रहे हैं। तो आप बतायें कि अब कब सदस्यों को बुलायेंगे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, ट्रांसपोर्ट एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग कुछ महीने पहले ही हो चुकी है और आप माननीय सदस्य उसके सदस्य नहीं होंगे इसलिए नहीं बुलाया होगा।

श्री मीठालाल मीणा : सदस्य क्यों नहीं

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह बात नहीं है कि सदस्यों को नहीं बुलाते। आप मेम्बर नहीं होंगे इसलिए नहीं बुलाया होगा। आपको यह पता है कि हमने रीजनल एडवाईजरी कमेटी बनाई हैं लेकिन आप जानते हैं कि कलेक्टर कितना ओवरवर्क्ड होता है वह सारे के सारे काम देख नहीं पा रहा है। इसलिए मैं सोचता हूं कि जिलास्तर पर एडवाईजरी कमेटीज का निर्माण किया जावे क्योंकि रोडवेज की फोरमेटिव स्टेज है, उसमें जिलास्तर पर समितियां बनने से माननीय सदस्य भी उसमें रहेंगे और उनकी सलाह हमें मिलेगी। जिस तरह की खराबियां हैं, असुविधायें हैं, सवारियों को मुश्किल भुगतनी पड़ती है इसको वे अवगत करायेंगे। इसलिए जिलास्तर की कमेटियां बनाई जावें और उसमें हमें आपकी सलाह का भी फायदा होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : रीजनल कमेटीज बनाई थीं पहले भी...

श्री मोहनलाल छंगाणी : ट्रांसपोर्ट एडवाईजरी कमेटी है उसकी मीटिंग्स रैगुलर होती हैं। आपकी जो भी सिफारिशें होंगी हम अच्छी तरह से उसका अध्ययन करेंगे और विचार करके कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे।

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : It is closed now. No debate.

माननीय गृह मंत्री जी।

शासकीय वक्तव्य

अलवर के भूतपूर्व महाराज कुमार श्री प्रतापसिंह द्वारा आत्म हत्या की घटना

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तारीख 27 मार्च, 1976 की शाम अलवर में भूतपूर्व महाराज कुमार श्री प्रतापसिंह और उनके कर्मचारी श्री भगवानसिंह की आत्महत्या से अथवा एक दूसरे को मारने से मृत्यु हो गई। यह एक दुखद घटना थी जिसका हम सबको खेद है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस घटना की पृष्ठभूमि से सदन काफी अच्छी तरह से वाकिफ है क्योंकि स्थगन प्रस्तावों के जरिए, प्रश्नों के जरिए, मेमोरेन्डम के जरिए और दूसरे किन्हीं जरियों से, इस सदन के अन्दर अलवर में जो परिस्थितियां थीं, उसकी जानकारी इस सदन को मिलती रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, राज्य सरकार और जिला प्रशासन अलवर एक लम्बे अरसे से कठिन स्थिति का सामना कर रहे थे। श्री प्रतापसिंह, भूतपूर्व महाराज कुमार निरन्तर शासन तंत्र के विरुद्ध तथा कानून की मर्यादा को तोड़ने के लिये प्रयत्नशील

(श्री हरिदेव जोशी)

रहे। विशेषतया जबकि शासन की ओर से प्रगतिवादी भूमि सुधार के कानून का क्रियान्वयन शुरू हुआ। दिनांक 31 दिसम्बर, 1975 को जिला कलेक्टर, अलवर ने राजस्थान भूमि सुधार एवं भूमिधारियों की भूमि सम्पदा अवाप्ति अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत विनय विलास महल की अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण का आदेश दिया और अधिग्रहित भूमि का कब्जा लिया गया। इस निर्णय से असन्तुष्ट होकर श्री प्रतापसिंह निरन्तर राज्य सरकार के कब्जे में ली गयी भूमि पर मवेशी, हाथी, घोड़े आदि चराने व नाजायज कब्जा करने की कोशिश करते रहे। इस नाजायज कार्यवाही करने के सिलसिले में दिनांक 5 जनवरी, 1976 को सरकारी भूमि की सीमा पर बने हुए फाटक का ताला तुड़वा दिया एवं राजस्व कर्मचारियों को धमकाया। दिनांक 20 जनवरी, 1976 को सिंचाई विभाग के कार्यरत श्रमिकों को श्री प्रतापसिंह ने अपने आदमियों के साथ जाकर भगा दिया और कुत्तों से मरवाने की धमकी दी। श्री तेजसिंह, भूतपूर्व शासक, अलवर ने जिला कलेक्टर के निर्णय दिनांक 31 दिसम्बर, 1975 के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट पिटिशन दायर की जिसमें दिनांक 6–3–76 को स्थिति यथावत बनाये रखने का आदेश हुआ। इस आदेश की मंशा के विरुद्ध श्री प्रतापसिंह एवं उनके सहयोगियों द्वारा भूमि पर अतिक्रमण के प्रयत्न जारी रहे। जिला प्रशासन द्वारा दिनांक 15–1–76 को बनायी गयी सरकारी दीवार को 9–3–76 को तोड़ डाला और जानवर आदि चराने के प्रयत्न किये। इस घटना क्रम की चरम सीमा तब आयी जब 12–3–76 को आगामी संभावित अतिक्रमण को रोकने के लिए मौके पर एक पुलिस गार्ड लगायी गयी। दिनांक 12 एवं 13 मार्च के बीच की रात को 11–30 बजे श्री प्रतापसिंह एवं उनके अन्य साथी 50–60 व्यक्ति लाठियां, बन्दूकें व फरसे आदि लेकर आये और पुलिस गार्ड के 5 कर्मचारियों को घेर कर फूल बाग में ले गये जहां उनके साथ मारपीट की तथा पुलिस कर्मचारियों को हस्ब बेजा में लेकर यह लिखवाया कि मौके पर कोई दीवार नहीं थी और यह जमीन महाराजा के कब्जे में ही थी। पुलिस कर्मचारियों को सुबह 5 बजे तक हस्ब बेजा में रखा। इसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर श्री प्रतापसिंह एवं उनके आदमियों के खिलाफ धारा 353, 342, 347, 148 एवं 149 भारतीय दण्ड संहिता में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद कुछ लोगों को भी इसके अन्दर गिरफ्तार किया किन्तु महाराजकुमार ने अपने आपको पुलिस के समक्ष नहीं रखा। लगभग एक ऐसी स्थिति बन गई थी कि फूल बाग पैलेस जिसमें वे रहते थे एक प्रकार से कानून तोड़ने वालों का आश्रय स्थल बन गया था। वहां पर महाराजकुमार ने अपने हाथी, घोड़े आदि लगा कर हर जगह मोर्चाबन्दी कर रखी थी जिससे किसी भी पुलिस कर्मचारी का मुकदमे के सिलसिले में वहां पर पहुंचना असंभव बना दिया गया था। फिर भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अत्यन्त गंभीरता से और संयम से काम लिया और उनके मकान में प्रवेश नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि अन्त में एड०

(श्री हरिदेव जोशी)

मिनिस्ट्रेशन ने यह कोशिश की कि उनको समझाया जाये कि वे इस प्रकार की हरकतें न करें। उनके पिताजी से सम्पर्क किया गया और हमें यह मालूम हुआ कि उनके पिताजी यहां आने से पहले वहां पर गये और उनसे तीन घन्टे बातचीत की और उनको समझाया कि उन्हें गैर कानूनी हरकतें नहीं करनी चाहियें। इसके बाद में महाराजकुमार के पिताजी यहां पर मुझ से मिले। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया जायेगा और उन्हें कानून नहीं तोड़ना चाहिये। इसके बाद में, वे अर्थात भूतपूर्व महाराजा और दो उनके परिवार के सहयोगी यहां से अलवर गये और उनको सारी स्थिति से अवगत कराया। महाराजकुमार ने यह स्वीकार किया कि वे थोड़ी देर में तैयार होकर जयपुर चलेंगे उनके साथ में। वे अपने कपड़े तैयार करने के लिऐ महल में गये। इस बीच में भूतपूर्व महाराजा अलवर युवरानी से बातचीत करने गये। जब वे उधर व्यस्त थे उसी दरम्यान में भागीरथसिंह के कमरे के अन्दर वे लोग चले गये जहां पर थोड़ी देर के अन्दर गोलियां चलने की आवाज आयी। जाकर देखा तो भूतपूर्व महाराज कुमार और भागीरथ सिंह वहां पर पड़े थे। उनको अस्पताल में ले जाया गया। मेडिकल ऐड दी गयी और अन्त में वे वहां पर मर गये। इसी बीच में श्री भागीरथसिंह की लाश भी आयी। वे मर चुके थे। इसके बाद में भी प्रशासन ने स्थिति को काबू में रखने की निरन्तर कोशिश की है और वहां पर उसके बाद में कोई भी दुर्घटना नहीं घटी है। मैं ऐसा समझता हूं कि महाराजकुमार को इस प्रकार का कदम उठाने की आवश्यकता नहीं थी। आज समय बदल गया है और भूमि, राज्य, एक जमाने में राजा महाराजा थे, उन राजा महाराजाओं के राज्य नहीं रहे। जिनके पास ज्यादा भूमि थी उनके पास भी ज्यादा जमीन नहीं रही जिसको उन्होंने स्वेच्छापूर्वक, प्रेमपूर्वक ग्रहण किया है। उन्हें भी इस प्रकार की हरकतें करने की आवश्यकता नहीं थी। जो कुछ हुआ है, वह दुखद है किन्तु मैं यह कह सकता हूं कि प्रशासन ने जितनी भी संजीदगी बरतनी चाहिये बरती है और प्रशासन ने कहीं पर भी कोई प्रोवेकेशन नहीं किया। महाराजा अलवर यहां पर आये थे और उन्होंने स्वयं ने इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि प्रशासन ने बहुत ही गंभीरता से और संजीदगी से अभी तक की सारी चीजों को टालने की कोशिश की है। यही मुझे प्रथम रूप में निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत 27 मार्च, 76 को जो घटना घटी है, यह अलवर के लिए ही नहीं सारे देश के लिए दुखद घटना है और यह दुखद घटना इसलिए हुई कि चाहे वे आपस में लड़कर मरे हों या किसी ने मारा हो या आत्महत्या की हो लेकिन किन परिस्थितयों में वे मरे हैं, यह सरकार को मालूम है।

उपाध्यक्ष महोदय, दो शब्द यह निवेदन करना है कि इस देश में एक ऐसी भ्रान्ति फैल गयी है कि क्या पुलिस ने जाकर तफतीश की? पुलिस ने जाकर

(श्री मीठालाल मीणा)

क्या किया, यह शायद सरकार कुछ छुपा रही है क्योंकि मुख्य मंत्री यह कहते हैं कि आपस में मारने से या आत्महत्या की, सही निष्कर्ष वे नहीं निकाल पाये हैं। किसी ने तो उनको नहीं मारा है? ये चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और स्पष्ट नहीं हो पायी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं अगर कोई व्यक्ति कानून को हाथ में लेता है, परन्तु कानून हाथ में लेने वाले के खिलाफ कार्यवाही करने का भी तरीका ऐसा नहीं होता कि कोई अगर कानून हाथ में लेकर मनमानी तरीके से कार्यवाही करें तो उसको गिरफ्तार करने के लिए जो सरकार ने फोर्स लगायी थी, पांच आर.ए.सी. लगाई गई मानों कहीं पर छापा डालने की तैयारी की जा रही हो तो इस ढंग से हथियार सहित एक मजमा महल के चारों तरफ लगा हुआ था। कानून को हाथ में लेने वाला भाग जाये, तो उसको गिरफ्तार करने के लिए भी अन्य ढंग काम में लिये जाते हैं। कानून तोड़ने वालों की जो गिरफ्तारी होती है, वे फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं, उनके खिलाफ, उनकी गिरफ्तारी भी कानूनी तरीके से की जाती है परन्तु क्या यह सब उनके साथ लागू नहीं होता है?

उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह मान भी लिया जाये कि उन्होंने आत्म हत्या की है तो वे क्या परिस्थितियां थीं? क्या ऐसी परिस्थितियां थीं कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी। इस मामले में सरकार कहती हैं कि वह और उसके अधिकारी दोषी नहीं हैं लेकिन मैं यह कहता हूं कि सरकार ही नहीं अधिकारी भी दोषी हैं।

सबसे बड़ी बात तो यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि उनके लिये इस ढंग की परिस्थितियां पैदा कर दी गईं, इस तरह का वातावरण पैदा कर दिया गया कि 17 तारीख को उनके नल काट दिये गये, टेलिफोन का कनेक्शन काट दिया गया, जब वह डीजल इन्जन से चालू करने लगे तो उनको नहीं करने दिया गया और उनके आदमियों को मारा पीटा गया, जो दूध देते थे उनको नहीं जाने दिया और दूध वालों का भी चालान कर दिया और जितने भी वह जानवर रखा करते थे, उनको चारा देना भी रोक दिया गया, उनके बिजली और टेलीफ़ोन भी बन्द कर दिये गये, सब चीज उनकी बन्द कर दी गई। यहां तक कि उनके लोगों को उनसे मिलने भी नहीं दिया, उनकी मां उनसे मिलना चाहती थी उनको भी नहीं मिलने दिया। ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई या पैदा कर दी गई तब क्या वे मजबूर नहीं थे कि आत्महत्या करते? 27 तारीख को जावाली के राजा साहब को जो कि एक आर.ए.एस. आफिसर भी रह चुके थे, उनको दफा 107 और 151 में गिरफ्तार करके अलवर के बाजारों में तीन राउन्ड घुमाया गया, और बाद में उनको एक बन्द ट्रक के अन्दर बुजुर्गी की हालत में भी चढ़ाया गया और महाराजकुमार को जब यह मालूम हुआ तो उनको भी डर हुआ कि कहीं मेरे को भी गिरफ्तार करके मेरी भी इस प्रकार से बेइज्जती करेंगे, यह सोच करके, वे स्वाभिमानी आदमी थे, सरकार की इस तरह की कार्यवाही की वजह से उन्होंने खुदकशी कर ली हो।

उपाध्यक्ष महोदय, 12–3–76 को

Page No 62

(62)

(श्री मीठालाल मीणा)

जो पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई गई उसके बारे में भी मुझे दो शब्द निवेदन करना है। 12-3-76 को पुलिस के साथ झगड़ा हुआ। पांच आदमी फूलबाग बंरीया में गये और माहाराजकुमार और उनकी पत्नी ने केवल यही कहा कि स्टे आर्डर आ गया है इसलिए अभी आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाय। जब यह कह दिया तो फिर दो सौ कारतूस और राइफलें भी थीं, उनका झगड़ा भी हुआ और उनके सामने वे कुछ भी नहीं कर सके। इसके बावजूद भी सीधे-सीधे पुलिस स्टेशन में नहीं जाकर के एस.पी. को रिपोर्ट दर्ज कराई। यह सब इसलिए कि पहले से कोई षड़यन्त्र था। इसके अतिरिक्त जो महाराज कुमार की पत्नी है उसके बारे में केवल यह लिखा है कि–महाराजकुमार की पत्नी ने यह कहा कि तुम पुलिस को क्यों लाते हो, इनका हाईकोर्ट से स्टे आर्डर आया हुआ है। ये केवल उनकी पत्नी के शब्द थे केवल इसी कारण से 332,353, और सारे के सारे केसेज उनके खिलाफ लगा दिये गये। क्या उनकी पत्नी को भी जलील करने का इरादा था? वह महाराजकुमार थे, चाहे भूतपूर्व हो लेकिन फिर भी माननीय मुख्य मन्त्री यह सोचेंगे कि वे लोग आधी रात को उनसे मुकाबला करने के लिये गये, हाथी घोड़े भी आ गये, क्या उनकी पत्नी से इस तरह से बातें करनी चाहिये? यह रिपोर्ट के अन्दर है। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, पुरानी बात भी थी ऐसा भी मालूम होता है, क्या यह नहीं कहा जा सकता कि अधिकारियों से कोई द्वेष भी था? कुछ भी हो लेकिन कोई मन मुटाव जरूर था, ऐसा मालूम पड़ता है। इस प्रकार से एस. पी., कलेक्टर डी.आई.जी. तीनों ने त्रिकोणात्मक, तीनों सक्सेनाओं ने षड़यन्त्र नहीं रचा लिया हो, यह कोई नामुमकिन बात नहीं है। अगर आत्महत्या भी उन्होंने की तो पुलिस उस समय उनके दरवाजे पर थी, पुलिस की घेराबन्दी की हुई थी, ऐसी स्थिति में आत्महत्या करना क्या पुलिस उसके लिये जिम्मेदार नहीं है? आत्महत्या हो जाने के बाद भी पुलिस यह निर्णय नहीं ले सकी कि आत्महत्या किस प्रकार से हुई और क्यों हुई, यह सारा मामला इस ढंग से है जिससे यह मालूम होता है कि सरकार ने इसमें सही तरीके से काम नहीं किया। इसके अतिरिक्त कलेक्टर साहब ने गत दिनों अलमा गांव की रिपोर्ट भेजी कि प्राइम मिनिस्टर को मारने की साजिश है, उसकी राजस्थान सरकार और भारत सरकार द्वारा जांच कराई गई और यह पाया गया कि यह रिपोर्ट झूठा है और बकवास है। कलेक्टर जैसा आदमी भी झूठी रिपोर्ट भेजता है, और झूठी शिकायतें करता है इससे क्या यह साबित नहीं होता है कि कलेक्टर की हैसियत का जो दिमाग होना चाहिए वह उस आदमी में नहीं है। जब महाराजकुमार के राजघराने के हथियार राजघराने ने ले लिये थे, और उन्होंने सरेन्डर कर दिये थे उसके बाद में भी सरकार को क्या अन्देशा था, क्या सरकार को डर था कि उनके पास कोई हथियार रह गये हैं। और यह उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में मुझे ज्यादा नहीं कहकर केवल यही निवेदन करना है कि सारे मामले की एक हाई कोर्ट का जज,

(श्री मीठालाल मीणा)

इसको न्यायिक जांच करे जो एक ऐसी जांच होनी चाहिए, कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाय और उस जांच प्रारंभ होने से पहले तिकोनो जो सक्सेना साहबान की है उनको निश्चित रूप से मौअत्तिल किया जाय तभी जाकर निष्पक्ष न्यायिक जांच हो पायगी अन्यथा अगर आप पुलिस से जांच करवायेंगे तो यह तो सब उनके सामने की घटना है, एक षड्यन्त्र मालूम होता है, इससे कोई सन्तोष होने वाला नहीं है। यह हत्या या आत्म हत्या स्वयं पुलिस की कस्टडी में हुई है, अगर आप पुलिस से इसकी जांच कराना चाहते हैं तो यह तो संदिग्ध रहेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि खास तौर से इन तीनों अधिकारियों को पहले मौअत्तिल किया जाय और या ट्रान्सफर किया जाय और हाई कोर्ट के जज से इसका न्यायिक जांच करवाई जाय आगे भविष्य में कहीं ऐसा न हो कि इस प्रकार का वातावरण बने और किसी अन्य व्यक्ति को भी आत्म हत्या करनी पड़े। 27 तारीख को एक मीटिंग हुई थी और उसमें एक प्रस्ताव भी लाया गया था।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने यह सोचा हो कि उन्हें भी तिरस्कृत किया जायगा और मजबूर होकर उन्होंने आत्म हत्या की हो, ऐसा दुबारा नहीं हो, ऐसी बात दुबारा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कुछ नेताओं ने यह भी कह दिया था कि आर. एस. एस. और जनसंघ का नेतृत्व केवल मात्र यही महाराजकुमार कर रहे हैं इसलिए राजनैतिक स्तर पर हों या किसी भी स्तर पर कोई आदमी हो, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो स्टेटमेंट दिया गया है मुख्य मंत्री द्वारा, उस स्टेटमेंट को यदि मंत्री जी इन कसौटियों पर परखें, जो मैं निवेदन करूं तो स्वयं इस नतीजे पर आयेंगे कि आत्महत्या है या सुनियोजित ढंग से उच्च अधिकारियों के एक षड्यंत्र द्वारा की गई हत्या है। फैक्ट्स पर जाने से पहले अलवर और अलवर राजा और वहां के अधिकारीगण के जो भी कुछ एक्शन थे उनके बारे में विधान सभा में माननीय सदस्य रामानन्द जी ने बहुत से प्रश्न पूछे–उनसे पता तो चलता था, उनके खिलाफ बहुत सी शिकायतें की गई, आये दिन उनमें आपस में झगड़ा रहता था। अधिकारीगण ऐसा लगता था, मनमाने तरीके पर बहुत से केसेज बनाते थे और उन सारे केसेज में, मैंने मुख्य मंत्री का स्टेटमेंट सुना था उस सम्बन्ध में एफ. आर. दी गई, यह पाया गया, महाराजकुमार प्रताप सिंह का कोई हाथ नहीं है। इन बातों से ऐसा लगता था, येन-केन प्रकारेण जिला प्रशासन उनके खिलाफ पड़ चुका था। मैं आपको यह भी निवेदन करूंगा कि डी. आई. जी. अजमेर रेंज वही सक्सेना साहब हैं, जिस समय झगड़ा था, उस समय यह सक्सेना साहब थे। आज उस सक्सेना साहब के छोटे भाई कलेक्टर हैं और इस वक्त एस. पी. साहब हैं वह भी सक्सेना हैं। डी. आई. जी, एस. पी. और महाराज कुमार में पूर्व समय से तनाव चल रहा था। यह स्थिति थी। यह फर्माया गया कि उन्होंने ऐसी-ऐसी हरकतें की थीं

(श्री मूलचन्द सामरिया)

कि जिला प्रशासन और गवर्नमेंट को मान्यता देने से इन्कार कर रहे थे। मैं समझता हूं, कि सरकार के किसी अधिकारी को हाई कोर्ट का फैसला दिखाया जाय, यह निवेदन किया जाय इस मामले में हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है। मैं समझता हूं, क्या यह जरूरी था, जिस स्थान पर महाराजकुमार का कब्जा था, रात के 9 बजे पुलिस हैड कान्स्टेबल के साथ पांच व्यक्ति कब्जा कर रहे थे, अथवा डिस्पजेस कर रहे थे। अगर सरकार के कब्जे में पर्टीक्यूलर प्लेस थी तो क्या रात को उसमें घुसने जा रही थीं, अथवा महाराज कुमार के कब्जे में थी तो क्या पुलिस बाई फोर्स कब्जा ले रही थी ? इससे शक होता है, मुख्य मंत्री जी इस पर गौर करेंगे। ऐसा नहीं था, डिस्प्यूटेड लैंड के बारे में महाराज कुमार एच. एच. अलवर ने हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ था। उसके होते हुए, उसके नोटेड हुए बिना जिला प्रशासन उस पर कब्जा करना चाहती थी जिससे कि स्टे दिया गया उसके बिफोर बोइंग नोटेड हमने कब्जा कर लिया इसलिए होई कोर्ट ने स्टे दिया है वह बेग्रसर है। मैं निवेदन करूं कि रूल ग्राफ ला को चुनौती दी है डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने। मैं निवेदन करूं कि इस मामले को बारीकी से देखें, जमीन, डिस्प्यूटेड लैंड के बारे में हाई कोर्ट से स्टे हो गया तो जिला प्रशासन को निष्पक्ष प्रशासक की हैसियत से, कलेक्टर या जो भी अधिकारी थे, उनको नोटेड होना चाहिए था और कन्टेस्ट करना चाहिए था। यह भी हो सकता था। मुख्य मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, अपने को अधिक प्रगतिशील बताने को वहां के जिला प्रशासन ने कानून के सारे प्रोसीजर को खत्म करके ऐसी हरकतें कीं जिससे उन्हें मौत के मुंह में जाना पड़ा है। इस बारे में विचार किया जाना चाहिए। मैं आचरण के बारे में भी थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा, एक यह बात है सबसे बड़ी, जिस समय हाई कोर्ट में रिट करने के लिए तेजसिंह की तरफ से लीगल एडवाइजर रामसिंह गये थे तो उनको हाई कोर्ट के अहाते में गिरफ्तार किया गया। जिस समय सीनियर एडवोकेट बजरंग लाल शर्मा पैरवी में जाने लगे तो एक दिन पहले मीसा में वारन्ट ईस्यू किया ताकि वह पैरवी न कर सकें। जिला प्रशासन ने महाराजकुमार के व्यक्तियों से ऐसा आचरण किया। महल के चारों तरफ प्रहरी खड़े किये गये, घेराव किया गया। 342 में इस्तगासा पेश करने के लिए गोविन्द और राजेशचन्द्र अलवर के दो वकील थे, दो वकीलों ने इस्तगासा पेश किया, पुलिस ने दूसरे दिन सुनवाई के समय उनको अरेस्ट किया गया और पांच बजे के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इस्तगासा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ किया गया था वह अदम मौजूदगी में खारिज हुआ। इससे निष्पक्षता और नीयत के बारे में आभास होता है कि किस तरह का व्यवहार किया गया। मेरे पूर्व वक्ता ने फर्मा दिया है, कोर्ट के स्टे को न मानते हुए पुलिस ने जबर्दस्ती जब कब्जा लेने की नीयत से पांच व्यक्तियों को भेजा, तो पांच व्यक्तियों के भेजने के बाद वह पांच आदमी एस.पी. के पास जाकर रिपोर्ट करते हैं। मैं निवेदन करूंगा, रूल है, नियम है, क्रिमिनल प्रासीजर कोड में ऐसा कहीं नहीं है कि कोई होम मिनिस्टर या मुख्य मंत्री के पास

(श्री मूलचन्द डागरिया)

जाकर शिकायत करे और ऊपर से नीचे आये। यह नियम है कि जो जोग्रर बाडी है उसमें फौरन जाना चाहिए था। इसलिए किसी व्यक्ति को शिकायत करने के लिए, एफ. आई. आर. लॉज करने के लिए सर्वप्रथम, जो क्षेत्र का पुलिस स्टेशन है, वहां जाना चाहिए था। क्योंकि सक्सेना साहब आई. पी. एस. आफिसर हैं, एस. पी. हैं भाई साहब, दूसरे सक्सेना डी.आई.जी. हैं, एक कलेक्टर हैं—इससे आभास होता है कि कोनकोक्टेड स्टोरी इसलिए तो नहीं बनाई गई है कि पांच आदमियों से शिकायत ली जाकर न केवल प्रतापसिंह महाराजकुमार को अरेस्ट करें, बल्कि उसमें फंसाये। इस तरह जाल फैला कर प्रगतिशीलता और सामन्तविरोधी का प्रमाण पत्र लेने के लिए इस तरह का वातावरण पैदा किया गया। पुलिस स्टेशन के बजाय एस.पी. को शिकायत होना जरूरी है क्या स्वयं शिकायत लॉज करने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शिकायत लाज कराता है? यह आचरण भी सन्देह उत्पन्न करता है। मैं निवेदन करूंगा कि साधारण आदमियों की हरकत होती हैं, जैसे पटवारी के साथ झगड़ा होता है, विद्यार्थी और मास्टर के बीच झगड़ा होता है तो क्या 353, 332, और 342 के केसेज होते हैं उसका एक तरीका है, उसका प्रोसीजर लेड डाउन है। इस बारे में अरेस्ट की कोशिश की जाए तो बेलेबल वारन्ट हो सकता है, वारन्ट आफ अरेस्ट जारी हो सकता है। कोई व्यक्ति नोटोरियस है, गायब होने वाला है तो उसकी प्रापर्टी है उसको कुर्क किया जा सकता है और कुर्क करके नीलाम किया जा सकता है। सरकार को इतने सारे अधिकार दिये हुए हैं। फिर किसी व्यक्ति, सिर्फ इसलिए कि वह महाराजकुमार है, जिसके खिलाफ पहले से कार्यवाही चल रही है, पहले की शिकायतों की एफ.आर. की जा चुकी है, पहले केसेज में फंस नहीं सके, इसलिए जब प्रोसीजर के अन्दर, कानून में न फंसा, एफ.आर. लग गई, इसलिए सोचा कि यहां पर काम तमाम करने का अच्छा मौका निकाला जाय। चार सौ, पांच सौ व्यक्तियों द्वारा घेराव करा दिया गया, घेराव के समय, यह बात ध्यान देने की है, बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, टेलीफोन का कनेक्शन काट दिया गया। महाराज कुमार की मृत्यु हुई, उसके दो दिन पहले चार हजार पशु, गाय, भैंस, घोड़े, हाथी, कुत्ते वगैरह वह भूखे प्यासे रहे। यह घेराव ऐसा था, किसी व्यक्ति को कमरे में बन्द कर दें, उसी तरह चारों तरफ से बाउन्डरी का घेराव किया गया। एक मोदी लक्ष्मी नारायण, जो माल सप्लाई करता था, उसको पांच रोज पहले पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, जिससे वह महाराज कुमार, उनके पशुओं, नौकरों के लिए खाने पीने की चीजें सप्लाई न कर सके। महाराजकुमार ने, जैसा कि पूर्ववक्ता ने फर्मा दिया, ओइल मंगाया जिससे पानी निकाल सकें, लेकिन पानी निकालने के लिए ओइल को नहीं ले जाने दिया गया। आचरण के बारे में मैं यह भी निवेदन करूंगा, महाराज कुमार ने जयपुर बीकानेर स्टेट बैंक के नाम चैक भेजा लेकिन उसको सिकरने नहीं दिया। उनकी माताजी जब उनसे मिलने के लिए मंदिर से जाने लगी तो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने माताजी को नहीं

(श्री मूलचन्द सामरिया)

मिलने दिया। ऐसी बहुत सी बातें है जिनके आधार पर निवेदन कर सकता हूं, जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने फर्माया कि उन्होंने बहुत संयम रखा है, मैं समझता हूं कि उन्होंने इतना मजबूर कर दिया कि वह भूखे रहें प्यासे रहें, किसी से मिल नहीं सकते थे।

उसी ठिकाने के एक सरदार रघुवीर सिंह को पकडा जो बहुत भारी शरीर का है, वह रिटायर्ड आर.ए.एस. अधिकारी है, उनको हथकडी लगाकर बाजार में घुमाया गया 151 व 107 मे। उसके बाद एक लाख की जमानत मांगी गई। एक रिटायर्ड आर.ए.एस. अधिकारी, क्या उससे एक लाख से कम की जमानत नहीं हो सकती थी लेकिन वह गिरफ्तारी सेटरडे को हो गई। दूसरा दिन सन्डे था और जेल में रहना पड़ा, जमानत राशि को तसदीक नहीं किया दो तीन दिन जेल में रखने के बाद उसको छोडा गया। इस तरह से एक व्यक्ति के वकीलों को पकड़ना, इस्तगासा को खारिज करना और उसके संबंधियों को पकडकर घुमाना, यह कहां तक उचित है? रेकार्ड की कापी आई है, उसको पढ़ने के बाद में पुलिस की एफ.आई.आर. को सत्य नहीं मान सकता। आप क्या फरमाते हैं कि के पुलिस 5–6 व्यक्तियों पर 50–60 लोगों ने हमला कर दिया? एक तरफ राजा–महाराजा, राजमाता, महारानी बाहर जाना पसंद नहीं करते तो रात को 9 बजे पुलिस से मुठभेड के लिए युवरानी, महाराजकुमार के साथ जाए, यह कामनसेन्स को अपील करने वाली बात नहीं है।

यहां यह भी कहा गया प्रचार करने के लिए कि महाराजकुमार राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न थे लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जो, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह महाराजकुमार वह व्यक्ति थे जो प्रात: 6 बजे से 10 बजे तक पाठ-पूजा करते थे उसके बाद लोगों से मिलते थे। सदा कुर्ता व पजामा पहनते थे। सिगरेट नहीं पीते थे, शराब नहीं पीते थे, मांस–मदिरा महलों के अंदर प्रवेश नहीं हो सकती थी। अगर प्रवेश भी हो तो मुख्य स्थान से दूर जाना पड़ता था। ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाए कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगे हुए थे, ठीक नहीं है। जब डी. वाई.एस.पी. श्री अर्जुनसिंह को सारे हथियार एक दिन पूर्व ही दे चुके थे तो मेरी समझ में नहीं आता कि कौनसी बंदूक थी जिसके कारण से उन्होंने आत्म हत्या की? उनके बारे में लिखा था कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश चल रही है और सरकार ने जांच की और पाया गया कि वह निराधार है, बिल्कुल असत्य है। इसी तरह से जिस व्यक्ति ने सारे हथियारों को सरेंडर कर दिया था, उसके लिए श्री संतराम, डी. आई. जी. ने रिपोर्ट की थी कि उन्होंने सारे हथियार जमा कराए थे। आखिर अरेस्ट का मतलब है कि उसके मूवमेंट पर पाबंदी लगाना। आप उस व्यक्ति को यदि अपनी इच्छा अनुसार कहीं जाने नहीं देते अथवा जाने से रोकते हैं तो वह अरेस्ट ही माना जाएगा। पुलिस किसी व्यक्ति को हथकड़ी डालकर या आर्डर दे कि एरेस्ट हो अथवा नहीं या मकान पर पहरा देकर उसको इच्छा अनुसार जाने नहीं दे तो वह एरेस्ट है। इसलिए आत्म हत्या हुई या हत्या हुई लेकिन हुई वह पुलिस कस्टडी में और पुलिस ने उन्हें लम्बे समय तक यातनायें

(श्री मूलचन्द सामरिया)

देकर, कब्जा करके अपने कब्जे में किया, पुलिस कस्टडी में उनकी मृत्यु होने पर पूर्ण जिम्मेदारी पुलिस की है। अगर समझा जाए कि पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है तो मैं समझता हूं कि उनके मकान को अटेच करने में कानूनी तरीका अपनाना चाहिए था। अब मृत्यु के बाद की बात मैं निवेदन करना चाहता हूं। उनकी मृत्यु पुलिस कस्टडी में हुई मेरी जानकारी में आया है कि डा. भागीरथ सिंह के मकान के पीछे एक मंदिर है उसमें उनकी और डा. भागीरथसिंह की मृत्यु हुई। किसी बंद कमरे में मृत्यु होना नहीं पाया गया है। पोस्ट मार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड बैठा हो तो डाक्टरों के नाम मुख्यमंत्री बतायेंगे। लेकिन भागीरथ सिंह को दो गोलियां लगीं। एक गर्दन के पास में छेद करके चली गई जबकि आत्म हत्या में एक ही गोली काफी थी। जब दोनों को मृत पाया गया तो यह आत्महत्या नहीं हो सकती। बिल्कुल यही साबित होता है कि सारे हथियार सरेंडर करने के बाद 5-6 व्यक्ति पुलिस की सादी वर्दी में मौजूद थे। मैंने इन सब बातों को मेडिकल रिपोर्ट में देखा है।

इन सारी बातों को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पुलिस ने निश्चित तरीके से इनको खतम किया है। अगर आप इसकी जांच सिर्फ पुलिस से करवाते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। आपने कई बार स्टेटमेंट दिया है कि आपातकाल में कोई भी पुलिस अधिकारी या बड़े से बड़ा अधिकारी, अगर आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग करता है या किसी नागरिक को अपनी पावर्स के द्वारा सताता है तो किसी कीमत पर उसे नहीं बख्शा जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं कि पानी का व बिजली का कनेक्शन काटना, दो दो दिन भूखे मारना, 8 गाय मर गईं, घोड़े मर गए, आज भी युवरानी और राजमाता बेहोशी की हालत में हैं और अत्यधिक नाजुक बन गई हैं, बल प्रयोग करके हत्या की गई है अगर इसमें हाइकोर्ट जज द्वारा जुडिशियल एन्क्वायरी नहीं कराई जाती है तो सरकार इमर्जेंसी की वजह से लोगों को दबा सकती है, स्टेज पर नहीं बोलने दे सकती है लेकिन लोगों के दिलों में शंका का समाधान नहीं होगा। जब तक निष्पक्ष तरीके से इसकी जुडीशियल एन्क्वायरी करके दोषी व्यक्तियों को दंडित नहीं करेंगे।

जांच से पूर्व इन तीनों अधिकारियों-डी. आई. जी., एस. पी., व जिलाधीश को सस्पेंड अगर नहीं करते हैं तो वहां से ट्रांसफर किया जाए और फिर निष्पक्ष व खुली जुडिशियल जांच हो और दोषी व्यक्तियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। मुख्यमंत्री जी, सभी के लड़के होते हैं, सभी के पुत्र होते हैं, अगर किसी के जवान लड़के को मार दिया जाता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। इन सब परिस्थितियों में यह साबित होता है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि दोनों की सुनियोजित हत्या है। इसलिए जुडिशियल जांच करायें, उससे पूर्व इन तीनों अधिकारियों को वहां से मूव करें तो जनता का भ्रम दूर होगा।

श्री अजीत सिंह (टोंक): उपाध्यक्ष महोदय, जो सरकार ने स्टेटमेंट दिया है उसमें कुछ बातें रह गई हैं जिन पर प्रकाश डालें। मैं जानना चाहूंगा कि कौन से हथियार से उनकी मृत्यु हुई है। आपने

(श्री मनोहरसिंह)

कौनसा हथियार वहां बरामद किया जब इन्वेस्टीगेशन के लिए ले गए । जो गोलियां उनकी बाडी से निकालीं कौनसे हथियार की निकलीं ? किसने राउन्ड चले, गोलियां कहां कहां लगीं ? मेरी जानकारी है कि दो उनकी छाती में लगीं ।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे स्पष्ट हो गया कि यह केस आत्म हत्या का नहीं हो सकता । वह कौन आदमी हत्यारा हो सकता है, इसकी जांच की जानी चाहिये । क्योंकि आत्म हत्या जो होती है उसमें हमेशा सिर में गोली मारी जाती है और यहां पर सीने में दो गोलियां लगी हैं एक दूसरी जगह गोली लगी है जबकि आत्म हत्या के लिये एक गोली सिर में खा लेना भी बहुत है । दूसरे जो आदमी की मृत्यु हुई है डाक्टर भागीरथ सिंह की भी जो डेथ हुई है उसके भी दो गोलियां मारी गयी हैं । तो इस प्रकार पांच गोलियां चलायी गयी हैं और दो की मृत्यु हुई है यह केस आत्म हत्या का नहीं हो सकता । इस लिए मेरा मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन है कि इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये और बाद में इसकी अलग से जांच करायी जानी चाहिये । इसके लिये आपको ज्युडिशियल इन्क्वायरी बैठाने की आवश्यकता है । पहले इस केस की जांच आपको राज्य सरकार के पुलिस विभाग से न कराकर सी. आई. डी. से जांच करायी जानी चाहिये और जैसा कि मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि अभी तक बगैर जांच के कुछ भी चीज डेफीनेट कहा जाना बहुत मुश्किल है । इसलिये मैं समझता हूं कि इसकी जांच गम्भीरता से की जानी चाहिये । दूसरे, यह भी मुझे कहते हुए खेद होता है कि जिला प्रशासन राज्य सरकार के कन्ट्रोल के कितना बाहर हो गया है कि उसने यह इतना बड़ा काण्ड करा दिया । इसके अलावा मुख्य मन्त्रीजी खुद जानते हैं कि मृत्यु के कुछ समय पहले वह खुद उनके महाराजा से मिले थे और उनके पिताजी ने अपने महाराज कुमार को इस बात के लिये राजी कर लिया था कि वह सरेन्डर हो जावें । इसका मतलब यह है कि वह शख्स कोई कन्ट्रोल के बाहर तो था नहीं लेकिन चूंकि जिला प्रशासन इतना हावी हो गया था कि राज्य सरकार के कन्ट्रोल में न रह कर एक व्यक्ति को मरवा दिया । और जब तक आप कोई जांच निष्पक्षता से नहीं करवायेंगे तब तक जिला प्रशासन ने जो कानून को हाथ में लेकर कानून की खिलाफ-वर्जी की है उसका पता पूरी तरह से नहीं लग सकेगा इसलिये सही स्थिति का पता लगाने के लिये जांच कराना आवश्यक है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय ।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बूंदी) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मुख्य मंत्री महोदय ने अपना स्टेटमेंट दिया है उसमें मैंने नोट किया है अलवर महाराजकुमार के जमीन के मामले में 5-3-75 को हाईकोर्ट से स्टे आया हुआ उसके अनुसार वह केस हाई-कोर्ट में चल रहा था । और उसके बाद में यह सारा काण्ड हुआ इसका मतलब यह है कि इसमें जिला प्रशासन का इसमें काफी बड़ा हाथ रहा होगा । क्योंकि जैसी कि स्थिति है उसमें उन महाराजकुमार के खिलाफ में गवर्नमेंट भी एक पार्टी थी और हाईकोर्ट का जब स्टे

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)

आर्डर था तो उसमें इन्टरफियेरेन्स करना हाईकोर्ट के आर्डर को ओवे नहीं करना है। उसमें अगर महाराजकुमार ने कोई गड़बड़ी की होती तो उसकी पेटीशन हाईकोर्ट में हो सकती थी लेकिन इसमें डिस्ट्रिक्ट अथोरिटीज को कोई ताकत नहीं थी कि वह इसमें दखल करती। इसके अलावा उस महाराजकुमार के खिलाफ में 12-3-75 को एक रिपोर्ट की गयी और उसमें मैं तो समझता हूं कि एक कोनकोक्टेड स्टोरी बना कर उसकी हत्या की गई है। वहां की युवरानी क्यों जायेगी? एक छोटा मोटा ओफेन्स को इतना बड़ा तूल दिया गया। आप क्या जस्टिफिकेशन देंगे? आज मुझे भी बीस साल हो गये हैं वकालत करते हुए आपने किस आफेंन्स से उनके लीगल एडवाईजर को अरैस्ट कर दिया? आपने उनको हाउस ऐरेस्ट कर दिया और आपने उनको कोई लीगल राय तक किसी से नहीं लेने दिया? इसमें वहां के एस. पी. कलेक्टर और डी. आई. जी. ने, जो कि तीनों सक्सेना हैं, एक बनावटी कहानी गढ़ करके उसके खिलाफ में केस बनाया है। स्वयं मुख्य मन्त्री से उनके पिताजी मिले थे और जब तक आप इस मामले में ज्यूडिशियल इन्क्वायरी नहीं बैठायेंगे तब तक राज्य सरकार अपना दामन साफ नहीं कर सकेगी। कलेक्टर ने कानून अपने हाथ में लिया और इतना ही नहीं, उसने उनके सभी टेलीफोन के तार काट दिये। बिजली के कनेक्शन काट दिये, पानी के कनेक्शन काट दिये, और उनकी मृत्यु के दस मिनट बाद ही वहां की बिजली का कनेक्शन चालू कर दिया। उनको टेलीग्राम करने की भी इजाजत नहीं थी।

उपाध्यक्ष महोदय, महाराजकुमार ने बून्दी महाराजा के पास एक आदमी को भेजा। बून्दी महाराजा उनके ससुर हैं। जो आदमी लेटर लेकर गया था वह अपने जूते में लेटर डालकर ले गया था। किसी भी व्यक्ति को किले के अन्दर और बाहर आने की मुमानियत थी। यह तो एक मिलट्री का सिपाही था जो पत्र लेकर बूंदी पहुंचा उसमें उन्होंने अपने ससुर के पास भेजा और उसके बाद में हिजहाइनेस के प्राइवेट सेक्रेट्री मेरे पास आया और मैंने मुख्य मंत्री जी से बातचीत करायी थी। उपाध्यक्ष महोदय, परिस्थितियों को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि जब मामला महाराजकुमार और गवर्नमेंट के बीच हाईकोर्ट में चल रहा था, गवर्नमेंट उसमें एक पार्टी थी तो फिर गवर्नमेन्ट को क्या फिक्र हो रही थी? उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारे देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के 20 सूत्री प्रोग्राम का हामी हूं और उसकी क्रियान्विति करने में सक्रियता बरती जाय। इसके अलावा 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति जो राजस्थान में हमारे मुख्य मन्त्री द्वारा की जा रही है उसकी प्रशंसा करता हूं। इसके लिए आज सभी जगह उनकी प्रशंसा हो रही है। लेकिन इस मामले में मेरा उनसे निवेदन है कि जिला प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ में जुडिशियल इन्क्वायरी बैठाने की आवश्यकता है क्योंकि जो आफेन्स बेलेबल था उसके लिए उन्होंने इतनी कार्यवाही की। जिला प्रशासन ने वहां मेरा टाल दिया और इतना ही नहीं जैसा कि उन्होंने अपने स्वसुर बून्दी महाराज को लिखा कि "I am starved to death.

(श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय)

I am not allowed to take water."

मेरा राशन कट आफ कर दिया है उनके लीगल एडवाईजर को एरेस्ट कर दिया This is a mis-use of the emergency. The prime Minister has not promulgated emergency for this.

तो, उपाध्यक्ष महोदय, आज जो हमारे देश में इमर्जेन्सी लगी हुई है इसलिए नहीं लगी है कि राज्य के अधिकारी मनमाने ढंग से किसी के खिलाफ में केस बना दें। देखने की बात तो यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि किस प्रकार इन डी. आई. जी. सक्सेना कलेक्टर सक्सेना, ने और एस. पी. सक्सेना ने मिल कर इस तरह का एक बहुत भारी अत्याचार कर दिया। इसमें, इस पूरे कोन्कोक्टेड प्लान के लिए उनके खिलाफ में कार्यवाही की जानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास प्रूफ हैं। मैं आपके सामने प्रूफ दूंगा। I have got records, मेरे पास प्रूफ हैं कि किस प्रकार से एक कोन्कोक्टेड स्टोरी बनायी गयी और फिर वहां पर आदमियों को भेजा, फोटोज खींचीं और बाद में किस प्रकार से पुलिस ने सारा केस बनाया। चूंकि गवर्नमेंट ही इसमें पार्टी है इसलिए अगर हमारी सरकार डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है और हमारी सरकार अपना दामन साफ करना चाहती है तो वह दामन जब तक साफ नहीं होगा जब तक कि आप हाई कोर्ट के किसी जज से ज्युडिशियल इन्क्वायरी इस सारे काण्ड की नहीं करा देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, एक दीवार का प्रश्न था उसमें अगर हाईकोर्ट दीवार के लिए कोई फैसला देती तो अपने आप ही वह दीवार तोड़ दी जाती। इसमें कौन सी बात थी? प्रतापसिंह ने अपने स्वसुर को जो लेटर लिखा था कि मैं कैसे जीतूंगा क्योंकि मेरा स्टेन्ड लीगल है, राइट है लेकिन उस वक्त तक मैं जिन्दा नहीं रहूंगा। तो इससे क्या मतलब हुआ? यह सीधी सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जिला प्रशासन के खिलाफ में कोई ज्युडिशियल इन्क्वायरी बैठाये और अगर ज्युडिशियल इन्क्वायरी इसमें नहीं बैठायेंगे तो मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हम इस मामले में अपना दामन साफ नहीं कर पायेंगे। इससे बड़ी एट्रोसिटीज इस इमर्जेन्सी में नहीं हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय एक बड़ा गम्भीर विषय है जो सदन के सामने रखा गया है। मैं केवल कुछ शब्द ही सामने रखना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं जानता हूं वहां के लोकल वातावरण को और क्या परिस्थितियां थीं जिसके कारण यह गम्भीर घटना हुई। मैं उन परिस्थितियों की गम्भीरता को महसूस कर रहा हूं और आज यह दौर चल रहा है कि हर एक किसी को सामन्त कहना और अपने आपको समाजवादी कहना, बताना, एक फैशन हो गयी है, ऐसी दुखद परिस्थितियों में अलवर के महाराज कुमार की मृत्यु हुई। वैसे वे आध्यात्मवाद में विश्वास करने वाले दार्शनिक व्यक्ति थे और एक सच्चे नागरिक थे। दुर्भाग्य है कि हमारे कुछ माननीय सदस्यों

(श्री हरिसिंह)

ने उनको अब तक गलत समझा कानून जब है तो हरएक को अधिकार है, हरएक बचना चाहता है कानून के अन्तर्गत और कानून इसलिए बनाया जाता है। हर नागरिक चाहता है कि कानून के अन्तर्गत उसको उचित लाभ मिले। कौनसी हाई कोर्ट में न जाने के लिए उन पर पाबन्दी लगायी गयी थी कि वे जा नहीं सकते थे? कोर्ट में नहीं जा सकते थे जैसे ही उसको इस्तेमाल करने का प्रश्न आया, जैसे ही हाईकोर्ट में जाने का प्रश्न आया, जैसा कि अभी कहा गया है कि उनके फेवर में डिसिजन हो चुका है और लोकल अथोरिटीज ने जिस प्रकार के कारनामे किये हैं और उनको पुलिस ने जिस प्रकार के कारनामे किये हैं, यह बड़ा दुखद विषय है और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्टेटमेन्ट दिया है उस पर कुछ इसलिए निवेदन नहीं करना चाहता हूं कि हमारे नेता महोदय ने बहुत सोच समझकर और गहनता से इसको स्टडी करके दिया है, और अभी वह स्टेज नहीं है कि मैं उस पर कोई टिप्पणी करूं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि ऐसे गम्भीर मामले में अगर हाई कोर्ट के किसी जज से इसकी जांच नहीं करायी गयी तो यह गम्भीर विषय राजस्थान का ही नहीं रहेगा यह हिन्दुस्तान का प्रश्न बनेगा। ऐसे बहुत से मामले उठते हैं। आज सत्ता पक्ष होने के नाते भले ही मामले दबाने की कोशिश की जाय। कोई भी नागरिक हो, यह महाराज कुमार का ही प्रश्न नहीं है कि मैं उनकी वकालत करूं या सामन्ती होने के नाते उसका हवाला करके वकालत करूं, राजेन्द्र भारतीयजी ने बात कही, उनके दिल में भी तड़फ है, चाहे जैन हो, शर्मा हो, कोई किसी जाति का हो, वह हिन्दुस्तान का नागरिक है। ऐसी क्या परिस्थितियां बन गयीं कि वे खुशी खुशी में अपने को लूट कर लें? जैसे शिकार में चारों तरफ से घेर कर शिकार पर हमाला किया जाता है इस तरह का वातावरण यहां सुनने को मिला, उसका मुझे दुख है। जिला प्रशासन अधिकारी ने बहुत न्याय किया हो, जैसा मालूम पड़ा है किया है, तो उसको पारितोषिक मिलना चाहिए। लेकिन यदि उच्चस्तर की जांच के बाद में यह बात सिद्ध हो कि उसने संयम से काम लिया तो उसको गोल्ड मेडल दिया जाय, पारितोषिक दिया जाय, मैं उसको एडमिट करूंगा। लेकिन इस प्रकार से तथ्यों की लीपा-पोती करना और फिर समाजवाद का दम भरना है तो यह उचित नहीं होगा और जो अभी वातावरण चल रहा है उसमें ऐसे बहुत से सम्माननीय सदस्य हैं जिनको नीचा दिखाने की हरचन्द कोशिश की जाती है। समाजवाद का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, इस विषय में यही निवेदन करना चाहता हूं कि अभी इस समय इसके लिये यह स्थान उपयुक्त नहीं है अतः पुरजोर शब्दों में यही निवेदन करूंगा कि इस काण्ड की हाईकोर्ट से जांच करवायी जाय।

श्री मीठा लाल मीणा : राजस्थान के बाहर के जज से।

श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय के स्टेटमेन्ट में एक तो मुझे यह मालुम नहीं हुआ कि उस फूलबाग पेलेस या कौनसे बाग पेलेस जिसकी भूमि आप अधिगृहीत करना चाहते थे उसका रकबा आपने नहीं फरमाया। बहुतर

(श्री सज्जनसिंह)

यह होता कि मुझे यह सूचित किया जाता कि उस स्टेटमेन्ट में वह कितनी डिसप्यूटेड लैंड थी। एक तो मैं यह जानना चाहता था। दूसरा मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि क्या डी.आई.जी. सक्सेना ही है, जैसा कि बतलाया गया है क्या उनके सगे भाई सक्सेना ही वहां के कलेक्टर हैं ? क्या यह भी सुना है कि वहां के एस. पी. भी सक्सेना है ? और यह भी सही है कि इस सक्सेना परिवार का मृत भूतपूर्व महाराज कुमार से पुराना कोई वैमनस्य है वरना जहां तक भूमि अधिगृहीत करने का प्रश्न है मुख्य मंत्री महोदय राजस्थान के किस रजवाड़े ने आपके उस कानून को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया ? किस महाराजा ने, किस महाराजकुमार ने, किस महारानी ने, उस कानून को चैलेंज नहीं किया ? और मैं आप से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या भारत वर्ष का नागरिक होने के नाते उसको चैलेन्ज करने का अधिकार भी नहीं है ? हमने कोई भी कानून बनाया और किसी भी एक नागरिक को उस कानून को चैलेन्ज करने का अधिकार नहीं है यह हमारी मान्यता कब से हो गयी ? यहां पर यह भी बताया गया कि अलवर के भूतपूर्व महाराजकुमार को राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टे ओर्डर ग्रान्ट कर दिया था। फिर मेरी समझ में नहीं आता है कि जब आप मध्यस्थता कर रहे थे, अलवर के भूतपूर्व महाराजा आपके पास आये, आपके पास लुहारू के नवाब और नारायणसिंहजी डिग्गी के भूतपूर्व जागीरदार मध्यस्था करने के लिये नहीं भेजे गये ? आप यह मानते हैं कि वे उस परिवार से सद्भावना रखने वाले व्यक्ति थे, फिर क्या वजह थी कि आपने उस मामले में भी मध्यस्था नहीं की ? भूमि अधिगृहीत के प्रश्न पर क्योंकि हाईकोर्ट से स्टे आर्डर आ चुका था लेकिन इसका जिला प्रशासन को डाइरेक्शन नहीं दिया गया कि वे इस मामले को ज्यादा खींचतान न करें। मुख्य मंत्री महोदय, मैं यह महसूस करता हूं कि आपने भी चुप रह कर, शान्त रह कर दूसरे आदमियों की ओर से पंचायत करा कर अपनी जिम्मेदारी बराबर नहीं निभायी। अगर निभायी तो यह आरोप लगाया जा रहा है कि वह कत्ल किया गया, यह आरोप लगाया जा रहा है कि आपने अनाधिकृत तौर पर एक आदमी को हैरान किया, यह आरोप लगाया जा रहा है सरकार पर कि आपने एक महिला को कोन्फोकेटेड केस में रात के 12 बजे पुलिस को कुछ कहने को भेजा और यह एक साजिश थी यह आरोप लगाया जा रहा है यह शायद आरोप नहीं लगते। यह भी मेरी मान्यता है कि आपने पहले हस्तक्षेप किया होता, जैसा कि मुझे मालूम है कि आपने किया है, महारानी नगेन्द्रसिंह के पास आप और महाराजकुमार गये और आपकी बातचीत हुई तो जिला प्रशासन तक इस बात को इस हद तक ले जाते। आपने अपने स्टेटमेन्ट में बताया कि कुत्ते, घोड़े, गधे, भैंसे छोड़ रहे थे। क्या प्रलय हो रहा था ? जमीन उठा कर कहीं ले जायी जा रही थी ? उसकी बोई हुई या आपकी बोई हुई फसल होती वह क्या नष्ट भ्रष्ट हो रही थी, बरबाद हो रही थी ? स्टेट गवर्नमेन्ट का कौनसा बगीचा बर्बाद हो रहा था कि हत्या हुई। क्या रकबा था ? कितनी भूमि थी ? ये सारे आरोप लगाये गये हैं उनसे यह प्रतीत होता है कि मुख्य

(श्री सज्जनसिंह)

मंत्रीजी आपने जिला प्रशासन को प्रोत्साहन दिया है। आपने अपने पुलिस अधिकारियों को प्रोत्साहन दिया कि वह शरीफ सज्जन, भले, ईमानदार और नेक आदमी को जो आठ-आठ घंटे माला फेरता था, ईश्वर का भजन करता था, गायें पालता था, घोड़े पालता था, भारत में अच्छे नागरिक की तरह से अपना जीवन निर्वाह करने का प्रयत्न करता था उसको सताये। उसका अभिशाप यह नहीं है कि राजा के घर में जन्म लिया, उसका यह अभिशाप नहीं है कि राजा के घर में जन्म लेकर एक भूतपूर्व राजा से रिश्तेदारी करने के कारण उस आदमी के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाये कि उसका टेलीफोन काट दिया, उसकी बिजली काट दी, उसका पानी काट दिया, उसके मवेशियों को फोडर नहीं मिले, उसके खाने को राशन नहीं दिया जाये, उसके बाल बच्चे भूखों मरें, उसके नौकर चाकर भूखों मरें और आप अपने स्टेटमेन्ट में यह बतायें कि वह फूलबाग पैलेस कानून तोड़ने वालों का आश्रय स्थल बन गया था? माननीय मुख्य मंत्री महोदय आपसे मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन कौन कानून तोड़ने वाले, कितने डकैत, कितने लठैत, कितने चोर, कितने बेईमान उसके मरने के बाद आपने उस फूलबाग पैलेस से गिरफ्तार किये? इसलिए मैं यह महसूस करता हूं। ईमानदारी से कि हमारे प्रशासन ने अन्याय किया है, हमारे प्रशासन ने गफलत की है, गलती की है और अपने एक्ट्स को छिपाने के लिए, अपनी गलतियों से बचाव करने के लिए आप पर यह सारा इल्जाम थोप दिया जा रहा है। इसलिए आप अपने दामन को साफ करने के लिए, अपनी पार्टी की इज्जत को बचाने के लिए, न्याय का पक्ष लेने के लिए, लॉ आफ नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखकर इसकी इन्क्वायरी करवायें। हृदय की महानता को आप प्रदर्शित कीजिए। आखिर आप राजस्थान का प्रशासन चलाते हैं। अगर गरीब से गरीब आदमी की भी मौत होती है, साधारण से साधारण नागरिक की भी मृत्यु होती है तो उसमें भी आपका फर्ज है कि आप जांच करवायें तो यह तो आप स्वयं मानते हैं कि समाज में कोई महानता रखने वाला व्यक्ति था जिसकी कम से कम यह पहुंच थी कि वह आपके पास भी पहुंचता था। आपने मध्यस्थता करने का प्रयत्न किया, आपने अपने एमेसरीज (सन्देशवाहक) भेजे हैं जिनकी मौजूदगी में या तो मारे गये या मरे हैं यह भी आपने अभी तक स्पष्ट नहीं किया इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सरकार से यह निवेदन करूंगा कि आप एक इम्पार्शियल जुडीशियल इन्क्वायरी स्वीकार करलें इसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्र बाला।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भावना में नहीं बहना चाहती हूं लेकिन कुछ तथ्य हैं वे दोनों बातें स्पष्ट करना चाहती हूं। अभी अभी जो मुख्य मंत्री महोदय ने वक्तव्य सदन के सामने दिया है, विरोध की तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों ने उसे तोड़ा मरोड़ा है। जनसंघ से जोड़ने वाली बात कही है और न आर.एस.एस. से जोड़ने वाली

(श्रीमती नरेन्द्र बाला)

बात कही है। तो न वह सत्य है और न ऐसा उल्लेख वक्तव्य में है। आर.एस.एस. या जनसंघ से जुड़ने वाली बात मनगढ़न्त है लेकिन जो दुर्घटना हुई है वह दुखद है और निश्चित रूप से उसकी तरफ हमें दृष्टिपात करना चाहिए। मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जिसके टेलीफोन कनेक्शन काट दिये जायें, राशन पहुंचाने की सारी व्यवस्था रोक दी जाय, अन्य सुविधायें समाप्त कर दें किसी व्यक्ति को यह सहन नहीं होगा। एक प्रतिष्ठित समाज में बैठने वाले व्यक्ति के लिए यह और भी असह्य है क्योंकि वे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे इसलिये यह दुर्व्यवहार वे सहन नहीं कर सके। जो अमानवीय व्यवहार उनके साथ हुआ। प्रशासन की ओर से यदि यह व्यवहार किया गया है तो यह बड़ा दुखद है। मुझे मालुम है मुख्य मंत्री जी स्वयं इस घटना से बहुत दुखी थे। जब हाईकोर्ट से स्टे आ गया था तो उस पर विचार करना चाहिए था। यह भी सत्य है कि मुख्य मंत्री जी के पास नवाब लुहारू और हिम्मो ठाकुर साहब आये थे तो उनको मुख्य मंत्री जी ने कहा कि युवरानी का नाम भी हटा दिया जाये और कुछ मानवीय दृष्टिकोण से बातें स्वीकार कीं। यदि यह समाचार पहुंच जाता तो मैं मानकर चलती हूं कि यह दुर्घटना नहीं होती लेकिन प्रशासन के किसी भी दुर्व्यवहार से कोई भी दुर्घटना हुई हो तो उचित नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जब साधारण आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी भी जानकारी करते हैं और हम यह मानकर चलते हैं कि सरकार का कर्त्तव्य है उसकी जांच करवाई जाये, तो यह तो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे भक्ति भाव करने वाले थे, मांस मदिरा के नजदीक नहीं जाते थे। न कोई व्यसन था ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति पागल नहीं है कि इतनी जल्दी मौत को बुला ले। यह सारा विशेष परिस्थितियों में होता है इसलिए जुडिशियल जांच करवानी चाहिये अथवा इस बात को स्पष्ट करना चाहिये क्योंकि वह स्वयं महसूस करते हैं कि यह अच्छा नहीं हुआ। मुझे कुछ शंका होती है कि जिला प्रशासन ने जो किया वह सरकार की जानकारी में नहीं था और सारी दुर्घटना घट चुकी है। इसलिए जुडीशियल जांच निष्पक्ष रूप से कराई जानी चाहिए।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्री महोदय।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : एक ही मिनट बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं मुख्य मंत्री महोदय।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, बस एक दो मिनट ही बोलूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि आज भारत के अन्दर चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो वह भारत का नागरिक है और भारत का नागरिक होने के साथ ही जिस व्यक्ति का चरित्र उत्तम माना जाये और किसी नशीली चीज या दुर्व्यसन की आदत जिस व्यक्ति में नहीं हो और इतना होने के बावजूद यदि ऐसा व्यक्ति

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

जो कानून की शरण लेता है और कानून का संरक्षण उसको प्राप्त हो जाता है, कानून का संरक्षण प्राप्त होने के बाद भी ऐसे व्यक्ति के साथ इस प्रकार का अन्याय किया जाये इसके लिए मैं मानवता को श्रेय नहीं दे सकता। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि ऐसी परिस्थिति के अन्दर यदि उनको हाईकोर्ट से स्टे मिल गया और इस प्रकार की गतिविधियां उनके सामने आ रही थीं। यदि वह जमीन के ऊपर किसी प्रकार से अपने अधिकार स्थापित किये हुए था तो मेरा निवेदन है कि प्रशासन की गलती वहां पर हुई है उस प्रशासन ने क्या इस प्रकार की सूचना हमारी सरकार को दी या नहीं और यदि दे दी थी तो फिर सरकार की तरफ से ऐसी ढिलाई क्यों हुई? प्रशासन को ठीक ढंग से समझा देना चाहिए था। जब बराबर मध्यस्थता करने के लिए व्यक्ति आ रहे थे, मुख्य मंत्री महोदय के पास भी आये थे, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी ऐसी मान्यता नहीं थी कि किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया जाये। गलती राजस्थान सरकार की नहीं है केवल मात्र प्रशासन की है और उस प्रशासन को हम किस तरह से सतर्क कर सकें। हो सकता है व्यक्तिगत वैमनस्यता के कारण प्रशासन में चाहे कलेक्टर हो, एस. पी. हो या कोई भी हो यदि व्यक्तिगत वैमनस्यता उनकी थी और सारी की सारी सूचना हमारी सरकार को मिल रही थी तो एक मेरा निवेदन है कि क्यों नहीं उन कर्मचारियों को पहले ही तुरन्त हटा दिया? यदि वहां से ऐसे कर्मचारियों को हटा दिया जाता तो इस प्रकार की गतिविधि नहीं हो सकती थी, यह मैं कह देना चाहता हूं। केवल राजपूत कौम में जन्म लेने से या महाराजा की पदवी पर बैठ जाने से हम यदि उनको सामंतशाही कह कर या विशेष प्रकार की किसी हमारे देश में कोई इस प्रकार की राजनैतिक भावना लेकर यदि ऐसी जाति को करप्ट करने की कोशिश करें तो हमारे देश में भले हो वे सामान्त रहे हों लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कभी उनके दिमाग में सामंतशाही रही हो यदि कुछ व्यक्ति सामंतशाही के अन्दर घोषित किए जायें लेकिन अलवर के भूतपूर्व राजकुमार की गतिविधियों में सामंतशाही का आधार अंश मात्र घोषित नहीं होता था और वह बहुत ज्यादा भगवान के भक्त थे। आवश्यकता से अधिक उस व्यक्ति में मानवता थी। इसलिए मेरा निवेदन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अलवर के लोगों से, जो साधारण लोग हैं उनसे मेरा मिलना हुआ है और उन लोगों ने इस प्रकार की दुःख भरी घटना को आंखों में आंसू गिरा कर इस प्रकार की दर्द भरी घटना को हमारे सामने रखा है और उन्होंने यह बताया कि राजपूत जाति में जन्म लेने से केवल मात्र कलंकित नहीं किया जा सकता। उस व्यक्ति का असाधारण व्यक्तित्व था। इतना होने के बावजूद माननीय उपाध्यक्ष

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

महोदय, कौन सी ऐसी भयंकरता राजकुमार के दिमाग में आ गई, डाकू की भावना पैदा हो गई कि प्रशासन को गोली से मारने को तैयार हो गया। ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार से या जन साधारण आदर करते हैं लेकिन

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रजातंत्र के अन्दर इस प्रकार की घटना होती है, इस प्रकार से एक के बाद एक व्यक्ति की मृत्यु होती रही और प्रशासन के द्वारा होती रही तो हमारी पार्टी किस ढंग से आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। हमारे प्रशासन को गतिविधि आगे चलाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की घटना भविष्य में घटित न हो, प्रशासन को इस प्रकार से सतर्क कर दिया जावे।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके लिए एक ज्युडिशियल इन्क्वायरी बिठाई जावे और उसके अन्दर भी जो जजेज या कोई भी अधिकारी व्यक्ति हो वह पहले वाले प्रशासन के परिवार से या किसी विशेष व्यक्ति से सम्बन्धित तो नहीं है जो इनके प्रभाव में आ जाएगा तो सही स्थिति सामने नहीं आ सकेगी। इस स्थिति की व्यवस्था भी जब तक सरकार नहीं करेगी तब तक इस प्रकार की स्थिति होती रहेगी और हमको नीचा देखना पड़ेगा।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की सारी गतिविधी की सही रूप से जांच करवाने की कोशिश की जावे तो हमारा सिर ऊंचा होगा। कहीं पर भी जब महाराजकुमार की बात होती है तो हमारी गर्दन नीची होती है वह गर्दन हमारी सरकार ऊंची करेगी, हमारे मुख्य मन्त्री ऊंचा करेंगे और सच्चाई के साथ इस प्रकार की जांच करायेंगे तभी वास्तव में हम बोलने के लायक रहेंगे अन्यथा हमारी गरदन नीची रहेगी। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस प्रकार की अच्छी तरह से ईमानदारी से, कोई सच्चे ईमानदार व्यक्ति से जांच करवायें जो इस घटना की सही स्थिति को सामने लाकर रखे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई बातें तो इमोशन में कहीं गई हैं। कई बातें राजनैतिक दृष्टि से कही गई हैं और कई बातें फैक्ट्स की जानकारी नहीं थी इसलिए कही गई हैं। जैसा कि मैंने निवेदन किया था महाराजकुमार श्री प्रतापसिंह और भागीरथ सिंह की मृत्यु को आईसोलेटेड व्हे में नहीं देखा जा सकता। इस चीज को समझने के लिए पिछले कुछ वर्षों के इतिहास को देखना होगा और समझना होगा। जो लोग ऐसा समझते हैं कि उनकी गरदन नीची हो गई उनके लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मगर जो लोग ऐसा समझते हैं कि राजनैतिक है और रीजन्स से कोई चीज समझने को तैयार हैं उनको कन्वीन्स करने के लिए मैं तैयार हूं। प्रतापसिंह दुराग्रही थे वह प्रशासन बहुत ज्यादा नरम था और इस सदन में भी कई बार प्रशासन पर इल्जाम लगाया गया था कि प्रशासन जरूरत से ज्यादा नर्मी बरत रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बचना चाहता था एक व्यक्ति के बारे में

(श्री हरिदेव जोशी)

कुछ भी कहने से, इसलिए बचना चाहता था कि जब कोई आदमी मर जाता है तब उसे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, मगर जब आज कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन को कोसने की कोशिश करते हैं और इस चीज को समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। जो मैंने बात नहीं कही थी वह पाली जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने कह कर मेरी स्थिति बहुत साफ कर दी है। उपाध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में प्रशासन के और महाराजकुमार के बीच में पहला कन्फ्रंटेशन तब हुआ जब जिस मकान में, जिस इमारत में कलेक्टर और दूसरे दफ्तर चलते हैं उसमें से जालियां निकाल कर महाराजकुमार ले गए और वहां पर अलवर जिले की रियासत का पचरंगा झण्डा फहरा दिया और लोगों को आने जाने में रुकावट डालने के लिए हाथी घोड़े और बैल गाड़ियां लाकर खड़ी कर दीं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आवश्यकता थी महाराजकुमार को ऐसा करने की? तत्कालीन कलेक्टर ने इन सब का काग्नीजेन्स लिया और महाराजकुमार के खिलाफ मुकदमा दायर किया। मेरे सामने जब यह मसला आया, सदन के अंदर इसको एजीटेट किया गया कि महाराजकुमार के खिलाफ कार्यवाही की जाय, उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जावे, उनको गिरफ्तार किया जावे। उस सारी प्रोसीडिंग्स को माननीय सदस्य देख सकते हैं। ऐसा करने के बदले मैंने यहां से एडीशनल आई. जी. पी. को भेजा। उसने सारी चीज की जानकारी करके मुझ को कहा। मैंने महाराजकुमार को यहां पर बुलाया और बुला कर उनसे यह कहा कि आप व्यर्थ का कन्फ्रंटेशन क्यों बुलाते हैं। उन्होंने कई बातें कहीं और यह फैक्ट है कि कलेक्टर ने जो कुछ भी कहा, तथ्यों से परे नहीं था। मगर, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उस कलेक्टर का ट्रांसफर किया। मैंने उस एस. पी. का ट्रांसफर किया और महाराजकुमार को बुला कर यह कहा कि तुमको कोई शिकायत हो तो मुझे आकर कहना चाहिए। इस प्रकार छोटे बच्चों की तरह झगड़े करते रहना उचित नहीं है। उसके बाद में पोलो ग्राउण्ड की जमीन का एक केस आया। मैंने देखा कि महाराजकुमार के स्टेटमेंट बहुत इतने हाई पिच पर थे कि जिसकी कोई हद नहीं है। एक एमीनेन्ट ज्यूरिस्ट जो अन्याय नहीं कर सकता, गलत बात नहीं कह सकता, ऐसे व्यक्ति को ले जाकर के मैंने रिकार्ड को, पूरे स्टेट के रिकार्ड को बताया और महाराजकुमार को वहां लेजाकर खड़ा कर दिया। वहां पर उन एमीनेंट ज्यूरिस्ट ने भी कहा कि महाराजकुमार का आग्रह ठीक नहीं है। इसके बाद में एक नया कानून आता है मगर उनको कह देने के बावजूद महाराजकुमार ने अपनी जिद्द नहीं छोड़ी उस पोलो ग्राउण्ड की जमीन को। वह अपने आग्रह को बराबर चलाते रहे। वे उनके शुभचिंतक थे। वे उनकी इज्जत करते थे, मैं जानता हूं लेकिन उसके बावजूद वे नहीं माने। इसके बाद एस्टेट रिजम्प्शन एक्ट आया और विजय मंदिर की एक सौ और कुछ बीघा जमीन को एक्वायर किया गया। विनय विलास का रकबा 165 बीघा था उसको एक्वायर करने का सवाल आया। यह एक अजीब सी स्थिति हो जाती है जब माननीय सदस्य यह बोलते हैं कि हाई कोर्ट ने उनके हक में

(श्री हरिदेव जोशी)
फैसला दे दिया। वह देखा है आपने? वह फैसला तो गवर्नमेंट के हक में है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : स्टेटस को आर्डर है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं अंग्रेजी पढ़ कर सुना रहा हूं, सुन लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : "Status-quo in respect of impugned order dated 31st December, 1975 of Collector-..."

कलेक्टर अलवर के हक में कहा है। बाज मर्तबा समझने की कोशिश नहीं करते कि क्या है :

It was the Collector's order of 31st December, 1975.

गए थे महाराजकुमार रिट करने के लिए मगर फैसला हुआ कलेक्टर के हक में। उसके पहले वहां दीवार बना चुके थे। यह आर्डर इस तरह का है:

"Status-quo in respect of impugned order dated 31st December, 1975 of Collector Alwar as existing today shall be maintained till the next date of hearing."

इस तारीख तक, अगली तारीख तक जो भी स्टेटसक्वो होवे उसको मेन्टेन किया जावे याने कलेक्टर के आर्डर को। वहां पर दीवार बना दी गयी थी। उस दीवार का अजीब सा मजाक है। आर्डर तो यह है और महाराजकुमार पार्टी को टेलिग्राम करते हैं :

"Stay order granted by High Court Rajasthan against order of Collector. Stop work immediately, otherwise proceedings will be launched for contempt of court."

कितना फैक्ट्स को तोड़ा मरोड़ा गया है। कलेक्टर का जो आर्डर है, उसको मेन्टेन किया गया है मगर टेलिग्राफिकली नोटिस देते हैं–कलेक्टर के आर्डर के अगेंस्ट में स्टे आर्डर हो गया है कम्पलीटली मिसगाइडिंग और फेब्रिकेटेड है।

उस दीवार को तोड़ दिया। उसके बाद में अलवर के अन्दर खूब ज्यादा इस चीज का हंगामा हुआ। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से रिजूलेशन पास हुए" Now you can disown Congress Party, but I cannot disown the Congress Party. अलवर की शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने रिजूलेशन पास किया। अलवर की कम्युनिस्ट पार्टी ने रिजूलेशन पास किया और यह कहा कि in a contemptuous way में हाईकोर्ट के आर्डर को डिसरिगार्ड कर के इस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है, गवर्नमेन्ट को उसका कोग्नीजेन्स लेना चाहिये और इस सदन के 18 माननीय सदस्यों ने लिख कर मुझे दिया है। उसके बाद में गवर्नमेन्ट ने केवल अपना कब्जा करके 5 आदमियों की एक पिकेट वहां बैठा रखी। इस पिकेट का जिसके पास में हथियार थे, पांचों के पास राइफलें थीं, पांचों के पास कारतूस थे। इन सब पर घेरा डाला गया और रात को महल के अन्दर इनको ले जाया गया। वे कोई भी अनटुवर्ड बात करना चाहते थे तो वे वहां पर

(श्री हरिदेव जोशी)

फायर कर सकते थे। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको फोसिब्ली ले जाया गया। उनको पीटा गया और पीटा जाकर यह लिखवाया गया कि कब्जा महाराजा का है। आप सोचिये कितनी अक्लमन्दी की है। यह कितनी अक्लमन्दी है कि पुलिस के सिपाहियों से लिखवाया कि महाराजा का कब्जा है और हम नाजायज तरीके से यहां पर आये हैं। कितनी अक्लमन्दी की बात है! ऐसा कोई कर सकता है? कोई भी समझदार आदमी ऐसा कर सकता है? पुलिस के सिपाहियों से लिखवाया कि हम यहां पर नाजायज तौर पर आ गये हैं। इसके बाद में गवर्नमेन्ट ने युवरानी के खिलाफ नहीं मगर जितने नाम आ गये थे उन सब के खिलाफ वारन्ट निकाले। वे सारे के सारे फूलबाग पैलेस में जाकर छिप गये। उनको इत्तिला दी गयी कि वे अपनी सफाई आकर के दें परन्तु एक भी आदमी विलिंगली टर्न अप नहीं हुआ और आप सोचिये जब एक भी आदमी नहीं आता है, आप यह सोचते हैं कि इस बात से एडमिनिस्ट्रेशन का सिर ऊंचा रहता है? आप यह समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट कर सकता है? उसकी आथोरिटी को चेलेन्ज किया गया और उसके आर्डर को एक नागरिक नूलीफाइड करता है तो क्या उसके खिलाफ वारंट इशू नहीं करें। और जिस प्रकार से मैंने महाराजकुमार को बुलाकर समझाने की कोशिश की कि इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करें लेकिन किसी तरह से उनसे कान्ट्रेक्ट नहीं किया जा सका। इसके बाद उनके फादर वहां नहीं थे, उनको कान्टेक्ट किया गया और उनको रिक्वेस्ट की कि वे जाकर महाराजकुमार को समझावें। तारीख 25 मार्च को महाराज साहब तीन घन्टे तक इस फूल बाग पेलेस के अन्दर रहे और तीन घंटे तक उनको समझाया और काफी उनको कहा जिसको मैं यहां पर कान्फीडेन्स में नहीं कहना चाहता। तीन घन्टे तक समझाने के बाद में उनके बीच में एक चीज अराईव एड हुई और उसको उन्होंने मुझसे कहा। फिर यह सवाल आया कि महाराजा साहब मुझसे मिलना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम। मैं यहां पर पार्टी का चुनाव था राज्य सभा का तो भी उसको अवाइड करके घर बैठ कर के तीन, चार घंटे महाराजा से मिलता रहा। मेरी काफी लम्बे समय तक उनसे बातचीत हुई। उन्होंने मुझसे एक ही बात कही, मैंने ऐसा सुना है कि युवरानी के खिलाफ भी केस हुआ है। मैंने उनसे कहा छोड़ दीजिये इस बात को। कोई कम्पलीकेशन नहीं होगा। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। यह मैंने उनसे कहा है। उसके बाद में यह बात तय हुई कि महाराजा साहब यहां से जायेंगे। उनके साथ में और भी जायेंगे और वे जाकर के महाराजकुमार से बात करेंगे और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं नगेन्द्र बालाजी की जो बातें वहां पर हुई हैं, वे सारी की सारी बातें जो शुभचिन्तक यहां से गये उन्होंने और महाराजा अलवर ने सारी की सारी उनको कनवे कर दी। मेरे पास यह सब लिखा हुआ है आन रिकार्ड, जो कुछ भी मेरे और महाराजा के बीच में अथवा दूसरे लोगों के बीच में अराईवऐट हुआ था, वह सारी चीजें महाराजकुमार को कन्वे कर दी गई थीं अर्थात् क्या कन्वे की गई थीं कि एडमिनिस्ट्रेशन उनका शत्रु नहीं हैं, उनको कन्फलीक्ट नहीं करना चाहिये और उनको आकर के

(श्री हरिदेव जोशी)

बात करनी चाहिये। मैं 6 बजे से, क्योंकि महाराजकुमार आकर मुझसे मिलने वाले हैं, दूसरी सब जगह के कार्यक्रम को टाल कर के बैठा रहा। यहां तक कि मेरी पार्टी के जो लोग जीते थे उनको कांग्रेचुलेट भी नहीं कर सका और घर पर बैठा रहा कि महाराजकुमार अब आयेंगे, अब आयेंगे। इसी दरम्यान में मुझे इत्तिला मिली कि इस प्रकार की दुखद घटना घटी है। कैसे घटी–महाराजा साहब गये। आप आश्चर्य करेंगे कि फ्रन्ट गेट से महाराजा को नहीं घुसने दिया गया जो हाथी घोड़े बाग में रख छोड़े थे, they were not permitted उनको कहा गया पिछले दरवाजे से आओ। वे बिचारे पिछले दरवाजे से गये। वहां जा कर के महाराजकुमार से मिले। वे दुवरानी से मिले और सारी चीज समझाई भी कर के? मुझे सूचना मिली कि महाराज कुमार ने बात करना स्वीकार कर लिया है–उन्होंने महाराजा से कहा, अच्छी बात है मैं तैयार होकर के मिलने के लिए आता हूं। बीच में भागीरथसिंह टपक पड़े और दोनों भागीरथसिंह के क्वार्टर के अन्दर गये और अन्दर से बोल्ट किया। बोल्ट करने के बाद दो शाट की आवाज हुई। सभी लोग चिल्लाने लगे। जितनी भी तेजी से हो सकता था उनको अस्पताल पहुंचाया गया और मेडिकल बोर्ड बिठाया गया :

"A Medical Board comprising the following members is hereby constituted to medically examine Shri Pratap Singh son of Shri Tej Singh of Phool Bagh, Alwar, today, the 27th March, 1976.

1. Dr. D.D. Sharma Chairman.
2. Dr. L.K. Joshi Member.
3. Dr. G.C. Agarwal Member."

इन डाक्टरों ने जो अपनी मेडिकल रिपोर्ट दी है, और माननीय सदस्य जो फर्मा रहे हैं उससे वह भिन्न है। जो मेडिकल रिपोर्ट दी गई है उसके अनुसार महाराजकुमार के लेफ्ट साइड के अन्दर सीने के पास में एक घाव लगा है और उसके अन्दर से 9 छर्रे मिले हैं, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। भागीरथसिंह को भी केवल एक चोट लगी है, शकल में एक चोट लगी और केवल दस छर्रे निकले। एक बन्दूक 12 बोर की, एक हथियार और दो कारतूस मिले हैं। माननीय सदस्य जो यह कहते हैं कि तीन गोलियां लगीं या दो गोलियां लगीं केवल गैर जानकारी पर कही गई बात है। उपाध्यक्ष महोदय, विलियन ऑफ दी पीस इससे मुझे ऐसा लगता है कि भागीरथ सिंह थे, जिनका इस दुखद घटना से कुछ वास्ता जरूर था। महाराजकुमार अपने पिता से, अपने शुभचिन्तकों से और अपनी पत्नी से बात करने के बाद में जयपुर को रवाना हो रहे थे, इस बीच में उस प्राक्स-टीनेंट टाइप, एडामेन्ट टाइप के आदमी, उनको पता नहीं क्या समझाकर अपने कमरे में ले गया और पता नहीं क्या बात हुई, क्या सोचा गया और यह दुखद घटना हो गई।

कुछ माननीय सदस्यों ने केस को ठीक बनाने के लिये सक्सेना डी. आई. जी., कलेक्टर सक्सेना और एस. पी. सक्सेना को इसमें इन्वाल्व करने की कोशिश की है। मैं

(श्री हरिदेव जोशी)

ऐसा मान करके चलता हूं कि इतनी गम्भीर बात, माननीय सदस्य, उन्होंने घटना के समय बहुत गम्भीरता बरती होगी। डी. आई. जी. सक्सेना पहले झगड़ा हुआ उस समय वे वहां पर नहीं थे, एक केवल कहानी जोडने के लिये कि इस प्रकार से कर दिया, कलेक्टर सक्सेना और एस. पी. सक्सेना दोनों पहले झगड़े के समय वहां नहीं थे। पहले वालों के मैंने ट्रान्सफर कर दिये थे और नये आदमी गये थे। उसके बाद में कोई झगड़ा नहीं हुआ। और किसी की बात को जाने दीजिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कई प्रकार की बातें कही गई, एडमिनिस्ट्रेशन दब्बू है, यह है, वो है, 17 आदमियों के दस्तखत के अन्दर यह कहा गया कि आप कमजोरी की बात कर रहे हैं, मैंने महाराजकुमार को विश्वास दिलाया है कि कोई गलत काम कर रहा हो तो आप मेरे पास आयें, और वह नहीं आये। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सदस्यों ने, जो मानसिक स्थिति विकिटन की थी, उनको समझने की कोशिश नहीं की है। मैं केवल एक घटना से यह बतला रहा हूं। महाराजकुमार ने उन लोगों से जो दस्तावेज लिखाया था, रात को वह वहां थे। वे लोग गुनाहगार हैं। यह सारी की सारी काबिज महाराजकुमार की है फिर यह दस्तावेज क्यों करवाने की जरूरत पड़ी? यह किस डिफेन्स में थी? यह किसके लिये था? पुलिस की साजिश से यह दस्तावेज लाने की क्या जरूरत थी? इसलिये वह द्वार तोड़ चुके हैं, कानून को भंग कर चुके हैं, इसलिये आपने फारवर्डिंग लेटर मे आई. जी. पी. को भेजा है—Think of the fun. यह लेटर जिनकी चार कापी in his own hand writing आई. जी. पी. को भेजी है। अब आप यह सोचने की कोशिश करिये कि किस प्रकार से उस आदमी का माइण्ड काम कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कही गई कि महाराजकुमार को मजबूर कर दिया गया गोली मारकर आत्म हत्या करने के लिये। जो एडमिनिस्ट्रेशन समझौते की कोशिश कर रहा था, उसके हैड आफ दी फेमिली को बुलाकर, उसके परिवार से घनिष्टता रखने वाले लोगों को यह कहता है कि आप लोग उनसे कहिये, और जो सज्जन कार से वहां गये उनसे पहिले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्स्ट्रक्शन पहुंच गये थे कि हम लोग आ रहे हैं, इस प्रकार का प्रोग्राम है जिसको फेसिलिटेट करना है, उन सब ने यह लिखकर दिया है कि पूरा कोआपरेशन मिला। मैं समझता हूं कि कोट करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, मगर मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर के महाराजा तेजसिंह जी ने मुझसे कहा है कि आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने गम्भीरता से अनटूवर्ड इन्सीडेन्ट को टाला है। जिन्होंने सर्किट हाउस के अन्दर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को मिलने दिया। कलेक्टर और एस. पी. इस दुर्घटना से पहले महाराजा से वहां मिल कर गये है। कलेक्टर और एस. पी. उनसे मिले है और उन्होंने कहा है कि तुम डिजर्व करते हो प्रमोशन के लिये, तुमने एक दुर्घटना को टाला है। उनके मन में था कि दुर्घटना टल गई। क्रूड मेथड आफ एडमिनिस्ट्रेशन होता तो यह होता कि प्रतापसिंहजी को वारन्ट भेज दिया जाता और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती और गोली चलाने को

(श्री हरिदेव जोशी)

नौबत आती तो उसका मुकाबला भी गोली चलाकर गोली से करने की कोशिश की जाती मगर ऐसा कुछ नहीं किया गया। आफकोर्स पुलिस वाचफुल थी कि कोई दुर्घटना न घटे, मगर इसके मायने कभी यह नहीं था कि जब हमने यह देखा कि कोई चीज ऐसी घट सकती है तो पुलिस के एक आदमी ने फूलबाग पेलेस में प्रवेश नहीं किया, क्या सरकार कमजोर थी जो पचास आदमियों का मुकाबला नहीं कर सकती थी? क्या सरकार के पास कोई साधन नहीं थे? इतने दिनों तक इन्तजार करने के बाद भी कोई प्रबन्ध नहीं करने के मायने क्या थे? उसके यही मायने थे कि एडमिनिस्ट्रेशन कन्फेट्रेशन टालना चाहता था जिस एडमिनिस्ट्रेशन ने कन्फट्रेशन को टाला, जिस एडमिनिस्ट्रेशन ने सम्बन्ध परिवार के सदस्यों को बुलाकर, उस परिवार के हैड आफ दी फेमिली को बुलाकर बात की, उसको विश्वास दिलाया, इसके बावजूद पूरे बाग में अलवर के महाराजा से कलेक्टर और एस. पी. मिले, आश्वासन दिया, इससे बड़ी एमिकेबल सिच्युएशन और क्या हो सकती है? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि जैसा यहां पर कहा गया कि कई लोगों ने कानून का सहारा लिया है। राजा-महाराजा वहां पर गये, अदालत में गये, तो हमने क्या किया? हमने वर्षों तक इन्तजार किया अदालत के फैसले का। हमने कब गोली चलाई उनके ऊपर? यहां तक कि सरेन्डर करने में देरी भी हुई है, टाइम निकल जाने के बावजूद हमने यह समझा है, दो दिन की देरी का कोई अर्थ नहीं होता है। हमने उनको एकामोडेट किया है। इसलिए एकामोडेट किया है कि चेंजिंग सरकम्सटान्सेज के अन्दर मगर कुछ लोग लेटीट्यूडिनल एटीट्यूड से अपने को एडजेस्ट नहीं कर पाते हैं तो समझदारी इस बात का नाम है कि आप गम्भीरता से इस चीज को लें और हार्ड हार्ड एटीट्यूड नहीं लें। मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान के अन्दर दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहां पर घटी, लेकिन राजस्थान के अन्दर इस प्रकार की चीजें नहीं हुई हैं। हमने उनको अवाइड किया है। आज प्रशासन को आप कुछ भी कह लीजिये मगर यदि आप इन सारे तथ्यों के आने के बाद भी यह कहते हैं कि प्रशासन ने दुर्भाग्य को टालने की कोशिश नहीं की, दुर्घटना न घटे ऐसा प्रयत्न नहीं किया—मगर आप ऐसा कहें तो आप अनुदार हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मैं इस रूप में इस सारी चीज को नहीं देखता तो झगड़ा बढ़ सकता था दो से ज्यादा लोग मारे जा सकते थे पुलिस की तरफ के लोग भी मर सकते थे, दूसरी तरफ के लोग भी मर सकते थे। मैं ऐसा समझता हूं, मैंने और इस एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें जितनी भी क्षमता थी, उस पूरी क्षमता का पूरा उपयोग किया है। आप मुझे बतलाईये, क्या आप मुझसे यह अपेक्षा करते थे कि मैं महाराजा से रिक्वेस्ट करूं, वह आकर मिलें, वह खुद मिलकर बात करें? क्या आप अपेक्षा करते हैं वह आकर मिलें और मैं न मिलूं? क्या मैंने इन्तजार नहीं किया है। कलेक्टर ने एश्योरेन्स दिया। मैंने एशोरेन्स दिया, अपने घर पर बैठकर एस्योरेन्स दिया। इससे ज्यादा बात क्या हो सकती है? इसलिए

(श्री हरिदेव जोशी)
यह कहना कि किसी भी स्थिति के अन्दर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फेल्योर रहा है—मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। अलबत्ता विलियन ऑफ द पीस भागीरथ सिंह पहले गिरफ्तार हो गया होता तो मेरे मनमें है कि महाराजकुमार की मृत्यु नहीं हुई होती। यही मुझे निवेदन करना है।

श्री मूलचन्द सामरिया : एक प्रश्न ...

विधायी कार्य

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन), विधेयक, 1976

श्री उपाध्यक्ष : आईटम नं. 1 । विधेयक का पुर:स्थापन ।

श्री रामनारायण चौधरी (मंत्री, स्वायत शासन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री मूलचन्द सामरिया : एक प्रश्न ..

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुर:स्थापित करता हूं।

मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (1976 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 5) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

विधेयक पर विचार

राजस्थान कराधान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक। माननीय मंत्री।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कराधान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अजीतसिंह।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

श्री अजीतसिंह (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने राजस्थान कराधान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 विचारार्थ प्रस्तुत है। मैं उसके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

[निम्नलिखित प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया]

"राजस्थान कराधान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 को एक माह

(श्री मर्जीतसिंह)
के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ।"]

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्तर्गत नये अमेंडमेंट लाये गये हैं और जो नई व्यवस्थायें लागू की गई हैं उनके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इसके बहुत सारी शर्तें कराधान के साथ जोड़ी गई हैं, उसमें जो छोटे व्यापारी है मिडिल क्लास के व्यापारी हैं, उनके लिए बड़ा संकट खड़ा हो जायगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किताब रखना, उसके अन्दर गलतियां होना कोर्ट के अन्दर जाना यह सारी व्यवस्था ऐसी है कि उलझन पैदा करने वाली है। इसके कारण आम व्यापारी बड़ा संकट महसूस कर रहे हैं। जब यह अध्यादेश लागू हुआ है तब से मुकदमों की तादाद बढ़ गई है और व्यापारियों की परेशानी नित नई, यह देखने में आती है, बढ़ती चली आ रही है। जो भी हिसाब पेश किये जाते हैं उनके अन्दर मनमाने ढंग से अधिकारी आदेश कर देते हैं बेचारे गरीब परेशान होकर अपील में जाने की इजाजत मांगते हैं तो बगैर पैसा जमा किये अपील में जाना मुश्किल हो जाता है। पहले स्टे होता था तो सारा हिसाब और बकाया वसूली रुक जाती थी। आज पैसा जमा किये बगैर सरकार अपील में जाने की इजाजत नहीं देती है। यह ऐसी व्यवस्था है जिससे छोटे व्यापारी परेशान हैं। इसके साथ में दूसरा तरीका अपनाया है इस विधेयक में वह बड़ा विचित्र है। आज अधिकारी जाते हैं दुकान के अन्दर और हिसाब चेक करने के बहाने सारे कागजात जब्त कर देते हैं। जब्त होने के साथ साथ जितना रिकार्ड है, जितना जमा खर्च है, और लेना देना है—वह सारा ठप्प हो जाता है। यह कागजात महीनों तक विभाग के अन्दर पड़े रहते हैं और इस कारण उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। शुरू में हमने मांग की कि जो टैक्स वसूली है उसके लिए हम मना नहीं करते लेकिन इस वसूली में सरलीकरण किया जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जब से लागू किया गया है सेल्स टैक्स, उससे पहले राजा के टाईम में जो चुंगी वसूल हुआ करती थी, चुंगी के नाके बने हुए हैं, वहां चुंगी वसूल हो जाती है और लोगों को कुछ परेशानी नहीं होती थी। चुंगी में जोर जबरदस्ती, पकड़ा धकड़ी से तंग आकर यह स्वीकार किया था कि सेल्स टैक्स लगा दिया जाय और सेल्स टैक्स ले लिया जाय। लेकिन स्थिति उससे भी बदतर हो गई। दुकानों के अन्दर डाकुओं की तरह अधिकारी जाते हैं और सारे कागजात जब्त कर लेते हैं। कागजात जब्त करने के बाद में सालों गुजर जाते हैं लेकिन रिकार्ड की जांच नहीं हो पाती है और सारे कागजात जब्त होने के बाद में व्यापारी का सारा व्यापार ठप्प हो जाता है। इसलिए सरलीकरण करके ऐसा तरीका निकालें कि सरकार को जो टैक्स लेना है वह सही ढंग से प्राडक्शन के ऊपर ले लिया जाय। यह ज्यादा उपयुक्त होगा। टैक्स जो आता है उसके अन्दर तो पैसा दे देते हैं लेकिन जमा नहीं करवाते हैं। ब्लेक मनी इसकी वजह से बन रहा है। मैं चाहूंगा कि जो सेल्स टैक्स लगा रखा है, उसके अन्दर रास्ता निकालें ताकि ठीक ढंग से इसका पालन हो सके। इसके अन्दर कोर्ट में जब तक निबटारा नहीं हो तब तक आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दा

(श्री अजीतसिंह)

है। इसके अन्दर भी छूट दें ताकि तकलीफात दूर हो सकें।

सेल्स टैक्स एडवान्स जमा कराने की जो प्रथा चली है, यह छोटे काश्तकार और छोटे व्यापारी के लिए दुःखदायी है। पहले जमा करायें, फिर टैक्स का इतना भार—इस कारण छोटे व्यापारी को व्यापार चलाना मुश्किल हो गया है। इसमें आप राहत दें।

इसके साथ ही जो रिफण्ड की कार्यवाही है—इसके अन्दर बड़ी भारी दिक्कत है। ट्रक वगैरह में जो बाहर से माल आता है उसका पैसा जमा कराना पड़ता है। फिर रिफण्ड की कार्यवाही के लिए अधिकारियों के पास जाते हैं तो पैसा मिल नहीं पाता है। इस कारण छोटे व्यापारी व्यापार नहीं कर पाते हैं और बड़े व्यापारी जिनके पास आदमी हैं वह इससे लाभ ले लेते हैं। इससे छोटे व्यापारियों के सामने संकट पैदा हो गया है।

इन सब बातों को देखते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधेयक को जनता की राय जानने के लिए प्रसारित किया जाय, ताकि जो टैक्स दे रहे हैं उनकी जानकारी सही हो और उनके उपयोगी सुझाव आयें। उन पर मिल बैठकर निर्णय करें।

यह सेल्स टैक्स है यह दूध देने वाली गाय जैसा है। इससे इकट्ठा पैसा सरकार को मिलता है। लेकिन टैक्स की बेरहमी के साथ वसूल करने की प्रथा लागू है, इसको बन्द करके व्यापारी के लिए, जनता के लिए और उसकी राय जानने के लिए, प्रसारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल लाया गया है, इस सम्बन्ध में मुझे सुझाव रखने हैं।

[निम्नलिखित प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया।]

"राजस्थान कराधान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन क्रमशः एक सप्ताह, एक माह में प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी")।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : आपके बाद में मेरा भी नाम है। मैं भी बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप उपस्थित रहेंगे तो आपका नाम जरूर बोलूंगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि हमारा यह उद्देश्य रहा है कि टैक्सेज जरूर लिए जायं और उन टैक्सेज का भार किस पर हो, इस बात को हमको सोचना और तय करना पड़ेगा।

जैसा मैंने निवेदन किया आज देश में हमारी सबसे बड़ी देन अंग्रेजों के जमाने की है वह है एक इन्डिपेन्डेन्ट जुडीश्यरी। सब चीजें उन्होंने छोड़ी, उन्होंने गुलामी में जो इजाफा

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

किया है लेकिन प्रसन्नता की बात है कि जो इण्डिपेन्डेंट जुडिशियरी की परम्परा एक छोड़ी, वह हमारे लिए बहुत बड़ी देन रही। यह जो इन्साफ का एक दरवाजा हर आदमी के लिए खुला हुआ है और जितनी कठिनाइयां उनके सामने आती हैं, उनके निवारण के लिए वह उसके दरवाजे को खटखटाता है और आराम हासिल करता है और महसूस करता है कि उसके साथ ज्यादती नहीं हुई, उसके साथ इन्साफ किया गया है। अब अगर इस इन्साफ के दरवाजे को भी इस तरह से बन्द करने की कोशिश की जाए कि कभी गरीब आदमी या कोई भी आदमी जो सक्षम न हो वह उस दरवाजे तक पहुंच सके, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी।

मैंने निवेदन किया था कि आपने जो कर लगाये उनका हमने स्वागत किया। मगर हमने आपके सामने यह रखना चाहा कि आप जो स्टाम्प ड्यूटी का बोझ ऐसे वर्ग पर डालें जो उसे वहन करने में सक्षम हो तो आपत्ति नहीं। अगर आप पार्टनरशिप डीड्स पर या मेमोरेंडम आफ एसोसिएशन पर या आर्टीकल्स आफ एसोसिएशन पर किसी किस्म का टैक्स बढ़ाते हैं तो वह एक सक्षम वर्ग पर लगाते हैं और उसका हम स्वागत करने को तैयार हैं। मगर आज हमें सोचना होगा कि अगर बोंड्स, कन्वेयन्स व एफीडेविट्स पर और इसी प्रकार के जो दस्तावेजात हैं, जो एक साधारण इन्सान की जिन्दगी के काम में आते हैं, उन पर अगर कोई टैक्स की वृद्धि की जाती है तो वह एक ऐसी स्थिति पैदा करेगा कि जो एक छोटा आदमी है, जो इन्साफ के दरवाजे को खटखटाता है, वह उस स्थिति में नहीं रहेगा कि वह उसका फायदा उठाए।

जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बड़ी बड़ी लेन देन होती है 50 हजार, 60 हजार व 70 हजार को, जो आदमी बड़े बड़े कारखाने लगाते हैं उन पर जरूर स्टैम्प ड्यूटी लगायें और जितना पैसा कन्वेयन्स और बोंड्स से वसूल करते हैं उससे चौगुना वसूल करें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आपने एफीडेविट्स पर, कोर्ट फीज पर इजाफा किया, 2।।) की जगह 4) कर दिये, यह एक ऐसी चीज है जिसका असर किसानों पर और छोटे लोगों पर पड़ता है। हर एफीडेविट के लिए उनको पहले दरखास्त देनी पड़ती है और सिवा उन एफीडेविट्स के अदालतों में पेश किए जाते हैं, बाकी पर ढाई रुपये लगते हैं। अगर किसी लड़के को अपनी उम्र के बारे में सर्टीफिकेट लेना पड़ता है तो····

श्री गौरीशंकर मुनीम : कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : तो मैं निवेदन कर रहा था कि उदाहरण के लिए अगर किसी पढ़ने वाले लड़के को उम्र के सर्टिफिकेट की जरूरत होती है या उसके वालदयान की जरूरत होती है, उसकी उम्र कमी बेशी करनी होती है तो तीन एफीडेविट्स देने पड़ते हैं दो गवाहों के और एक पिता का। तो वह 3।। रुपये में काम निकलवाता था। इस इजाफे से अब उस पर दुगना भार होगा, उसको 15 या 20 रु. देने पड़ेंगे। वह दरख्वास्त लिखाएगा, तस्दीक

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

करायेगा उसके बाद पेश करेगा, जब वहां से निकलेगा तो उसके 30—40 रु. खर्च हो जायेंगे। इसी तरह से किसान को कोई चीज लेनी है तो उसको एफीडेविट लगाना पड़ता है तो उसको ढाई गुना कीमत देनी पड़ेगी। तो आप जो एफीडेविट्स पर स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, वह उचित नहीं है।

आपने बोंड्स की स्टाम्प ड्यूटी पर भी इजाफा किया है। आज काश्तकार कर्जा लेता है या और लेन देन करता है या किसी किस्म का एग्रीमेंट करता है जो बोंड्स और कन्वेयन्स की तारीफ में आता है तो उसका बोझ उसी पर पड़ता है, पैसा देने वाला नहीं उठाता, जो उस दस्तावेज को हकीकत करता है उस पर पड़ता है, तो यह जो बोंड्स कन्वेयन्स और काम्प्रोमाइज डीड्स पर स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाई है यह कभी भी उचित करार नहीं दी जा सकती। वित्त मंत्री जी दस्तावेजात पर भले ही इजाफा कर दें, उसमें और इजाफा कर दें, और पैसे की कमी को पूरा कर दें लेकिन एफीडेविट्स, बोंड्स और कन्वेयन्स पर जो वृद्धि की है वह वापस लेनी चाहिए।

इसके अलावा भी अगर वह समझते हैं कि इसमें पूरी छूट नहीं दी जा सकती तो फिर जो छोटी लेन-देन है उसको इस वृद्धि से मुक्त कर देना चाहिए और एक हद मुकर्रर करें कि 5000 रुपये पर इतनी वृद्धि होगी, बाकी पर नहीं होगी, इस किस्म का रास्ता निकाल दें तो छोटी लेन देन करने वालों को सहूलियत मिल जायेगी। यह जो स्टैम्प ड्यूटी में इजाफा है उसका बोझ छोटे वर्ग पर पड़ता है, उसको वित्त मंत्री को वापस लेना चाहिए।

दूसरा निवेदन और करना चाहूंगा, वह है एन्टरटेनमेंट टैक्स के मुताल्लिक है। मैं वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 1.60 रु. के टिकट पर कम किया है। लेकिन यह जो दो रुपए का टिकट है उस टिकट तक को बिल्कुल एग्जेम्प्ट करना चाहिए क्योंकि दो रुपए तक जो पैसा अदा करना पड़ता है वह ऐसा वर्ग होता है जिसके लिए दुनिया की सब तफरीयात बन्द होती हैं. वह सिनेमा देखने आता है। हमारे मार्क्सिस्ट्स ने, हमारे वित्त मंत्री ने भी दलील दी कि सिनेमा के अन्दर भीड़ रहती है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह भीड़ आधार है उस खुशहाली का जिसका राग आप और हम आलापते हैं या इस बात का सूचक है कि जब उनके पास कोई तफरीयात नहीं रहती तब वह सिनेमा जाता है? तो क्या आप समझते हैं कि ये जितने सिनेमा जाने वाले लोग हैं उनके पास इतना पैसा है कि वह खूब खर्च कर सकता है? दो के बजाय चार और चार के बजाय 8 आप कह सकते हैं कि यह भीड़ इस वजह से है कि लोग खुशहाल हैं और तमाशा देख रहे हैं लेकिन आप इस भीड़ के आधार पर हम लोगों की खुशहाली का अन्दाज न लगायें तो बेहतर है। कोई तफरी एक गरीब इन्सान के लिए नहीं है। हम उस चीज को बुरा समझते हैं कि वे शराब पीयें या जुआ खेलें। उसके मुकाबले में अगर उसके आगे कोई चीज मुहैय्या कर सकते हैं तो वह है छोटे छोटे सिनेमा घर जहां दो तीन घंटे के लिए वह अपने गम को मिटा सकता है। इसमें इस बात को लेकर तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने नीचे के टिकट में तो पैसे कम किये हैं लेकिन आपने जो दो रुपये

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

के टिकट पर दो रुपये ही एन्टरटेनमेन्ट टैक्स लगा दिया यह आपने ठीक नहीं किया इसको आपको वापिस लेना चाहिये क्योंकि आपने दो रुपये तक के टिकट के चार रुपये कर दिये। इसका मतलब यह हुआ कि आप को दो रुपये दें और दो रुपये सिनेमा वालों को दें। मैं समझता हूं कि आपने इसकी लीगल पोजीशन नहीं देखी। आपको मालूम होना चाहिये कि वित्त मन्त्रीजी जो एग्रीमेन्ट आपका इन सिनेमाघरों के मालिकों के साथ हुआ है उसके अनुसार आप उनसे 70 प्रतिशत से ज्यादा टैक्स वसूल नहीं कर सकेंगे। मैं नहीं समझता कि आपकी शक्ति 70 प्रतिशत से ज्यादा टैक्स लगाने की है या नहीं लेकिन अगर यह बात सही है तो आप को हक है कि आप उसमें इजाफा कर सकते हैं, तो चाहे आप बढाइये लेकिन इस कानूनी मुद्दे को आपको देख लेना चाहिये। आपको इस पर गौर करने की आवश्यकता है। चुनांचे मैं राज्य सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा कि राज्य सरकार इस एग्रीमेन्ट को देख ले। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप गलत हों। मेरी जानकारी जहां तक कानूनी है उसके अनुसार शायद आप 70 फीसदी से ज्यादा आप नहीं इजाफा कर सकते हैं और जब आप इजाफा नहीं कर सकते हैं तो फिर शतप्रतिशत इजाफा करने का क्या औचित्य है? आपने एन्टरटेन्मेन्ट टैक्स दो रुपये पर दो रुपये ही आपने इजाफा कर दिया है। इसलिये मेरी गुजारिश है कि इसको वापिस लिया जाना चाहिये। आपको ज्यादा से ज्यादा सहुलियतें गरीब और मिडिल क्लास को देनी चाहिये।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा स्टेम्प ड्यूटी के इजाफे के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो इसमें इजाफा किया है वह भी आपको वापिस लेना चाहिये। क्योंकि आज स्टाम्प ड्यूटी का जो भार है वह आप उस वर्ग पर डाल रहे हैं जो कि सक्षम नहीं है। इसकी बढ़ोत्तरी करने का भी कोई औचित्य मुझे नहीं नजर आता है इसलिये मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत यह अर्ज है कि स्टाम्प ड्यूटी जो बढ़ायी गयी है उसको वापिस लेना चाहिये तथा एन्टरटेनमेन्ट टैक्स जो आपने दो रुपये के टिकट पर दो रुपया बढ़ाया है उसको भी आपको वापिस लेना चाहिये। मैं इस बारे में वित्त मंत्रीजी का जो राज्य सरकार ने उन सिनेमाघरों के मालिकों से एग्रीमेन्ट किये थे उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपने उनके साथ 70 प्रतिशत से ज्यादा टैक्स लगाने का ही एग्रीमेन्ट किया था उसके अनुसार ही कार्यवाही करें और इस बढाये हुए टैक्स को आप वापिस लें। बस इन्ही गुजारिशात के साथ मैं वित्त मंत्रीजी से दुबारा यही निवेदन करना चाहूंगा कि वह बढी हुई स्टाम्प ड्यूटी को और एन्टरटेनमेन्ट टैक्स को वापिस लें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री महोदय ने यह एलान किया था कि स्टाम्प ड्यूटी में 50 प्रतिशत बढोत्तरी की गयी है और एन्टरटेनमेन्ट टैक्स को 60 प्रतिशत से 100 प्रतिशत बढ़ाया गया है। इसके संबंध में हमारे यहां पर राजस्थान टैक्सेशन लॉज सेकिन्ड एमेन्डमेन्ट एक्ट

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

1976 लाया गया है। इसमें हमारे यहां पर राजस्थान स्टाम्प ड्यूटी ला एक्ट 1952 को और राजस्थान एन्टरटेनमेन्ट टैक्स एक्ट 1957 में चेन्जेज किये जा रहे हैं। मेरे ख्याल से जो मन्त्री महोदय ने स्टाम्प ड्यूटी पर जो टैक्स बढ़ाये हैं उसके लिये आपने मध्यम वर्ग पर बहुत भार डाल दिया है। इसके अलावा यह एन्टरटेनमेन्ट टैक्स को जो कि सन् 1963 मे बढ़ाया गया था उसके बाद में शायद वित्त मंत्रीजी की नजर उस पर नहीं पड़ी थी तो इस बार उनकी नजर उस पर चली गयी। उन्होंने सोचा कि इस सोर्स को भी टेप किया जाये और इसीसे आमदनी बढ़ायी जाय। इसके साथ साथ उन्होंने सोचा कि सिनेमाघरों में भारी भीड़ लगी हुई रहती है। उसने भी उनका ध्यान टैक्स बढ़ाने के लिये आकर्षित किया है। पहले पहले टैक्स राजस्थान में 35 प्रतिशत तक थे उसमें तो इन्होंने 70 फी सदी इन्क्रीज कर दिया, और जहां एन्टरटेनमेंट टैक्स 60 फीसदी था उसको इन्होंने 100 प्रतिशत कर दिया और जो सरचार्ज यहां पर 20 पैसे से लेकर 30 पैसे तक था उसको हटा दिया गया। इसके अलावा एक बात का इम्पेक्ट वित्त मन्त्री जी ने जनता पर जरूर डाला कि आपने सबसे नीचे वाली क्लास में दस नये पैसे की कमी करदी लेकिन उसके ऊपर इन्होंने किसी भी क्लास को बढ़ाने के लिए नहीं छोड़ा। लेकिन अगर हमारी सरकार दूसरी जगह के सिनेमाघरों में जो एन्टरटेनमेन्ट टैक्स लगाता है उसके अनुरूप अगर देखें तो शायद हमारे राजस्थान में भारतवर्ष में सबसे ज्यादा एन्टरटेनमेन्ट टैक्स लगता है। इतना अधिक टैक्स मनोरंजन का कहीं भी किसी भी स्टेट में नहीं है।

(2.35 म.प.)

(श्री भीमसेन, सभापति, पीठासीन)

सभापति महोदय, जो राजस्थान में पहले सन् 64-65 में मनोरंजन टैक्स 54.87 था वह 73-74 में बढ़कर 219.84 लाख रुपये हो गया। तो वह इस प्रकार हम देखें तो पता लगेगा कि यह पांच गुणा बढ़ गया। सभापति महोदय, मैं वित्त मन्त्रीजी का ध्यान हमारे भारतवर्ष के सभी प्रान्तों की ओर दिलाना चाहूंगा कि क्या उन्होंने एन्टरटेनमेंट टैक्स की बढ़ोतरी करते हुए दूसरे स्टेट्स में टैक्सेशन के बारे में भी कुछ गौर किया? राजस्थान में जहां पर पहले 35 प्रतिशत आन टिकट अप टू 0.35 और 50 प्रतिशत आन टिकट आफ मोर देन रुपये 0.50 टू रुपीज वन। और 60 प्रतिशत आन टिकिट्स आफ मोर देन रुपीज वन टू टू रुपीज और 70 प्रतिशत आन टिकटस मोर देन रुपीज टू। अब आप केरल को लीजिये, महाराष्ट्र को लीजिये मध्य प्रदेश का देख लीजिये। आपको सभी हमारे राजस्थान से एन्टरटेनमेन्ट टैक्स की रेट हमारे यहां से कम मिलेगी। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, हमारे हिन्दुस्तान की मेट्रोपोलीटन सीटीज जहां की बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज हैं और जहां पर सबसे बड़ा सोर्स आफ एन्टरटेनमेंट टैक्स हो सकता है बोम्बे जो कि एशिया के अन्दर जितने भी बड़े बड़े सिनेमाघर हैं, उनसे भी ज्यादा टैक्स यहां पर लगते हैं जबकि वहां साढ़े तैंतीस

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

प्रतिशत ही लगता है। और नेक्स्ट रुपये से ऊपर वाले में 55 प्रतिशत ही टैक्स लगता है। और 65 परसेंट ग्रोन अबाऊ रुपीज टू लगता है। इसी प्रकार आप चाहें तो वेस्ट बंगाल देख लें। वहां पर 25 प्रतिशत जनरल रेट फौर एनी एन्टरटेनमेन्ट और इसी प्रकार मैसूर में 20 प्रतिशत ग्रोन टिकिट्स अपटू रुपीज 0.50 और उससे आगे 25 प्रतिशत ग्रोर टिकिट्स मोर देन रुपीज 0.50 टू रुपीज 1.50 पैसे। नेक्स्ट 30 प्रतिशत ग्रोन टिकिट्स ग्राफ मोर देन रुपीज 1.50 से 3 रुपये तक और 35 प्रतिशत ग्रोन टिकिट्स ग्राफ मोर देन रुपीज थी। तो इस प्रकार आप चाहे आन्ध्र प्रदेश को ले। वहां भी 30 प्रतिशत है और चाहे आप आसाम को देखलें वहां पर 25 प्रतिशत ही है और इसी प्रकार गुजरात में भी हमारे से कम है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सारे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा एन्टरटेन्मेन्ट टैक्स लगाने का गौरव हमारे राजस्थान के वित्त मन्त्रीजी को प्राप्त हुआ है। इसलिये मैं उनको ज्यादा नहीं कहते हुए यही कहता हूं कि आपको पहले इन सिनेमाघरों की इनकम को देख लेना चाहिये था, आपने जो यह टैक्स लगाये हैं कहां तक उचित है। इतना ही, सभापति महोदय, हमारे यहां जयपुर का ही नहीं बल्कि राजस्थान का सबसे ज्यादा सोफिस्टीकेटेड सिनेमा घर जो अम्बर है आप उनकी इनकम तो देखिये। यह दूसरी बात है कि मैंने इसी सदन में यह कहा था कि इस अम्बर को बनाने वाले श्री धर्मेन्द्र और राजखोसला ने अपनी सारी ब्लेक मनी को व्हाइट मनी किया है। इसी प्रकार शालीमार सिनेमा घर के मालिक का यह हाल है कि वह सिनेमा घर बनाता रहता है और इनको बेचता रहता है तथा इस प्रकार से वह अपनी ब्लेक मनी को व्हाइट मनी करता रहता है। उसके यहां पर जो लोएस्ट क्लास थी जहां पर सबसे ज्यादा इनकम होती थी उस पर आप गौर फरमायें।

तो आज यह जरूरी है कि लोयेस्ट क्लास है जिसकी एन्ट्रेंस फी 80 नये पैसे है, और पुरानी रेट्स के अनुसार सरचार्ज और टैक्स मिला कर 1.40 पैसे वसूल करते थे और आज यह स्थिति पैदा हो गई है कि 1.30 पैसे प्राप्त होंगे। इससे जो अपर क्लास है, सर्किल हैं, उन सब की रेट्स बे हिसाब बढ़ गयी है। जिनकी एडमिशन फी 1.20 रु. थी नयी रेट्स के मुताबिक 1.80 रु. वसूल होंगे। अपर सर्किल जिसकी रेट्स 1.20 पैसे थी उसकी 2.40 रु. हो गई इसी प्रकार से ड्रेस सर्किल जिसकी रेट्स 1.60 थी उसकी जगह 3.20 पैसे हो गयी। एक दम डबल हो गयी। यह ठीक है कि उनकी इनकम स्लेब देखें तो सबसे ज्यादा टैक्स किस क्लास से प्राप्त होता है तो वह लोवर क्लास से नेक्स्ट क्लास होती है उससे प्राप्त होती है। मैं आपको अम्बर सिनेमा हाल के फीगर्स देकर बताना चाहूंगा। अपर क्लास से जो इनकम हुई है वह 1,35,740 रु. डी. सी. से हुई है 52,702 रु. और डी. सी. से हुई है 2.71, 280 रु. और एन. सी. से प्राप्त हुई है 3,50,259 रु.। विजिटर्स के हिसाब से लोयेस्ट सरकल में, डी. सी. मे, सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा आडियन्स हुई है वह इसमें जिसको संख्या 2,88,596 और उसके बाद लोयेस्ट

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

सर्किल में विजिट करती है। तीसरी ग्रेड में जो यू. सी है उसमें 1,91,134 विजिट करती है। बाक्स की बात नहीं करता नोबल क्लास की भी बात नहीं करता, नोबल लोग जाते हैं। उसमें हन्ड्रेड परसेन्ट आप बढ़ाते सारे भारतवर्ष से तो मुझे कोई एतराज नहीं था। वित्त मंत्रीजी ने इस किस्म की किसी ग्रेडेशन का विचार नहीं किया। यदि आप हन्ड्रेड पर्सेन्ट करते तो सारा का सारा पैसा उससे वसूल कर सकते थे और जनरेट कर सकते थे। सरचार्ज लगाकर लोयेस्ट क्लास को 10 नये पैसे की छूट देकर, लोअर मिडिल क्लास के लिए सिनेमा देखना एक आवश्यक चीज हो गयी है, वह टौनिक का काम करता है, पूंजीवाद की जिस प्रकार की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं उसके खिलाफ जद्दोजहद करते हुए जो जूझ रहे हैं, जिनकी उसके प्रति स्ट्रगल बढ़ती जा रही है, उन सब के लिये थोड़ा सा रिलेक्शन रह गया है तो वह सिनेमा घरों में ही रह गया है, लोअर और मिडिल क्लास के लिये यह आवश्यक हो गया है और यह सारे राजस्थान के लिये भी उपलब्ध नहीं हैं, ग्रामों के लोगों को वह रिलेक्सेशन नहीं है, शहरों में बसने वाली मेहनतकश जनता के लिये यह आवश्यक हो गया है। इन सिनेमा हालों को यदि नेशनेलाइज कर देते तो काफी इनकम इनसे हो सकती है। एक सिनेमा घर जिसकी 28,44,640 रुपया की इनकम है वसूल हो जाती और सारे राजस्थान के सिनेमाघरों पर दृष्टिपात करें और उनको नेशनेलाइज करने की बात सोचते तो वित्त मंत्रीजी छाती ठोक कर यह कहते कि 18 करोड़ का चैलेन्ज मीट करूंगा। बजट में 18 करोड़ रुपया डेफिसिट है वह सिनेमाघरों से मीट कर सकते थे। सारी फिल्म इन्डस्ट्री का जो काम्प्लेक्स है, उसको डिस्ट्रिब्यूशन, प्रोडक्शन डिस्प्ले, आदि सब पर ध्यान देते तो और पिक्चर्स के स्तर पर भी ध्यान केन्द्रित करते तो काफी इनकम जनरेट कर सकते थे। सारे सिनेमा हाउसेज को नेशनेलाइज करके एक इनकम के सोर्स को क्रियेट करते, जैसा कि पंजाब सरकार करने जा रही है।

भारतवर्ष के 22 प्रान्तों के बजट की समीक्षा आयी है। सारे देश की नीति में मूल परिवर्तन हुआ है। प्रोगेसिव लाज को इम्प्लीमेंट करने के लिये सारा देश मजबूती से बढ़ रहा है। इसका गौरव देश की प्रधान मन्त्री को, देश के प्रजातन्त्रीय तत्वों को और देश की वामपंथी शक्तियों को है, जो वसिष्ठता से पूंजीवाद का मुकाबला करते आगे बढ़ रही हैं। 22 प्रान्तों के बजट में डेफिसिट है। चार प्रान्तों के सिवाय सारे देश में इकोनोमी को स्ट्रेन्थन करने के लिए सारे प्रान्तों में जितने भी डेफिसिट बजट में उन सब को मीट आउट करना है। राजस्थान भी उनमें से एक प्रान्त है। वित्त मन्त्री जी इस बारे में क्या सोचते हैं कि सारे सिनेमा घरों को नेशनेलाइज करें? यदि नेशनेलाइज करते 20-25 करोड़ की इनकम जनरेट करते और जो इन छोटी 2 क्लास पर आपने टैक्स बढ़ाये हैं उनको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती और इस तरह से आपको अपने साधन बटोरने के लिये उन पर कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।

इसके अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के एक्ट में मूलभूत में माननीय वित्त मन्त्री ने परिवर्तन

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

किया है। कुछ बातों के लिये तो मैं वित्त मन्त्री जी को तारीफ करूंगा। इस बात को मैं उनकी प्रशंसा करूंगा कि जिस बलिष्ठता से उन्होंने सेल्स टैक्स की वसूली की। यह भी कोशिश की कि नये टैक्स की ज्यादा विजिलेन्ट रह कर वसूली की जाय, यह इकोनोमी को मजबूत बनाने के लिये सही दिशा है।

एक बार एक मिटिंग में यह कहा गया था कि टैक्स इवेजन बहुत होता है और टैक्स लगाना एक कमजोरी है और ज्यादा लगाते जा रहे हैं, यदि उसको ठीक प्रकार से वसूल करें और सही बनायें तो सेकिण्ड फाइव इयर प्लान पूरी हो सकती है। देश में आपातकालीन स्थिति पैदा हुई है। यह धारणा हुई कि ज्यादा बलिष्ठता से लगाये हुए टैक्सों को वसूल करें। यह हमारी नयी दिशा है। लेकिन सभापति महोदय, वह प्राविजन्स जिसमें कि टैक्सेज की रिकवरी स्टाम्प ड्यूटीज के टैक्स को इवेजन जो टैक्स कम लगाये गये हैं उन में रिकवरी के प्रश्न—इन सारे क्लाजेज का मैं एक रूप से स्वागत करूंगा, वह हमारी इकानामी को बलिष्ठ बनायेंगे। इवेजन के कई तरीके हैं जिनमें स्टाम्प ड्यूटीज का इवेजन करते हैं और इसके लिए सारे डील को ही पीसेस में कर लेते हैं और एक टैक्स लिमिट से नीचे लेकर जगलरी करते हैं और डिफरैन्ट नामों से रजिस्ट्री हो जाती है। इसके लिए प्लानिंग की जरूरत है। इस सदन में मैंने अनेकों केस रखे जिनमें कि स्टाम्प ड्यूटीज की हैवी चोरी हुई है। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने केसेज रखे थे, एक हमारे प्रधान साहब का और इस सदन के राज्य मंत्री श्री मनफूल सिंह जी का। इन्होंने एक प्लाट खरीदा और उस पर 10 लाख की बिल्डिंग बना ली एयर कन्डीशन्ड और उस प्लाट की एज वेकेन्ट प्लाट की रजिस्ट्री कराई। प्लाट की कीमत तीन, चार रुपये गज के हिसाब से लगाई जब कि आज वह 50 रुपये गज से ज्यादा है। लेकिन उस बिल्डिंग और प्लाट की कीमत आंकी जाये तो कम से कम 25 हजार रुपये की स्टाम्प ड्यूटी का घेपट हुआ है। बिल्डिंग आधी बनी हुई थी और आधी बन रही थी इसके बावजूद भी वेकेन्ट प्लाट का मामला है उसकी इन्क्वायरी हो रही है ऐसा मेरे लिखकर देने के ऊपर मुझे जानकारी दी गयी।

इसके अलावा मैंने और भी कई मामले रखे। राजस्थान कॉटन मिल रायसिंहनगर का केस। मैंने इनकम टैक्स आफिसर को लिखकर भेजा कि 50 लाख की जिनिंग फैक्टरी का और एक सीजन में 25 लाख रुपये का प्रोफिट होता है और 3½ लाख रुपये की रजिस्ट्री कराई गई है। मैंने वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखी और उनका उत्तर आया कि जांच हो रही है लेकिन कितनी चोरी निकाली गई और इन्क्वायरी का क्या नतीजा निकला यह आज तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई। लेकिन मैं यह जरूर कह सकता हूं कि 40–50 हजार रुपये की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी उस ट्रान्सफर डीड के अन्दर हुई है और वह डीड भी कई पीसेस के अन्दर कराई गई है। तो इस प्रकार के जो अधिकार लिये हैं, स्टाम्प ड्यूटी के इवेजन्स होते हैं उसकी रिकवरी

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

के राइट्स हैं और जो मूलभूत एक्ट, 1952 में जो अमेंडमेन्ट करके लाया गया है मैं उनका स्वागत करूंगा और मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी सारी बलिष्ठता से सब को लागू करते हुए स्टाम्प ड्यूटी की पेमेंट को रोकने का प्रयत्न करेंगे लेकिन जो स्टाम्प ड्यूटी बाण्ड पर और कनवेयेन्स पर, एफेडेविट पर वित्त मंत्री ने लगाई है वह मैं स्वागत योग्य नहीं समझता। विशेषकर एफेडेविट के अन्दर जो एग्जम्पशन्स वित्त मंत्री महोदय ने दिये हैं मैं प्रार्थना करूंगा कि उसमें क्लीयर एग्जम्पशन होना चाहिए।

अभी हमने इसका गौरव प्राप्त किया है कि 8211 हजार भूमिहीन कृषकों को हमने राजस्थान के अन्दर भूमि का आवंटन किया है। यह गौरव की बात है और बहुत थोड़े टाइम के अन्दर हमने इतने लोगों को भूमि का आवंटन किया लेकिन हर भूमिहीन को एक एफेडेविट देना होता है·····

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, जो एफेडेविट के अन्दर एग्जम्पशन्स दिये गये हैं उसमें इन्डियन आर्मी के संबंधित है वह स्वागत योग्य है।

"(b) for the immediate purpose of being filed or used in any court or before the officer or any Court; or

(c) for the sole purpose of enabling any person to receive any pension or charitable allowance."

मैं इसके सम्बन्ध में अमेन्डमेन्ट तो प्रस्तुत नहीं कर सका लेकिन इस सम्बन्ध में मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि कोई भी लैण्ड अलाटमेन्ट का पर्पज हो या कोई भी कोआपरेटिव सोसाइटी से लोन लेने के लिए एफेडेविट लिया जाता हो, विलेज आर्टीजन्स या एग्रीकल्चरल लेबरर्स या और किसी प्रकार से किसी सोसाइटी में शेयरहोल्डर्स बनाने के सिलसिले में एफेडेविट देना हो या उनको अपने मोनेटोरियम या लिक्विडेशन आफ टैक्सेज के सम्बन्ध में कोई एफेडेविट देना पड़ता हो–अगर कोर्ट के ऐफेडेविट हैं तब तो कवर हो जाते हैं लेकिन इसमें बहुत से ऐसे हैं जो कि सेमी जुडीशल कोर्टस हैं या बहुत सी अलाटमेन्ट कमेटीज़ हैं क्या वह भी कोर्टस की डेफीनेशन में कवर होते हैं? अगर सारे के सारे कोर्टस् की डेफीनेशन में सारा एग्जास्टिव बनाया जाय और यह सारे लोग इस परव्यू से निकाल दिये जायें तो हम जिनकी हकानामी को जनरेट करना चाहते हैं और जगह जगह उनको एफेडेविट देने पड़ते हैं तो मैं समझता हूं कि यह ज्यादा कनविन्सिंग होगा। इसके अतिरिक्त छोटे मोटे डीड्स जो साइन किये जाते हैं या कोई बाण्ड्स साइन किये जाते हैं, जिनकी कि 5 हजार तक की ट्रान्सफर डीड्स हैं उसमें बहुत बड़ी फीस फिक्स-अप की गयी है। मैं समझता हूं कि बहुत मिडिल क्लास के लोग, बेनामी या बंटवारा हमारी फेमिलीज़ में होता रहता है

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

जो कि समाज के मिडिल क्लास या उससे भी लोअर क्लास से ताल्लुक रखने वाला है। मैं बहुत अधिक डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं वह सारे के सारे मौजूद हैं और पाइन्ट बाई पाइन्ट निवेदन कर सकता हूं उन्हें कम करना चाहिए और 1963 तक जो रेट्स इन्क्रीज की गयी थीं वह प्रापर हैं और इससे ऊपर किसी भी डीड के ऊपर जो कि इस सेक्शन से ताल्लुक रखता है वह सारा का सारा उससे ज्यादा स्लेब है और ज्यादा रेट स्लेबवाइज् इन्क्रीज् करके कर दिया जाये तो वह स्वागत योग्य होगा।

इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फीस मैक्सीमम 250 रु. होगी और उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस क्यों नहीं बढ़ेगी ? आप एक पर्टीकूलर सेक्शन के लिए अमाउन्ट फिक्स कर दें कि रजिस्ट्रेशन फीस 5 हजार या 10 हजार तक मिनिमम रहेगी और उसके बाद ग्रेडेड तरीके से 250 तक ही क्यों रखते हैं। उससे ज्यादा भी रख सकते हैं। 50 लाख का ट्रान्जेक्शन होता है, दूसरा 5 लाख का होता है, एक पार्टनरशिप होती है बहुत बड़ी इन्डस्ट्री के अन्दर तो केवल 250 रुपया तक ही रजिस्ट्रेशन फीस क्यों महदूद रखते हैं ? एक पर्टीकुलर सेक्शन के लिए बार लगाइये कि 10 हजार तक 10 रुपये 50 रुपये जो वह बरदाश्त कर सकते हैं मैं समझता हूं कि आप 50 रुपये लगा सकते हैं और उसके बाद उस सेक्शन तक और उसके बाद ग्रेडेड तौर पर कर सकते हैं। जो बड़े डीड हैं, पार्टनरशिप है, कम्पनी के डाकूमेंट हो सकते हैं, उनके लिए इन सारे मामलों में रजिस्ट्रेशन फी को इन्क्रीज कर सकते हैं। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, बहुत अधिक न कहते हुए अन्त में मैं इन बहुत सी चैंजेज का स्वागत करता हूं और जो कुछ मैंने सुझाव दिए हैं उनको पोजिटिवली, मैं दुबारा अर्ज करना चाहूंगा कि एक रुपये से लेकर दो रुपये तक के टिकिट पर आपने चूंकि 60 पर्सेन्ट लगा दिया है, आल इन्डिया के मुताबिक देखें तो किसी भी प्रान्त से यह एण्टरटेनमेंट टैक्स 60 पर्सेंट बहुत अधिक है। किसी भी प्रान्त के फिगर्स आप उठा कर देख सकते हैं। दो रुपये से ऊपर आप हण्ड्रेड परसेंट लगायें मुझे कोई एतराज नहीं है, आप हण्ड्रेड परसेंट लगाइये लेकिन एक रुपये के नीचे आप साठ पर्सेंट से कम लगाइये। जो दूसरे प्रान्तों में थर्टी-फाईव परसेंट है उससे किसी हालत में एक्सीड नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपने सरचार्ज हटा दिया है और इसको आप आपस में कोलेबोरेट करके यह थर्टी फाईव पर्सेंट से किसी भी हालत में एक्सीड नहीं करना चाहिए और जैसा कि मैंने निवेदन किया स्टेम्प ड्यूटीज के सम्बन्ध में भी मैंने सुझाव दिए हैं उन पर आप गौर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : सभापति महोदय, हमारा बजट पास हो चुका है और बजट पास हो जाने के कारण कल वित्त मंत्रीजी ने धन्यवाद दे दिया था। उस बजट में यहां पर कुछ टैक्स लगाए थे रजिस्ट्रेशन फी के और एण्टरटेनमेंट पर इसी के आधार पर आज यह राजस्थान टैक्सेशन लॉज बिल सदन के सामने है। वैसे अब तो

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

माननीय सदस्यों को ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए क्योंकि वित्त मंत्रीजी ने दो तारीख की एक दावत मंजूर कर ली है और सबके पास निमन्त्रण भी पहुंच चुके हैं, फिर भी मैं इस सम्बन्ध में एक बात जरूर निवेदन कर देना चाहता हूं।

पहली बात तो यह है कि यह जो स्टेम्प लॉ का अमेंडमेंट इण्ट्रोड्यूस किया है वित्त मंत्रीजी ने इसे 10 दिसम्बर, 1962 से, उस पुरानी तारीख से, जो 13 साल पहले की है, उससे लागू किया है और स्टेटमेंट आफ ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में जो कारण बताए हैं उसमें यह बात बताई है कि कोई कोर्ट के फैसले की वजह से यह दिक्कत पेश हुई और इसलिए ऐसा किया गया है। तो हाई कोर्ट के कानून में जब खराबी थी और उसके कारण अगर उस कानून को रद्द कर दिया तो फिर 62 से दुबारा कानून को लगाने की बात अटपटी मालूम होती है लेकिन चूंकि सरकार को इस बात से दिक्कत होगी, परेशानी होगी, राज्य कोष में नुकसान होगा इसलिए मैं ज्यादा इस बात को प्रेस नहीं करूंगा लेकिन मैं एण्टरटेनमेंट टैक्स के बारे में निवेदन करूंगा कि यह एण्टरटेनमेंट टैक्स राजस्थान में सारी म्यूनिसिपेलिटीज और पंचायतें और सारे राजस्थान के व्यक्ति देते हैं। सारी जनता देती है और यह कानून जो हमारा बना हुआ है उसके सम्बन्ध में पहले भी सदन में निवेदन किया था कि इस एण्टरटेनमेंट टैक्स का एक हिस्सा सरकार कुछ म्यूनिसिपेलिटियों को देती है और बाकी म्युनिसिपेलिटीज को नहीं देती है। यह जो व्यवस्था है उसके लिए कानून बना हुआ है। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि जब आप एण्टरटेनमेंट टैक्स का एक हिस्सा कुछ म्युनिसिपेलिटियों को देते हैं तो फिर और जो म्युनिसिपेलिटीज हैं उनको उससे वंचित करने का कोई औचित्य नहीं है। या तो आप लोगों के साथ न्याय कीजिए। जब किसी को कोई परसन्टेज देते हैं, जैसे आज म्युनिसिपेलिटीज को एड मिलती है उसमें पोपुलेशन का हिसाब लगा कर छोटी और बड़ी म्युनिसिपेलिटिज सभी को एड देते हैं। इसी तरह से यह एण्टरटेनमेंट का हिस्सा भी जब आप बड़ी 2 म्युनिसिपेलिटीज को देते हैं तो फिर आपको छोटी म्युनिसिपेलिटियों को, जिसमें गरीब जनता रहती है, उनकी बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसके लिए दलील यह दी जाती है कि उस वक्त जो कानून बनाया इस बात का प्रोविजन रखा गया था कि जो म्यूनिसिपेलिटीज एण्टरटेनमेंट टैक्स वसूल कर रही हैं उनको उसमें हिस्सा दिया जावे। सभापति महोदय, मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि कुछ म्युनिसिपिलिटीज ऐसी हैं जो वसूल कर रही थीं लेकिन कुछ म्युनिसिपेलिटीज ऐसी थीं जो वसूली करने के लिए कार्यवाही कर रही थी, बल्कि मैं निवेदन करूं कि अलवर की म्यूनिसिपिलिटी का किस्सा ऐसा था कि जो टैक्स मैंने लगाया था वह हाईकोर्ट से स्टे हो गया और सरकार ने उसको रद्द कर दिया और अपने हाथ में ले लिया और सारा मामला वहीं पर रह गया लेकिन आज तक हमारी म्युनिसिपिलिटी एन्टरटेनमेंट टैक्स के हिस्से से वंचित है। इसलिए वित्त मंत्री महोदय इस सब में थोड़ा विचार करेंगे। सभी म्युनिसिपेलिटियों के साथ न्याय करना चाहिए। या तो आप सभी

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

म्युनिसिपेलिटियों का हिस्सा बन्द कर दें तब तो मुझे शायद कोई एतराज नहीं होगा वरना यह हमारा कांस्टीट्यूशनल भी अधिकार है, म्युनिसिपेलिटीज का अधिकार है उसके लिहाज से यह बात उचित नहीं होगी। शायद हाईकोर्ट में किसी म्युनिसिपेलिटी ने चेलेंज नहीं किया है। अगर कोई म्युनिसिपेलिटी चेलेंज कर देगी हाई कोर्ट में भी इस बात को माना जायेगा कि कुछ म्युनिसिपेलिटीज को देना और कुछ को नहीं देना न्यायपूर्ण बात नहीं है। इसलिए वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर पुरजोर शब्दों में आकर्षित करना चाहता हूं कि आप कानून में इस प्रकार का अमेंडमेंट करें कि जो म्युनिसिपेलिटीज का टैक्स होता है, उसके परसेंटेज के मुताबिक, अगर कोई छोटी म्युनिसिपेलिटी होगी तो उसका शेयर कम हो जाएगा, सिनेमाघर भी सब जगह नहीं हैं तो उनके शेयर नहीं मिलेगा लेकिन जो जितना टैक्स वसूल करती हैं उसके हिसाब से उनको हिस्सा मिलना न्यायोचित बात होगी। मैं समझता हूं कि हमारे वित्त मंत्री बड़े न्याय की बात मानने वाले हैं, उनको इन छोटी म्युनिसिपेलिटीज की न्यायोचित बात को जरूर मानना चाहिए। इन शब्दों के साथ मेरा जो प्रवर समिति को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है उसको मैं पेश करता हूं।

श्री सभापति : मंत्री महोदय !

कुछ माननीय सदस्य : संक्षेप में बोलें।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : हम यहां बैठ कर आपका हौसला बढ़ा रहे हैं। संक्षेप में कहें।

श्री चन्दनमल बैद : संक्षेप में ही बोलूंगा। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान टैक्सेज लॉज के सम्बन्ध में जो संशोधन प्रस्ताव पेश हुए है उनके बारे में जैसा कि माननीय सदस्यों ने और खास तौर से कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने आदेश दिया है कि मैं संक्षेप में ही अपनी बात कहूं, मैं संक्षेप में कुछ बातें, जो मुद्दे उठाए गए हैं उसके बारे में जिक्र करना चाहूंगा।

पहली बात सेल्स टैक्स के बारे में टोंक से आने वाले माननीय सदस्य ने कही। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कराधान विधियां विधेयक में सेल्स टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। इस वास्ते मुझे क्षमा करेंगे सेल्स टैक्स के बारे में कुछ नहीं कहूंगा।

श्री अजीत सिंह : वसूली के बारे में कहा है।

श्री चन्दनमल बैद : वसूली के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है।

दूसरी बात इस टैक्सेशन लॉज में स्टेम्प ड्यूटी और एण्टरटेनमेंट टैक्स दो ही प्रश्न इन्वोल्व्ड हैं, दूसरा और कोई प्रश्न इन्वोल्व्ड नहीं है। स्टाम्प ड्यूटीज के बारे में अभी एक एतराज उठाया गया कि 10 दिसम्बर, 1962 से इसको लागू क्यों किया जा रहा है और इसको 10 दिसम्बर 62 से लागू नहीं किया जावे। मैं निवेदन करूं कि 10 दिसम्बर 62 और 8 मार्च, 76 के बीच में जो भी रजिस्ट्रेशन फी हम लगाते रहे हैं उसके बारे में कोर्ट ने यह फैसला किया कि यह रजिस्ट्रेशनफी

(श्री चन्दनमल बैद)

चूंकि फी है उसको टैक्स के रूप में वसूल नहीं किया जाना चाहिए। जो डाकूमेंट होते हैं वे हजारों रुपयों के होते हैं उन पर सरकार चार्जेज ले सकती है, लेकिन वह चार्जेज इतने ज्यादा नहीं हो सकते कि उसे टैक्स के रूप में वसूल करें, वह फी इतनी ज्यादा नहीं हो सकती कि इसको टैक्स के रूप में वसूल नहीं कर सकने और कुछ लोगों ने दावा करके हमारी रजिस्ट्रेशन फी जो हमने वसूल की थी उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी। उस कार्यवाही को रोकने के लिए और जो रजिस्ट्रेशन फी वसूल की है जिसको जायज करने के लिए अमेंडमेंट किया गया है और वसूल करने के तरीके को वाजिब किया गया है जिससे जिनके ऊपर फी लग गई वह भी अदालतों में जाकर परेशान नहीं हों और सरकार के खजाने में जो पैसा आ गया है वह वापस नहीं देना पड़े, इन दोनों बातों को देख कर यह बीच का रास्ता निकाला गया है।

अब 9 मार्च, 1976 के बाद से स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा कर जिसके बारे में बजट भाषण में इंगित किया गया था उसके लिए इस बात का एतराज उठाया गया कि एफिडेविट पर हमने स्टेम्प ड्यूटी बढ़ा कर डेढ़ो कर दी है। माननीय सभापति महोदय, एफिडेविट पर सन 1963 में सबसे पहले स्टेम्प ड्यूटी फिक्स हुई थी जिसका कि आज हम अमेंडमेंट कर रहे हैं। सन् 63 से हम वही स्टेम्प ड्यूटी एफिडेविट पर वसूल कर रहे हैं और मोटे तौर पर अगर आप आज की कीमतों का अन्दाजा लगायें तो मैं समझता हूं कि 3) रु. की जगह अगर छः रुपये भी करता गैर वाजिब बात नहीं होती। लेकिन हमने तो तीन की जगह साढ़े चार रुपया ही किया है। अभी एक बात यह कही गई कि एफिडेविट में स्टेम्प ड्यूटी से हमने कुछ लोगों को एग्जेम्प्ट किया है और इस एग्जम्प्शन में कुछ और लोगों को शामिल किया जाना चाहिए था। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसके विषय में सरकार गौर करेगी और जिस क्लॉज को इन्क्लूड करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए और जिसको वाजिब समझेगी उसको इन्क्लूड करेगी।

एक दूसरी बात यह कही गयी कि एन्टरटेनमेन्ट टैक्स जो है वह राजस्थान में सारे हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा है। माननीय सदस्य सूरतगढ़ से आने वाले यहां पर नहीं हैं, वे चले गये हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि पंजाब ने हर क्लास पर शत प्रतिशत एन्टरटेनमेंट टैक्स लगा रखा है, यू. पी. में हाइस्ट टैक्स है। ... प्रतिशत है। जैसा कि उन्होंने खुद ने कहा है और इस टैक्स के पीछे जो पोलिसी है, इस नये एन्टरटेनमेन्ट टैक्स के प्रावधान से एक रुपये के टिकट पर दस पैसा कम हुआ है जिसको कि मैं समझता हूं गरीब आदमी ही खरीदते हैं। एक रुपये पर यह टैक्स 60 पैसा है और इससे दस पैसा कम हुआ है। जो ऊँची दर के टिकट हैं उन पर 40 पैसे से लेकर शायद 50 पैसे तक यह टैक्स बढ़ा है। सभापति महोदय, मैं समझता हूं यह कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐतराज किया जाये। गरीबों पर टैक्स नहीं लगा है जैसा कि हमारे समाजवादी और साम्यवादी सदस्य कहते हैं गरीबों पर कम और अमीरों पर टैक्स बढ़े तो यह टैक्स

(श्री चन्दनमल बैद)

गरीबों पर कम और अमीरों पर बढ़ाया गया है इसलिए यह उन्होंने केवल एतराज करने के लिए एतराज किया है जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय, यहां पर यह भी कहा गया है कि यहां पर जो पर केपिटा इन्टरटेनमेन्ट टैक्स की वसूली होती है वह राजस्थान में हाईएस्ट है। पर केपिटा टैक्स का कोई हेवी टैक्सेशन का मापदंड नहीं है। अगर कहीं पर टैक्स कम है और वसूली ठीक से होती है तो वहां पर पर केपिटा ज्यादा होता है। सेल्स टैक्स ज्यादा है और वहां ठीक से वसूली नहीं होती है तो पर केपिटा टैक्स कम होगा। पर केपिटा टैक्स अधिक होना अच्छी वसूली का परिचायक है उनके इस कथन को मैं इस रूप में लेता हूं कि एन्टरटेनमेन्ट टैक्स की वसूली राजस्थान में अच्छी हो रही है और उनके आर्गुमेन्ट को यहां पर छोड़ देता हूं।

सभापति महोदय, इसके अलावा और कोई विशेष बात नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति: जो माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव वापिस लेना चाहें वापिस ले सकते हैं।

श्री अजीतसिंह: सभापति महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं।

श्री सभापति: क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्य ने विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी जाती है।

(3-10 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री अजीत सिंह: मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान कराधान विधियां, द्वितीय संशोधन विधेयक, 1976 को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

विधेयक पर विचार

प्रश्न यह है कि राजस्थान कराधान विधियां, द्वितीय संशोधन, विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकार)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री चन्दनमल बैद: उपाध्यक्ष महोदय, खंड 2 में मेरे दो प्रस्ताव हैं उनको मैं मूव करता हूं।

(श्री चन्दनमल बैद)

[निम्न लिखित संशोधन प्रभारी मंत्री ने खण्ड 2 में प्रस्तुत किये:—]

Clause 2

In sub-section (1) of section 3 C proposed to be inserted by clause 2, for the expression" shall be payment" substitute the expression "shall be payable,"

Clause 2

In clause (d) of section 3 proposed to be inserted by clause 2, after the expression "adjustment" the expression "of shall" be inserted.

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन सरक्यूलेट कर दिये जाये।

कोई माननीय सदस्य इन पर बोलना चाहते हैं ?

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन प्रस्ताव वित्त मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किये हैं, उनको स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 मय संशोधन के स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 मय संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 3 में मेरे संशोधन प्रस्ताव हैं उनको मैं मूव करता हूं।

[निम्नलिखित संशोधन प्रभारी मंत्री ने खण्ड 3 में प्रस्तुत किये]

Clause 3

(i) for sub-clause (i) proposing to amend sub-section (1) of section 47-A, substitute the following sub-clause, namely :—

"(i) in sub-section (1), after the expression "charge the duty in conformity with such determination" insert the expression "together with a penalty not exceeding ten times the deficient stamp duty chargeable and surcharge, if any, payable on such instrument."

(ii) in sub-clause (ii), proposing to amend sub-section (2) of section 47A, for the expression "including surchage," substitute the expression "including penalty and surcharge, if any."

In sub-section (2A) of section 47-A, proposed to be inserted by clause 3, for the expression "within two years from the date of registration of any instrument not referred to him under sub-section (1), call for and examine the instrument," substitute the expression "call for and examine any instrument not referred to him under sub-section (1)."

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खंड 3 में जो संशोधन प्रस्ताव वित्त मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किये हैं, उनको स्वीकार किया जाये ?

(103)

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खंड 3 मय संशोधन के स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खंड 3 मय संशोधन के स्वीकार किया गया।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खंड 4 में अपने संशोधन मूव करता हूं।

[निम्नलिखित संशोधन प्रभारी मंत्री ने खण्ड 4 में प्रस्तुत किये।]

Clause 4

In the second schedule proposed to be substituted by this clause—

(i) in column 2, under the head "Proper Stamp Duty" for the expression "Fifteen rupees" appearing against each of the instruments, namely, Administration Bond, Appraisement of Valuation Award, Customs Bond, Release and Security Bond, specified in column number 1 under the head "Description of the instrument" and numbered as articles 2 (b), 8 (b), 12 (b), 26(b), 55(b) and 57(b) respectively" substitute the expression "Twenty five rupees."

(ii) in column 1, in sub-article (2) (a) of Article 6 relating to agreement, for the expression "where in exceeds Rs. 20,000/- but does not exceed Rs. 30,000/-" substitute the expression "where it exceeds Rs. 20,000/- but does not exceed Rs. 25,000/-".

(iii) in column 1, for the expression "two rupees" appearing in sub-article (a) of Article 25 relating to Counterpart or duplicate of any instrument, substitute the expression "three rupees;"

(iv) in column 2, for the expression "thirty rupees" appearing opposite to sub-article (b) of Article 54, relating to Reconveyance of Mortgaged property, substitute the expression "Forty five rupees", and

(v) in column 1, in sub-article (a) of Article 61 relating to Surrender of Lease, for the expression "(seven rupees and fifty naye paise)," substitute the expression "(eleven rupees and twenty five paise)."

श्री उपाध्यक्ष : : प्रश्न यह है कि खंड 4 में जो संशोधन वित्त मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किये हैं, उनको स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये.

प्रश्न यह है कि खंड 4 मय संशोधन के स्वीकार किया जाये ?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खंड 4 मय संशोधन के स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड 5 लगायत 10 स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खंड 5 लगायत 10 स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, प्रस्तावना आदि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये गये।

विधेयक का पारण

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कराधान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 मय संशोधन के पारित किया जाये ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कराधान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 मय संशोधन के स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक मय संशोधन के स्वीकार किया गया।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 31 मार्च, 76 को दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 3–16 बजे बुधवार दिनांक 31 मार्च, 1976 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

Page No 102

(१०५)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 488 की सूची)

वित्तीय वर्ष का आय-व्यय, शुद्ध लाभ एवं शुद्ध हानि की सूची :–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय	शुद्ध लाभ	शुद्ध हानि
1950–51	1,27,080	4,18,696	–	2,91,616
1951–52	–	–	–	–
1952–53	5,05,391	3,47,078	158,313	–
1953–54	3,46,462	255,004	81,458	–
1954–55	4 37,99 4	2,54,870	1,83,124	–
1955–56	4,78,196	2,14,547	2,63,649	–
1956–57	4,82,257	4,00,265	81,992	–
1957–58	3,67,063	3,70,474	–	3,411
1958–59	2,28,076	5,76,236	–	3,48,160
1959–60	7,38,683	11,48,890	–	3,03,264
1960–61	13,26,660	13,24,190	–	3,398
1961–62	11,60,640	15,02,170	–	1,56,969
1962–63	8,89,945	16,17.308	–	7,95,459
1963–64	1,49,210	8,44,509	–	–
1964–65	1,86,060	8,07,747	–	2,76,018
1965–66	3,81,695	8,59,406	–	8,55,651
1966–67	1,95,633	7,72,835	–	8,04,960
1967–68	1,40,407	4,69,607	–	6,29 451

परिशिष्ट 2

(ता. प्र. सं. 489 की सूची)

रायसिंह नगर के कारखानों व बगीचों की सूची व धाराबन्दी प्रस्ताव चेक 23 पी. एस. बी.।

क. सं.	नाम बारी	समय
1.	नगरपालिका रायसिंह नगर:	
	क–नेहरू बाल उद्यान	3.00 घण्टे
	ख–पब्लिक पार्क	2.00 ,,
	ग–ए. ब्लाक पार्क	1.00 ,,
	घ–औषधालय पार्क व पुरानी डिग्गी वाटर वर्क्स	8.00 ,,
	ङ–मण्डी जोहड़	7.00 ,,
	च–नगरपालिका पार्क	3.00 ,,
	कुल	24.00 ,,
2	राजस्थान काटन मिल्स	13.00 घण्टे
3.	सोसाइटी काटन मिल्स रायसिंह नगर	6.00 ,,

परिशिष्ट 3

(ता. प्र. सं. 493 की सूची)

सूची गाडिया लुहारों की जिन्हें कृषि भूमि आवंटित की गई

क. सं.	नाम आवंटित	ग्राम जिसमें कृषि भूमि स्थित है।	आराजी नम्बर	रकबा बीघा	रकबा बिस्वा	विवरण
1.	परथा पुत्र दला गाड़ी लुहार	गिलुण्ड	481	6	05	
			497/5	7	15	
2.	रतना पुत्र नाथू ,,	,,	497/4	15	00	
3.	जेराम पुत्र रूपा ,,	,,	481/12	2	15	
			497/6	6	15	
4.	गोन्दिा पुत्र कोठीना ,,	डगलाका खेड़ा	237/1 स	15	00	
5.	राजाराम पुत्र शिराम ,,	,,	237/1	15	00	
6.	शंकर राव पुत्र कानजी ,,	,,	237/1 घ	15	00	
7.	रामा पुत्र कनीराम ,,	,,	237/1 ब	15	00	
8.	सुज्या ,,	भेरू सिंह का खेड़ा	134	5	00	
			योग	103	10	

परिशिष्ट. 4

(ता. प्र. संख्या 495 की इकरारनामा)

राजस्थान राज्य विद्युत मंडल

प्रार्थना-पत्र मांग, अनुबन्ध-पत्र

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/प्रभारी अधिकारी

......................अनुभाग

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल

....

मैं/हम एतद् द्वारा एतद् पश्चात् वर्णित मेरे/हमारे द्वारा स्वामित्व प्राप्त/अधिकृत स्थानों (प्रिमिसेज) में प्रतिष्ठापित..................किलोवाट के कुल सम्बद्ध भार के लिये विद्युत प्रदाय करने हेतु मण्डल से निवेदन करता हूं/करते हैं।

(1) उपभोक्ता का नाम..............................(मोटे अक्षरों में)

(2) पिता/पति का नाम..

(3) स्थान की श्रेणी*..

*निवास स्थान, कार्यालय, दुकान, होटल, रैस्टोरेन्ट, अस्पताल, थियेटर, सिनेमाघर, शैक्षणिक भवन, कारखाना, आटे की चक्की, फैक्ट्री आदि।

(4) स्थान का पुरा पता..
भवन या प्लाट सं./दुकान सं.............मंजिल सं...............
पलेट सं.............गली या सड़क..............................
बस्ती..........................

(5) पूरा पता जहां बिजली प्रदाय के बिल भेजे जाते हैं
....
....
....
....

6. प्रतिष्ठापित भार (इन्स्टालेशन) का विवरण:—

बिजली व पंखा	स्माल हीट एवं पावर उपकरण	औद्योगिक भार अर्थात् मोटर आदि
लैम्प, पंखा, दीवार प्लग एवं रोशनी सम्बन्धी चीजें	हीटर्स, कूकर्स, रेफ्रिजेरेटर्स पावर आदि ।	
विवरण संख्या प्रत्येक का वाटेज	विवरण संख्या प्रत्येक का वाटेज	विवरण संख्या प्रत्येक का वाटेज
बिजली 1		
2		
3		
4		
पंखा		
दीवार प्लग		
सम्बद्ध भार	सम्बद्ध भार	सम्बद्ध भार

कुल सम्बद्ध भार किलोवाट

(1) यह मांग पत्र निम्न के लिए है :—

(क) एक नये सर्विस कनेक्शन के लिये:—

(1) मैं स्थान का स्वामी/कब्जेदार हूं।

(2) मेरा/हमारा मकान मालिक मेरे/हमारे द्वारा उक्त बिजली की प्रदाय लेने पर सहमत हो गया है तथा उसकी लिखित सहमति/किराया रसीद एतद् सह संलग्न की जाती है।

(ख) एक उप-सर्विस कनेक्शन के लिये, वर्तमान सर्विस कनेक्शन की संख्या····

(ग) वर्तमान प्रतिष्ठापित भार इन्स्टालेशन सं·············में विस्तार के लिये

(घ) संख्या .... के पुनः कनेक्शन के लिये

(न) .. .. के नाम पर दर्ज सं. .... से वर्तमान प्रतिष्ठापित भार (इन्सटालेशन) - के विभाजन के लिये

(च) संख्या .... का श्री .... से श्री .... का नाम परिवर्तन करने के लिए।

(छ) आवेदन शुल्क .... रुपये .... यह कि आवेदन शुल्क मण्डल द्वारा किसी कारण से प्रदाय के लिए व्यवस्था करने में असमर्थ रहने पर या तो लौटा दिया जायगा या अनुमानित लागत के प्रति जमा करा लिया जायेगा जिसे कि उसकी सर्विस लाइन का काम पूरा होने पर उपभोक्ता के लेखे में नाम लिख दिया जायगा।

(2) (क) मैं/हम एतद् मण्डल के पास उनके द्वारा चाही जा रही .... रुपये की राशि की प्रतिभूति निक्षेप (Security Deposit) जमा कराना स्वीकार करता हूं/करते हैं तथा समय-समय पर ऐसी मांग करने पर ऐसी प्रतिभूति का समय-समय पर प्रवृत्त प्रदाय की शर्तों अनुसार नवीनीकरण या प्रतिपूर्ति कराऊंगा/कराएंगे।

(ख) इस सम्बन्ध का मण्डल का नोटिस प्राप्त करने से चौदह दिनों के भीतर में हम मण्डल के सर्विस कनेक्शन चार्जेज को जमा करा दूंगा/करा देंगे यदि मैं/हम चौदह दिनों की उक्त अवधि के भीतर राशि जमा नहीं कराऊं/करायें तो मेरा/हमारा यह आवेदन-पत्र रद्द समझा जाये।

(ग) और भी, मैं/हम प्रदाय की गई बिजली की मात्रा को मापने के लिए मुझे/हमें किराये पर आवश्यक मीटर देने हेतु निवेदन करता हूं/करते हैं तथा मैं/हम स्थानों पर प्रतिष्ठापित किये गये मण्डल के मीटरों एवं अन्य उपकरणों के खो जाने के लिए पूर्णतया उत्तरदायी हूंगा/होंगे।

(घ) मैं/हम मण्डल के विद्युत प्रदाय प्रारम्भ किये जाने की तारीख से कम से कम दो वर्ष की अवधि तक अपने/हमारे वास्तविक उपयोग में लेने हेतु प्रतिवचन देता हूं/देते हैं तथा मैं/हम एतद्द्वारा समय-समय पर प्रवृत्त टैरिफ दरों पर उक्त प्रदाय के लिए भुगतान करने हेतु एवं समस्त ऐसे अन्य प्रभार (चार्जेज) का भी भुगतान करने हेतु जो मण्डल की प्रदाय शर्तों में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर मेरे/हमारे द्वारा देय हो, एतद्द्वारा सहमत होता हूं/होते हैं।

(108)

(ङ) मैंने/हमने 'राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल' द्वारा विद्युत् प्रदाय के लिए सामान्य शर्तें एवं विधि प्रभारों की मात्रा नियम 25 (ब) को पढ़ लिया है तथा स्वीकार करता हूं/करते हैं कि बिल पर छपे हुए के अतिरिक्त किसी अन्य पृथक् नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) मैं/हम/मेरे/हमारे स्थानों पर प्रतिस्थापित सर्विस लाइन या उपकरणों से किसी अन्य प्रार्थी को बिजली (करेन्ट) प्रदाय करने में मण्डल का अधिकार होने को स्वीकार करता हूं/करते हैं तथा किसी भी समय मुझे/हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(4) मैं/हम स्वीकार करता हूं/करते हैं कि:-

(क) प्रतिबन्धित समय के भीतर बिजली का उपयोग नहीं करेंगे।

(ख) प्रतिबन्धित समय के भीतर बिजली का उपयोग करने एवं तत्प्रयोजन निर्धारित किये गये अतिरिक्त प्रभारों का भुगतान करेंगे।

प्रतिबन्धित समय:— | सर्दी.............................
| गर्मी.............................

(5) इस कनेक्शन के लिए जाने की दर आवेदन-पत्र का कनेक्शन दिये जाने की तारीख से उस समय तक जब कि या तो इसके स्थान पत्र प्रतिस्थापित नहीं कर दिया जाता या यह समाप्त नहीं कर दिया जाता, कनेक्शन के लिये रूप में समझा जायगा।

परन्तु यह शर्त और है कि हाईटेन्सन प्रदाय के लिए प्रार्थी को जब ही उससे ऐसा करने के लिए कहा जाये पृथक से मण्डल का एक मानक अनुबन्ध पत्र (स्टेन्डर्ड एग्रीमेन्ट) ही निष्पादित करना होगा।

(6) यह अनुबन्ध-पत्र समय समय पर प्रवृत्त मण्डल की प्रदाय सम्बन्धित शर्तों एवं भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910, विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 तथा तद्धीन निर्मित नियमों एवं विनियमों या उनके किन्हीं परवर्ती संशोधनों या स्थानान्तरणों के सम्बन्धित सभी विषयों में विषय के रूप में पढ़ा एवं समझा जायगा।

टिप्पणी:–प्रार्थी से निवेदन है कि जो वाक्यांश/पदांश अप्रोज्य हों उन्हें काट दें।

उपभोक्ता के हस्ताक्षर..................
वर्तमान पता..................
....
....
साक्षी के हस्ताक्षर व पता..................
....

दिनांक..........

....
....

केवल कार्यालय उपयोग के लिये

राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल की ओर से स्वीकृत किया गया

हस्ताक्षर..................
अधिशासी अभियन्ता/
सहायक अभियन्ता/

दिनांक..................

प्रभारी अधिकारी––उप अनुभाग

....

प्राप्ति रसीद

श्री..........का आवेदन-पत्र दिनांक........को प्राप्त कर क्रम संख्या.....

पर दर्ज किया गया जिसका कि उल्लेख आगे सभी पत्र व्यवहारों में किया जाना चाहिये।

आवेदन–पत्र प्राप्त करने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर व पद | ....

Page No 110

118

परिशिष्ट 5

(ता. प्र. सं. 497 की सूची)

पंचायत समिति, सुलतानपुर

जिला : कोटा

तहसील : डिगोद

कुल ग्राम : 65

क. सं.	गांव का नाम	क. सं.	गांव का नाम
1	2	1	2
1.	डिगोद	23.	मेहंदी
2.	फतेहपुर	24.	सुरेला
3.	डूंगरजा	25.	अमरपुरा
4.	खेड़लीकलां	26.	रीछाहेड़ी
5.	चन्द्रावाला	27.	सरोला
6.	ऊदपुरा	28.	खेरली घाटा
7.	हरीपुरा	29.	कछवाड़ा
8.	खीपरडा	30.	गड़ेपन
9.	निमोड़ा	31.	भाजनरा
10.	काछोलिया	32.	वल्लभपुरा
11.	जालमपुरा	33.	देवपुरा
12.	तोरण	34.	थांगरिया
13.	बंडगांव	35.	बाडल्या
14.	मोरपा	36.	माण्डोला
15.	नापाहेड़ा	37.	पोलाई कलां
16.	नोटरा	38.	पालाई खुर्द
17.	उम्मेदपुरा	39.	छर
18.	कंवरपुरा	40.	कराडिया
19.	कल्याणपुरा	41.	बारगू
20.	परमाल्या	42.	सीमाल्या
21.	बकलदा	43.	खेरली मेहदीत
22.	दरबाजी	44.	हनोटिया

1	2	1	2
45.	भण्डेरा	56.	प्रेमपुरा
46.	धाबा	57.	जियाहेड़ा
47.	रेल	58.	खेरली धाकराना
48.	चौम्बा कोट	59.	ममीरा
49.	चौम्बा मालियान	60.	कालेरबा
50.	धरी	61.	गुमानपुरा
51.	चौम्बा बोबू	62.	सिरकासेरा
52.	थरला	63.	चरहेरी
53.	शाहपुरा	64.	वृजपुरा
54.	रामपुरा—नयागांव	65.	चौम्बा मुण्डली
55.	छावाडहेरी		

(112)

परिशिष्ट 6

(ता.प्र. संख्या 491 की सूची)

परिशिष्ठ–क

भारत पाक युद्ध, 1971 में शहीद सैनिकों के आश्रितों को दी गई सुविधायें

क्र.सं. 1	नाम व नम्बर रैंक 2	उत्तराधिकारी का नाम 3	नगद सहायता 4	भूमि आवंटन 5
1.	9204250 सि. नारायणसिंह	श्रीमती भंवर कंवर	1000 रु. नकद व 1000 रु. के सुरक्षा प्रमाण-पत्र 2000	बीघा 12–10
2.	2862692 सि. भारतसिंह	श्रीमती उगमा (माता)	2000	12–10
3.	2850287 नायक सुगनसिंह	श्रीमती समन्दर कंवर	2000	12–10
4.	2858337 सिपाही चोखाराम	श्रीमती नानूदेवी	2000	12–10
5.	2957772 सि. मनफूल खां	श्रीमती सायराबानू	2000	12–10
6.	2854350 सि. खुदाबक्स	श्रीमती तकदीरबानू	2000	12–10
7.	2654065 सि. असगर खां	श्रीमती बेगम खातून	2000	12–00
8.	2658792 सि. मुराद खां	श्रीमती बेगम दादम	2000	25–00
9.	3160960 सि. बलदेवराम	श्रीमती प्रणवीदेवी माता	2000	25–00
10.	3161357 सि. रामेश्वर	श्रीमती रूक्मणी	2000	12–10
11.	2656601 सि. अजगर खां	बेगम नानी	2000	12–10
12	2656996 सि. इब्राहीम खां	श्रीमती आशारानी	2000	12–10
13.	2860036 सि. मांगूसिंह	श्रीमती सोहन कंवर	2000	12–10
14.	60775 नायक सूबेदार हासन बेटा हसन खा	श्रीमती बेगम गुलाब	2000	12–10
15.	9212066 सि. महेन्द्रसिंह	श्रीमती मोहनी	2000	12–10
16.	2657105 सि. किशोरसिंह	श्रीमती रूप कंवर	2000	12–10
17.	8657152 सि. तेजसिंह	श्रीमती भंवर कंवर	2000	12–10
18.	2646931 नायक सांवतसिंह	श्रीमती मुख्त्यार कंवर	2000	12–10
19.	2647074 लैंसनायक आजम खां	श्रीमती गुलसन	2000	12–10
20.	2648897 सि. सिकाई खां	लाडां	2000	भूमि आवंटन की कार्यवाही जारी है।

1	2	3	4	5
21.	2957184 नायक दौलतखां	श्रीमती लिकू	2000	भूमि आवंटन की कार्यवाही जारी है
22.	2657167 पो.नायक बांगेखां	श्रीमती सदा कंवर	2000	12–10
23.	2850608 सि. जसवंतसिंह	श्रीमती केशर कंवर	2000	12–10
24.	2965077 सि. भोमसिंह	श्रीमती सूरज कंवर	2000	12–10
25.	2862755 सि. रघुवीरसिंह	श्रीमती नानी कंवर	2000	भूमि आवंटन की कार्यवाही जारी है
26.	2860403 सि. भागीरथराम	श्रीमती दुर्गादेवी	2000	12–10
27.	2860130 सि. समरथसिंह	श्रीमती हर कंवर	2000	12–10
28.	3159436 सि. हरलाल	श्रीमती मन्वरी (माता)	2000	12–10
29.	2961553 सि. हनुमानसिंह	श्रीमती दाखकंवर (माता)	2000	12–10
30.	1036689 सुनार भंवरसिंह	श्रीमती गोपाल कंवर	2000	12–10
31.	2861554 सि. जगदीशसिंह	श्रीमती सुगनकंवर	2000	12–10
32.	13664822 सि. बीजराम	श्रीमती कानरी	2000	25–00
33.	2848183 नायक कानसिंह	श्रीमती गुलाब कंवर	2000	12–10
34.	1021658 दफेदार इनायतअली	श्रीमती बानू	2000	12–10

परिशिष्ट (ख)

स्थाई विकलांग सैनिकों को राज्य सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं

क. सं.	नम्बर रैंक व नाम	नकद सहायता 1000 रु. नकद व 1500 रु. के सुरक्षा प्रमाण पत्र जे. सी. ओ. व उसके ऊपर के रैंक के अधिकारियों व जवानों को, तथा 1000 रु. के सुरक्षा प्रमाण-पत्र अन्य रैंक को।	भूमि आवंटन
1.	एम.एस.121413 केप्टन भगवानसिंह	2500	साढ़े 12 बीघा नहरी भूमि
2.	जे.सी.160288 नायब सूबेदार बशीरखां	नकद सहायता की कार्यवाही जारी है	साढ़े 12 बीघा नहरी भूमि
3.	2854092 हवलदार आलमअली खां	2000	साढ़े 12 बीघा नहरी भूमि
4.	1034691 लेंस दफेदार फैज मोहम्मद खां	2000	साढ़े 12 बीघा नहरी भूमि
5.	2847766 हवलदार प्रहलादसिंह	1000 नकद 1000 के बोण्ड अब दिये जायेंगे	भूमि आवंटन की कार्यवाही विचाराधीन है।
6.	2845571 हवलदार मेघसिंह	2000	साढ़े 12 बीघा नहरी भूमि
7.	2658737 सि. मबूखां	2000	साढ़े 12 बीघा नहरी भूमि
8.	2648648 सि. भागराम	2000	साढ़े 12 बीघा नहरी भूमि
9.	2560440 सि. बन्ने खां	2000	भूमि आवंटन विचाराधीन है।
10.	2958667 सि. मोहनसिंह	2000	भूमि आवंटन विचाराधीन है।

परिशिष्ट 7

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए गए तारांकित प्रश्नोत्तर)

मोतीराम कमीशन की सिफारिश

506. श्री ज्ञानसिंह (भादरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा मोतीराम कमीशन की सिफारिशों को मन्जूर कर लिया गया है।

(2) क्या यह सही है कि मोतीराम कमीशन की सिफारिशों के अमल से भाखड़ा, राजस्थान नहर तथा गंगनहर सिंचाई परियोजना क्षेत्रों में सिंचन सघनता समान रूप से 80 प्रतिशत कर दी जायेगी ?

(3) मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट पर अब तक अमल किन कारणों से शुरू नहीं किया गया है।

(4) भाखरा तथा गंगनहर परियोजनाओं पर मोतीराम कमीशन की सिफारिशों के क्रियान्वयन पर कितनी राशि व्यय करने की आवश्यकता होगी ?

(5) मोतीराम कमीशन की सिफारिशों पर अमल का काम कब शुरू कर दिया जायेगा और कितने समय में काम पूरा कर दिया जायेगा

उत्तर

(1) जी हां।

(2) भाखरा गंगनहर व राजस्थान नहर की सूरतगढ़ शाखा के लिए यह सिफारिश है।

(3) मोतीराम कमेटी की कुछ सिफारिशों पर अमल हो चुका है शेष सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई है जो भाखड़ा और गंगनहर से किन-किन क्षेत्रों को राजस्थान नहर क्षेत्र में स्थानान्तर करना है, उन पर सिफारिश करेगी। उसके बाद इस रिपोर्ट पर पूरा अमल हो सकेगा।

(4) भाखड़ा तथा गंगनहर परियोजनाओं पर मोतीराम कमेटी की सिफारिशें क्रियान्वित करने पर, प्रारम्भिक तखमीनों के अनुसार क्रमशः लगभग 109 लाख तथा 70 लाख रुपये व्यय होंगे। यह तखमीने अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुए हैं।

(5) सिफारिशों पर अमल लाने का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। तखमीनों को अन्तिम रूप देने व धनराशि उपलब्ध होने पर ही कार्य पूरा किया जा सकेगा।

गांव कुरज में हत्या का मामला

507. श्री नानालाल (राजसमन्द): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले के गांव कुरज के श्री अम्बालाल ढोली की मृत्यु तारीख 27-2-76 को गांगास गांव में हुई उसकी लाश को कुरज में लाकर जलाया गया ? यदि हां, तो मृत्यु कैसे हुई और क्या पुलिस थाना रेलमगरा ने इसकी कोई कार्यवाही की है ?

(2) क्या यह सही है कि श्री अम्बालाल को गांगास गांव के ठाकुर व राजपूतों द्वारा मारा गया है ? यदि हां, तो अभी

(116)

(श्री नानालाल)
तक मारने वालों की गिरफ्तारी कितनी हुई है ? पुलिस तफतीश की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां 28–2–76 को मृत्यु हुई। थाना रेलमगरा पर मुकदमा नं. 25 धारा 302/201 आई. पी. सी. दिनांक 29–?–76 को कायम किया गया।

(2) जी हां। चारों मारने वाले मुलजिमान सर्व श्री अमरसिंह, किशनसिंह, नारायणसिंह, छगना को दिनांक 17–3–76 को गिरफ्तार किया जा चुका है।

21 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय की गई राशि

508. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य सरकार ने 21 सूत्री कार्यक्रम को अमल में लाने के लिए वर्ष 1975 में कितनी रकम खर्च की और 1976 वर्ष में कितनी रकम खर्च करने की योजना है ? केन्द्र से कितनी सहायता इस मद में मांगी गई और कितनी प्राप्त हुई ?

उत्तर

21 सूत्री कार्यक्रम को अमल में लाने हेतु जो भी खर्चा किया जाता है उसका आय व्ययक में कोई अलग से लेखा मद नहीं है किन्तु 21 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सन् 1975–76 एवं 1976–77 में योजना को कुल आवंटित राशि में से निम्नलिखित मदों पर कुल संभावित खर्चा क्रमशः 7290 लाख 53 हजार रुपये एवं 8887 लाख 16 हजार रुपये होने का अनुमान है जिसका मदवार विवरण निम्न प्रकार है:—

लाख रुपयों में

		75–76	76–77
(1)	भूमि सुधार एवं कृषि गणना	7.60	8.50
(2)	लघु सिंचाई	298.87	282.43
(3)	सिंचाई	3779.71	4722.00
(4)	बिजली	3080.00	3733.00
(5)	हाथ करघा	7.35	6.65
(6)	सहकारिता	110.40	122.15
(7)	अपरेन्टिसशिप	6.60	12.43
	कुल योग	7290.53	8887.16

इसके अतिरिक्त योजना भिन्न व्यय मद में से भी जैसे कि भूमि सुधार, आवासीय भू-आवंटन आदि मदों पर व्यय किया जाता है। यह व्यय विभिन्न विभागों के अन्य व्यय में सम्मिलित होता है और चूंकि व्यय मद अलग नहीं है, इसका विवरण अलग से दिया जाना संभव नहीं है।

श्रम न्यायालयों में दर्ज मामले

509. श्री रामसिंह कुडी (जायल) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में जितने श्रम न्यायालय हैं एवं उनके प्रिसाइडिंग ऑफीसर्स की

(श्री रामसिंह कुड़ी)
क्या क्या योग्यतायें हैं एवं उनके मुख्यालय कहां कहां हैं ?

(2) क्या श्रम न्यायालयों में राज्य सरकार के नियमों या विभागों के विरुद्ध कई मामले वर्ष 1975 में दर्ज हुये ? यदि हां, तो इन्स्टीट्यूशन रजिस्टर के हवाले से विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या श्रम न्यायालय ने श्रम के उल्लंघन में किसी सरकारी विभाग को या सरकारी निगम को दोषी करार दिया है ? यदि हां, तो वर्ष 1975 में निर्णीत ऐसे मामलों की सूची विवरण सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राज्य में एक श्रम न्यायालय एवम् एक अतिरिक्त श्रम न्यायालय है। श्रम न्यायालय के प्रिसाइडिंग आफिसर के पद पर उस व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 7 में वर्णित योग्यतायें रखता हो। इन दोनों श्रम न्यायालयों का मुख्यालय जयपुर में है।

(2) जी हां, वर्ष 1975 में श्रम न्यायालयों में सरकारी विभागों के विरुद्ध कुल 55 विवाद दर्ज हुऐ एवम् सरकारी निगमों के विरुद्ध 125 विवाद दर्ज हुए, इनमें से 67 विवाद औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत व 113 मामले उपरोक्त अधिनियम की धारा 33 सी के अन्तर्गत दर्ज हुए। सूचियां संलग्न हैं।

(3) जी हां, वर्ष 1975 में श्रम न्यायालयों ने श्रम कानूनों के उल्लंघन के कारण 22 विवाद सरकारी विभागों के विरुद्ध तथा 27 सरकारी निगमों के विरुद्ध तय किये (सूची संलग्न है)।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कारखानों से निकाले गये श्रमिक

510. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मुख्य मंत्री को ऐसे श्रमिकों की सूची मिली है जिन्हें आपात् स्थिति में गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल से छूटने के बाद कारखानों के मालिकों ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया ?

(2) क्या यह भी सही है कि आपने ऐसे मामले श्रम आयुक्त के पास भेजे हैं ? यदि हां, तो श्रम आयुक्त ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? अगर नहीं, तो क्यों ? और हां, तो अब तक कितने मजदूरों को वापिस काम पर लिवाया गया ? कृपया नाम मय वल्दियत, कारखाने वाइज, सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) एक पत्र अवश्य प्राप्त हुआ था, परन्तु उसके साथ श्रमिकों को कोई सूची प्राप्त नहीं हुई।

(2) श्रम आयुक्त द्वारा इसकी जानकारी प्राप्त की गई, परन्तु सूची के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता कि किन-किन श्रमिकों एवं किन-किन कारखानों का इस प्रश्न से सम्बन्ध है। अतः सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

118

राज्य में शिक्षा का विकास

511. श्री मोहनराज (बाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में बावजूद शिक्षा बजट में निरंतर वृद्धि होने और लोगों में शिक्षा के प्रचार हेतु अनेक अभियान चालू करने के भी प्रति वर्ष निरक्षर (अपढ़) लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है ? कृपया सन् 1961 व सन् 1971 में राजस्थान की कुल आबादी व साक्षर लोगों के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य में 6 से 11 वर्ष के कितने बालक-बालिकाएं हैं ? इनमें स्कूल जाने वालों की संख्या क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि अध्यापकों की कमी के कारण कई स्थानों पर स्कूल खुलते ही नहीं हैं और कई स्थानों पर अध्यापक न होने अथवा कम होने से भी भरती हुए छात्र-छात्राओं की संख्या में कमी हो जाती है ?

(4) राज्य सरकार साक्षरता बढ़ाने की दिशा में क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, परन्तु साक्षरता का प्रतिशत घटा है। आंकड़े सदन की मेज पर पर रख दिये गये हैं।

(2) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) यह सही नहीं है।

(4) साक्षरता बढ़ाने की दिशा में विभाग द्वारा अनेक अभियान चलाये जा रहे हैं जैसे— नामांकन अभियान, अनौपचारिक शिक्षा आदि।

निम्नलिखित आंकड़ों से यह प्रकट होता है कि साक्षरता लगातार बढ़ रही है।
चाहे गये आंकड़े निम्न प्रकार हैं:—

वर्ष	कुल जनसंख्या (लाखों में)			साक्षर लोगों की सख्या (लाखों में)			प्रतिशत		
	योग	पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री
1951	159.71	83.14	76.57	12.82	10.90	1.92	8.02	13.09	2.01
1971	201.56	105.44	95.92	38.66	25.05	3.61	15.21	23.71	5.84
1971	257.66	134.84	122.71	49.14	38.75	18.39	19.07	28.74	8.46

सत्र 1973-74 के सर्वेक्षण के अनुसार बालकों की संख्या व पढ़ने वालों की संख्या निम्न प्रकार है:—
(लाखों में)

(लाखों में) 1973

बालकों की अनुमानित जनसंख्या			पढ़ने वाले बच्चों की संख्या			प्रतिशत		
बालक	बालिकाएं	योग	बालक	बालिकाएं	योग	बालक	बालिकाएं	योग
20.19	18.73	38.56	16.10	4.91	21.01	79.74	26.22	54.48

लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त के पास विचाराधीन मामले

512. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अब तक लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त के पास कुल कितनी शिकायतें आई और उनमें से कितनों पर निर्णय लिया जा चुका है और कितनी किस किस के पास पेन्डिग हैं ? सम्पूर्ण विवरण सहित सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि नियमों में विनिहित सजा के प्रावधान के डर के कारण लोगबाग शिकायत नहीं करते ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त प्रावधान को हटाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार लोक आयुक्त व उप लोकायुक्त के वर्तमान कार्य को देखते हुए इनकी आवश्यकता समझती है और क्या इनके पास पर्याप्त कार्य है ? यदि नहीं, तो इसके लिये क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) लोकायुक्त सचिवालय के अस्तित्व में आने के दिन से दिनांक 29–2–76 तक कुल 4318 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 3890 का निस्तारण हो चुका है शेष 428 पर कार्यवाही चल रही है ।

चूंकि उप लोकायुक्त द्वारा 25 जून, 1974 को ही अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया गया था, उक्त समय के बाद उनके द्वारा शिकायतें प्राप्त होने का प्रश्न ही नहीं रहता तथा लोकायुक्त सचिवालय में प्राप्त समस्त शिकायतों का निस्तारण लोकायुक्त द्वारा ही किया जा रहा है ।

(2) राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 19 (2) के अन्तर्गत शिकायतों का, विशेष मामलों के अलावा अन्वेषण प्राइवेट तौर पर किया जाना चाहिए और विशेषतः शिकायतकर्ता तथा अन्वेषण से प्रभावित लोक सेवक का परिचय अन्वेषण से पूर्व, दौरान या पश्चात् जनता या प्रेस के समक्ष प्रकट नहीं किया जावेगा । अतः प्रत्येक शिकायत के बारे में शिकायतकर्ता व संबंधित लोक सेवक का परिचय देना इन प्रावधानों के विपरीत पड़ता है । राज्य सरकार के समक्ष इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) जी हां । सरकार लोकायुक्त के वर्तमान कार्य को देखते हुये इनकी आवश्यकता समझती है

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजस्थान ललित कला अकादमी

513. श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा)ः क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना वर्ष 1975–76 तक अनुदान स्वरूप कितनी राशि राज्य सरकार ने दी है ?

(श्री मनोहर कोठारी)

(2) उक्त राशि में से कितनी कितनी राशि पुस्तक प्रकाशन, पत्रिका प्रकाशन, प्रदर्शनी, पुरस्कार, वृत्ति स्वरूप दी है? वर्षवार तालिका सदन के पटल पर रखें।

(3) अकादमी ने राजस्थान के कलाकारों के कितने चित्र खरीदे हैं या बिकवाये हैं?

(4) क्या अकादमी ने चित्र प्रदर्शनी दीर्घा की जयपुर और राजस्थान के प्रमुख नगरों में व्यवस्था की है? यदि हां, तो कहां कहां और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या अकादमी ने आय के स्रोतों का निर्माण भी किया है? यदि हां, तो कौन कौन से, और नहीं, तो किन कारणों से?

(6) क्या अकादमी के व्यय-आय के वार्षिक लेखों का प्रति वर्ष चार्टेड अकाउन्टेन्ट्स या अन्य किसी अधिकारी संस्थान से निरीक्षण होता है?

(7) क्या अकादमी में किसी व्यक्ति या संस्था की देय राशि बकाया है? यदि हां, तो किस किस की और अब तक राशि न चुकाने के क्या कारण हैं?

(8) क्या राज्य सरकार की दृष्टि में अकादमी संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) अकादमी द्वारा कोई चित्र नहीं खरीदे गए हैं। जहां तक बिक्री का प्रश्न है ये सीधे कलाकारों द्वारा बेचे जाते हैं। अकादमी प्रदर्शिनियों का अवसर जुटाकर कलाकारों को सहयोग देती है।

(4) अकादमी ने रवीन्द्र मंच, जयपुर के तहखाने में एक सुन्दर कला दीर्घा का निर्माण किया है। जयपुर के अलावा जब अन्य नगरों में प्रदर्शनी का आयोजन अकादमी द्वारा किया जाता है तब उस नगर के सूचना केन्द्र या किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शनी लगाई जाती है।

(5) जी नहीं। अभी सामान्य जनता में कला के प्रति विशेष अभिरुचि पैदा नहीं हुई है।

(6) जी हां। चार्टेड अकाउन्टेन्ट्स तथा महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय द्वारा की जाती है।

(7) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(8) जी हां।

Statement showing the grants received from the State Government

19-11-57 to 31-3-60	Rs.	48,000/-
1960-61	Rs.	75,000/-

(122)

1961–62	Rs. 75,000/–	
1962–63	Rs. 70,000/–	
1963–64	Rs. 50,000/–	
1964–65	Rs. 50,000/–	
1965–66	Rs. 50,000/–	
1966–67	Rs. 75,000/–	
1967–68	Rs. 75,000/–	
1968–69	Rs. 75,720/–	
1969–70	Rs. 93,000/–	
1970–71	Rs. 1,50,000/–	
1971–72	Rs. 1,50,000/–	
1972–73	Rs. 1,25,000/–	
1973–74	Rs. 1,25,000/–	
1974–75	Rs. 1,25,000/–	
1975–76	Rs. 1,25,000/–	
	Rs. 0,80,000/–	Supplementary grant for clearing the outstanding bills pertaining to Art Gallery and Library.

Statement of expenses on activities

Year	Publication including journal (Akriti)	Exhibition	Prize & award
1	2	3	4
1959–60	3488.00	14301.75	9000.00
1960–61	7738.21	24304.96	6400.00
1961–62	7363.89	21485.84	7300.00
1962–63	5627.55	11413.70	6200.00
1963–64	1160.00	19086.65	600.00
1964–65	–	6855.88	5500.00
1965–66	–	17045.73	5500.00
1966–67	9289.02	18745.29	5250.00
1967–68	12590.15	20984.28	5750.00

1	2	3	4
1968–69	10127.97	27659.30	5000.00
1969–70	18764.26	34498.66	6000.00
1970–71	18016.32	40133.85	5500.00
1971–72	27890.32	50365.07	5500.00
1972–73	14845.17	19248.71	4500.00
1973–74	16378.32	72761.78	5500.00
1974–75	19369.88	64761.94	–
1975–76	18000.00 Approx.	55000.00 Approx	5500.00
	1,90,649.06	5,20,033.29	89,000.00

Rajasthan Lalit Kala Akademi, Ravindra Manch, Jaipur (Raj.)

AMOUNT PAYABLE—For Exhibition

Studio Life	1675 00
Raj. Adv. & Sales Service	2512.20
Sunder Electric Service	370.00
Bombay Painting Co.	445.00
B. S. Sharma	500.00
M. K. Sharma	250.00
Kiran Murdia	250.00
Suresh Sharma	250.00
Rita Vaish	250.00
Ajanta Printers	2153.37
Jude	900.00
Abdulla	375.00
Spot Light	448.00
Rashtradoot	642.11
Exhibition	114.00
Moon Light	223.00
	11,357.68

For Art Gallery—

Raj. Handicraft Emporium	12620.18
Swaroop electric	783.00
Sunder Electrics	56.50
JP BIK Trd. co.	8308.09
Sylvania	785.40
N. K. Enterprises	1982.40
	24,535.57

For Expenses—

Khadi Ghar	1397.58
Honorarium	580.00
	1977.58

Income Tax	301.00

To others—

To staff	3610.73
S. S. Surana & Co.	1000.00
National Agency	1651.15
Trade & Wings	299.41
Ajanta Printers	4760.61
Scholarship	5000.00
Publication Syndicate	1200.00
Mohanlal Baid	132.00
Col. Suryakant	193.75
Ramesh Jangid	500.00
Mangal Saxena	1000.00
G. L. Joshi	1000.00
Abdul Majid	50.00
Sangeet Kala Kendra	500.00
Anant Kachhawaha	25.00
Ram Kumar	20.00

AIFACS	1458.00
Standard Book Co.	810.00
	23,240.65

Exhibition	11357.68
Art Gallery	24535.57
Expenses	1977.58
Income Tax	301.00
Others	23240.65
	61,412.48

राजकीय चिकित्सालय बारां में नेत्र विशेषज्ञ का पद

514. श्री रामगोपाल (खण्डार) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजकीय चिकित्सालय बारां, जिला कोटा में एक नेत्र विशेषज्ञ की व्यवस्था की जा चुकी है ? यदि हां, तो कब और किस व्यक्ति को लगाया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी ने अभी तक बारां जाकर कार्यभार नहीं संभाला है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

राज्य में कृषि एवं अन्य कनेक्शनों पर रोक

515. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बिजली बोर्ड ने ओ. एण्ड एम. में कृषि व अन्य कनेक्शनों पर रोक लगा रखी है ?

(2) यदि हां, तो इस रोक का क्या कारण है और इसे कब तक समाप्त कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) धनाभाव के कारण वर्ष 1975-76 में अनुसूचित जाति, जन जाति एवं लघु व सीमान्त कृषकों को कनेक्शन देने में प्राथमिकता दी गई है । इनके अतिरिक्त धनाभाव

(विद्युत् मंत्री)

के कारण नोन आर. ई. सी. क्षेत्रों में कनैक्शन नहीं दिये जा सके हैं।

(2) धनाभाव के कारण नये दिये जाने वाले कनैक्शनों को सीमित करना पड़ा है तथा अग्रिम जमा राशि योजना भी प्रारम्भ करनी पड़ी है। कनेक्शन दिया जाना चालू है।

जालौर तहसील के भूतपूर्व नायब तहसीलदार के विरुद्ध शिकायत की जांच

516. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जालौर तहसील के तत्कालीन नायब तहसीलदार श्री नरपतकरण सिंह द्वारा रेवतड़ा गांव के काश्तकारों के विरुद्ध दफा. 91 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत मनगढंत एवं फर्जी मुकदमें दर्ज कर अपने पद का दुरुपयोग कर दबाव डालकर उनसे रिश्वत लेने बाबत जांच रिपोर्ट जिला सतर्कता समिति ने राजस्थान विजीलेंस कमीशन को काफी अर्से पहिले भेज दी है?

(2) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उक्त श्री नरपतकरण सिंह के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की ग है?

(स्थगित किया गया)

डी. सी. एम. कोटा के प्लान्ट से निकलने वाले पानी से खराबी

517. श्री औंकारलाल चौहान (डग) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा शहर में इन्डस्ट्रीयल एरिया में डी. सी. एम. के कास्टिक सोडा के प्लान्ट से खारिज पानी (Effluent) से उस इलाके के लोगों को जीना दूभर हो गया है कृषि भूमि खराब हो गई है? और वाटर पोल्यूशन (Water Pollution) की समस्या से जनता पीड़ित है?

(2) क्या यह भी सही है कि स्थानीय इन्डस्ट्रीज को इस सम्बन्ध में नोटिस दिये गये हैं?

(3) यदि हां, तो राज्य सरकार वाटर पोल्यूशन (Water Pollution) की समस्या को हल करने के लिए क्या कर रही है?

(4) क्या वाटर पोल्यूशन बोर्ड (Water Pollution Board) की कोई मीटिंग हुई है?

(5) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिये गये हैं?

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि कोटा शहर में इन्डस्ट्रियल एरिया में डी. सी. एम. के कास्टिक सोडा प्लान्ट से दूषित जल खारिज किया जाता है। दूषित जल में क्लोरीन की मात्रा अधिक होने पर मछलियां व अन्य पशु मर सकते हैं कृषि भूमि के लिए भी यह जल अनुपयुक्त है।

(2) हां।

(जनस्वास्थ्य मंत्री)

(3) मण्डल के प्रयत्नों से इस इन्डस्ट्री ने दूषित जल के समाधान के लिए प्रयत्न किये हैं जिससे समस्या बहुत कम हो गई है। इस इन्डस्ट्री ने मण्डल की सम्मति के लिए आवेदन-पत्र दे दिया है और दिसम्बर, 1977 तक उपचार संयन्त्र लगाने का वचन दिया है।

(4) हां। मण्डल को अभी तक चार बैठकें हो चुकी हैं।

(5) कोटा में स्थित बड़ी व छोटी औद्योगिक इकाईयों से अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत सम्मति आवेदन पत्र भेजने हेतु लिखा गया है। बड़ी इकाईयों के सम्मति आवेदन-पत्र प्राप्त हो चुके हैं जिसमें श्रीराम केमिकल इन्डस्ट्रीज (डी. सी. एम.) कोटा का भी आवेदन-पत्र है। इस आवेदन-पत्र के अनुसार दूषित जल की रोकथाम के लिए कुछ उपाय किये हैं व सम्पूर्ण उपचार संयंत्र दिसम्बर, 1977 तक लगाने का प्रावधान है। प्रावधिक समिति ने अपनी द्वितीय बैठक में यह निर्णय लिया था कि श्रीराम केमीकल इन्डस्ट्रीज, कोटा का उक्त समिति द्वारा निरीक्षण करने के उपरांत ही सम्मति प्रदान करने पर विचार किया जावे।

तहसील पिड़ावा की आर. ई. सी. स्कीम

518. श्री हाजीजान मोहम्मद खां (पिड़ावा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सही है कि तहसील पिड़ावा में अभी तक आर. ई. सी. स्कीम मंजूर नहीं हुई है? अगर हां, तो क्यों?

(1) क्या यह सही है कि पिड़ावा तहसील के किसानों को बिजली के अभाव में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है? क्या राज्य सरकार तहसील पिड़ावा के गांवों को बिजली देने का विचार रखती है? अगर हां, तो किस तारीख तक बिजली पिड़ावा तहसील के गांवों को दे दी जावेगी?

(3) क्या यह सही है कि पिड़ावा तहसील के गांवों को सर्वे हो चुकी है? अगर हां, तो कौनसी तारीख को और कौन कौन से गांव का सर्वे किया गया है और किन गांवों में कितने कितने कुवे हैं? सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) जी हां। ग्रामीण विद्युतिकरण निगम द्वारा जो तकनीकी एतराज किये हैं, उनकी पूर्ति होनी बाकी है।

(2) पंचायत समिति पिड़ावा के लिए बनाई गई योजना अभी निगम के विचाराधीन ही है। योजना की स्वीकृति के पश्चात् ही यह मालूम हो सकेगा कि पिड़ावा योजना में सम्मिलित गांवों का विद्युतिकरण कब तक हो जायगा।

(3) जी हां। सर्वे वर्ष 1975 में किया जा चुका है। वांछित सूचना का सूची संलग्न है?

पंचायत समिति पिड़ावा, जिला झालावाड़ के सर्वे किये गये ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कुओं की सं.	क्र.सं.	ग्राम का नाम	कुओं की सं.
1.	सनवास	7	32.	कल्याणपुरा	25
2.	काली तलाई	20	33.	बजरंगपुरा	5
3.	चवेली	6	34.	पालखेड़ा	35
4.	दीवलखेड़ा	88	35.	सालरी	65
5.	जेताखेड़ी	28	36.	सीयली	30
6.	मया खेड़ी	10	37.	खटखड	20
7.	ओडिया खेड़ी	30	38.	असुन्डिया	10
8.	पर्शपुरा	10	39.	ताम	10
9.	हिम्मतगढ़	40	40.	खारपा कलां	40
10.	खेरना	35	41.	गोविन्दपुरा	35
11.	गरवनखेड़ी	31	42.	रमाई दलपत	25
12.	कुन्डला प्रताप	30	43.	रामपुरिया	20
13.	मथानिया	55	44.	मुमडया	15
14.	डांवला	5	45.	मुमानिया	20
15.	रावल	20	46.	टिकटिका	4
16.	अकोडिया	19	47.	बिसमिल्लापुरा	18
17.	लालगांव	30	48.	ख्याली	80
18.	चछलाई	25	49.	नियाल्या	26
19.	पांडखेड़ी	17	50.	बानोर	22
20.	भटखेडा बुजुर्ग	10	51.	सेमली भवानी	30
21.	किलोतिया	21	52.	रूपाखेड़ी	29
22.	पेटभर	19	53.	सेमली कल्याण	18
23.	रोशनबाड़ी	38	54.	धामनिया	9
24.	गुराडिया	18	55.	रामपुरिया	12
25.	सरोठिया	41	56.	कोटरी खुर्द	35
26.	धरीनिया	38	57.	मुमाडिया खेड़ी	20
27.	शेरसिंह	25			
28.	ध्योडी	13			
29.	डोला	33			
30.	बोरदा	25			
31.	सांगरिया	60			

परिवार एवं बाल कल्याण योजना

519. सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (ग्रामेर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि परिवार एवं बाल कल्याण योजनाओं को तीन इन्सटालमेंट में राज्य सरकार से राशि प्राप्त होती है? यदि हां, तो क्या इन योजनाओं में कार्य करने वाले व्यक्तियों को समय पर भुगतान होता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि एक योजना में 23 कर्मचारी होते हैं ? यदि हां, तो इन्हें समय पर वेतन भुगतान के सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या विचार कर रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि धनराशि के अभाव में योजनाओं की गतिविधियों पर भी प्रभाव पड़ता है ? यदि हां, तो इसे सुचारु रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

(4) क्या यह भी सही है कि इन योजनाओं में अधिकतर महिला कर्मचारी हैं? क्या इन महिलाओं को राणावत वेतन श्रृंखला ग्रेच्युटी, सी. पी. एफ. का लाभ सुलभ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि प्रधान मंत्री के बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत समानता का अधिकार सबको मिला हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या यह भी सही है कि योजनाओं में केन्द्र सहायक सेविकायें भी रखी जाती हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें पार्ट-टाइम वेतन दिया जाता है ? यदि हां, तो उन्हें फुल टाइम वेतन देने के सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । परिवार एवं बाल कल्याण योजनाओं को तीन इन्सटालमेंट में ही राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जावे ऐसा कोई नियम नहीं है । स्वीकृत बजट के अनुसार अनुदान की राशि दो, तीन अथवा चार किश्तों में पूर्ण सूचना प्राप्त होने पर स्वीकृत कर दी जाती है । इन योजनाओं में कार्य करने वाले व्यक्तियों को भुगतान राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार मण्डल, जयपुर के द्वारा किया जाता है । अतः राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत करने के पश्चात् समय पर वेतन आदि का भुगतान करने का दायित्व बोर्ड का है ।

(2) जी हां । एक योजना में 23 कर्मचारी होते हैं । इन्हें समय पर वेतन भुगतान करने का दायित्व राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार मण्डल का है ।

(3) यह सम्भव है । फिर भी इन्हें सुचारु रूप से चलाने हेतु राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष का पूर्ण अनुदान राज्य बोर्ड को स्वीकृत किया जा चुका है ।

(4) जी हां । इन महिला कर्मचारियों को वेतन श्रृंखला राणावत आयोग द्वारा सिफारिश की गई श्रृंखलाओं के अनुसार दी है । सी. पी. एफ. आदि का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(समाज कल्याण मंत्री)

(5) प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

(6) जी हां यह सही है कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा स्वीकृत योजना प्रारूप में केवल पार्ट टाईम बाल सहायक सेविकायें रखने का प्रावधान है तथा उसी के अनुसार उन्हें भुगतान किया जाता है। अतः राज्य सरकार द्वारा किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

बेखेड़ा बांध का सर्वे

520. श्री उम्मेदी लाल (हिण्डौन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र हिण्डौन के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बेखेड़ा में बेखेड़ा बांध बनाने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा सर्वे कराया गया है ? अगर हां, तो इस बांध का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ कराया जायेगा ?

उत्तर

जी नहीं।

औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम के कर्मचारी और भविष्य निधि योजना

521. श्री महेन्द्र कुमार (पाड़वा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम के कर्मचारियों पर भविष्य निधि योजना नियम (पी. एफ.) कब से लागू किये गये हैं ? क्या नियम निगम के सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं ? यदि हां, तो फ्लोराइड माइन्स मान्डव की पाल डूंगरपुर फेल्साइड माइन्स बांसवाड़ा आदि श्रमिकों को इस लाभ से क्यों वंचित कर रखा है ?

(2) राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम भविष्य निधि योजना नियम के अनुसार किन किन कर्मचारियों पर लागू होता है ? कृपया निगम के भविष्य निधि योजना नियम सदन की मेज पर रखें।

(3) निगम में कितने श्रमिकों को उक्त लाभ से वंचित कर रखा है ? इससे प्रभावित कितने श्रमिक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के हैं ? कृपया माइन्स के अनुसार बताने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि श्रमिकों का एक माइन्स से दूसरी माइन्स पर तबादला कर दिया जाता है ? निगम में कितने कर्मचारियों को तबादलों से भविष्य निधि लाभ नहीं मिल रहा है ? कितने व्यक्ति पूर्व में योजना का लाभ लेते रहे हैं ? मगर निगम में आने पर उन्हें वंचित रखा है ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

विदेशों में गये डाक्टर व नर्सिंग स्टाफ के सदस्य

522. श्री रणजीत सिंह (भोसियत) क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान के कौन कौन डाक्टर व नर्सिंग स्टाफ के सदस्य राज्य सेवा से त्याग-

(श्री रणजीत सिंह)

पत्र देकर या अवैतनिक अवकाश के आधार पर विदेशों में गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(स्थगित किया गया)

ग्राम लीड़ी में बिजली

523. श्री शंकर सिंह रावत (नसीराबाद):——क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :——

क्या यह सही है कि ग्राम लीड़ी बड़ा गांव है और जिसकी जनसंख्या 2500 के ऊपर है के पास बिडकचियावास ग्राम दो मील दूरी पर है तथा लाखना ग्राम चार मील पर है में बिजली है ? यदि हां तो लीड़ी ग्राम में बिजली कब तक पहुंचा दी जावेगी ?

उत्तर

जी हां । तकनीकी व आर्थिक दृष्टि से योजना साध्य होगी तो इसकी कार्यवाही की जायेगी ।

परिशिष्ट—8

(तारांकित प्रश्न संख्या 498 की सूची)

प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियोग संख्या 44 दिनांक 23—12—68 धारा 406/420 ता. हि. पुलिस थाना बनीपार्क की प्रतिलिपि:—

ग्राम सेवक समाज नारी का नाका जयपुर दिनांक 10—3—71 श्रीमान् एस. एच. ओ. बनीपार्क जयपुर हालात इस प्रकार है कि चांदपोल बाहर ग्राम नारी का नाका में मंदिर श्री बिलेश्वर जी महादेव स्थित है यह मंदिर ग्राम सेवक समाज ट्रस्ट के पूर्ण नियन्त्रण व अधिकार में है तथा राज्य सरकार व देवस्थान विभाग द्वारा पंजीकृत है। चन्द्रप्रकाश उर्फ पूर्ण चन्द नामक एक व्यक्ति इस मंदिर में शिवजी की पूजा हेतु नौकर रखा गया था तथा ट्रस्ट के रोकड़ रजिस्टर व अन्य सामान आदि श्री चन्द्रप्रकाश के पास अमानती रखे हुये थे जो समय समय पर आवश्यकतानुसार कार्य में लिये जाते हैं व बाद में उसी के पास रख जाते थे दिनांक 23—12—68 को उक्त चन्द्रप्रकाश को ट्रस्ट मंदिर की सेवा से पृथक् कर दिया गया और दूसरा पुजारी रख लिया गया किन्तु चन्द्रप्रकाश ने हमारे ट्रस्ट का रोकड़ रजिस्टर जो अमानती उसके पास था वह बावजूद कई लिखित व मौखिक आश्वासनों के नहीं लौटाया और अब बिलकुल देने से इन्कार हो गया बिना रोकड़ रजिस्टर के ट्रस्ट के कार्य में कठिनाई उत्पन्न हो रही है इस तरह चन्द्रप्रकाश ने ट्रस्ट के रोकड़ रजिस्टर को न देकर धोखा धड़ी व अमानत में खयानत की जो कानून में 420/406 आई. पी. सी. के अन्तर्गत आता है अतः रिपोर्ट पेश कर अर्ज है कि श्री चन्द्रप्रकाश के विरुद्ध चोरी मुकदमा 420/406 आई. पी. सी. का दर्ज कर तफतीश की जावे और रोकड़ रजिस्टर बरामद किया जावे व उसके साथ सलूक कानूनी फरमाया जावे प्रमाण व अन्य गवाहों को मैं दौराने तफतीश पेश कर दूंगा। भवदीय मंत्री ग्राम सेवक समाज ह. हरिनारायण सैनिक पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण बोरिंग के सामने नारी का नाका जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

उपरोक्त रिपोर्ट तहरीरी श्री हरिनारायण पुत्र श्री लक्ष्मीनारायणजी सैनिक सा. बोरिंग के सामने नारी का नाका मंत्री ग्राम सेवक समाज नारी का नाका जयपुर ने हाजिर थाना होकर पेश की जिसकी नकल शब्द ब शब्द को मजबून रिपोर्ट से मामला जुर्म दफा का 420/406 आई. पी. सी. पाया जाता है लिहाजा मु. नं. 44 धारा 420/406 आई. पी. सी. दर्ज कर तफतीश सुपुर्द एस. आई. श्री भगवती प्रसाद की गई।

ह. हरिनारायण सैनिक

ह. कौशल किशोर एस. एच. ओ.
पी. एस. बनीपार्क जयपुर।
14—3—71।

प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियोग संख्या 45 दिनांक 18-3-71 धारा 392 ता. हि. पुलिस थाना बनीपार्क, जयपुर की प्रतिलिपि—

श्रीमान एस.एच.ओ. बनीपार्क जयपुर—सेवा में सविनय निवेदन है कि प्रार्थी ग्राम सेवक समाज, नारी का नाका का मंत्री हूं। नारी का नाका में मन्दिर विश्लेश्वर महादेव का मन्दिर है जो देवस्थान विभाग द्वारा ग्राम सेवक समाज के नाम से पंजीकृत है। उक्त मन्दिर में चन्द्रप्रकाश नाम का पुजारी था उसको सेवा से पृथक् कर दिया गया है लेकिन उसने नाजायज तरीके से कब्जा किये हुए है और उसके विरुद्ध जांच चल रही है। आज शाम करीब 9.30 बजे रात जब में उक्त मन्दिर में गया तो यहां बाबा चन्द्रप्रकाश, रामसहाय माली व पुरुषोत्तम व प्रहलाद बाबा चन्द्रप्रकाश के साथ थे। यह लोग गोकुल, बाबू व गोरी शंकर के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा कर रहे थे। मैं जब उधर से निकला तो हल्ला सुन कर मन्दिर में गया तो ग्राम सेवक समाज के मंत्री होने के नाते मन्दिर में गया और झगड़े का कारण पूछा तो इस पर बाबा चन्द्रप्रकाश, रामसहाय, पुरुषोत्तम, प्रहलाद ने अचानक हमला कर दिया। चन्द्रप्रकाश ने कुल्हाडी से हमला कर दिया जिससे गोरीशंकर ने पकड़ कर कुल्हाड़ी छीन ली। रामसहाय ने प्रार्थी के बायें हाथ के अंगूठे के मुंह से बटका खाया व चन्द्रप्रकाश ने प्रार्थी के आंख का चश्मा छीन लिया जो उसी के पास है। रामसहाय व चन्द्रप्रकाश ने प्रार्थी पर हमला किया। जिस पर प्रार्थी के बायें पांव पर अंगूठे के ऊपर चोट आयी। नाक पर भी चोट आयी व दायें पांव पर पिण्डली पर पत्थर व कुल्हाड़े से मारी जिससे चोट आयी कुल्हाड़ी जो चन्द्रप्रकाश से छीनी गयी वह असल में पेश है। उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत कर अर्ज है कि इन लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। गवाह मौके पर गोरधन जी, गोरीशंकर, बाबू आदि हैं जो पेश करेंगे। प्रार्थी एस.डी. हरिनारायण सैनी पुत्र लक्ष्मीनारायण मंत्री ग्रा.से.स. नारी का नाका ता. 13-3-71

कार्यवाही पुलिस

तस्दीक की जाती है कि रिपोर्ट हाजा तहरीरी श्री हरिनारायण पुत्र लक्ष्मी नारायण सैनी सा. नारी का नाका टंकी के पास जयपुर ने मय श्री बाबूलाल पुत्र शिवसहाय सैनी व श्री गोरीशंकर पुत्र कान्जी कुमावत निवासीयान नारी का नाका ने उपस्थित थाना आकर पेश की व साथ में कुल्हाड़ी भी पेश की लिहाजा रिपोर्ट की नकल अक्षर से अक्षर की सही पढ कर सुनाई गयी स्वीकार कर दस्तखत किये मुलायजा जेर बात की हरिनारायण सैनी किया गया तो बायें पैर के अंगूठे पर एक चोट खून आलूदा व एक चोट बायें पैर के पांव के अन्दर की साइट मे खून आलूदा व इसके पास ही उपर एक चोट निशान खुरसटा व एक चोट बायें पैर की पिण्डली की नली पर व एक चोट बायीं तरफ नाक के पास खून आलूदा है और एक चोट दायें हाथ के अंगूठे पर है। मजमून से मामला धारा 392 आई.. पी.सी.का वकुए में आना पाया जाता है। अतः मु. नं. 45 बदमा मजकूर कायम कर तफतीश

सुपुर्द ए.एस.आई. श्री निहाल सिंह की गई व मुस्तगीस की पेश कर्दा कुल्हाड़ी को जरिये फर्द जुदागाना में वास्ते वजह सबूत जप्त की जाकर तहवील पुलिस में ली गई। सील मोहर किया गया। मजरूब हरिनारायण को जरिये तहरीर वास्ते मुआयना डाक्टरी रवाना किया गया।

ह. कौशल किशोर एस.एच.ओ.
पुलिस थाना, बनीपार्क, जयपुर।

परिशिष्ट 9

(तारांकित प्रश्न संख्या 502 की सूची)

यू.जी.सी. ग्रेड लागू करने बाबत कमेटी

1.	शिक्षा आयुक्त	संयोजक
2.	वित्त आयुक्त	सदस्य
3.	डा. जी.सी. पाण्डे, कुलपति राज. वि. वि. जयपुर	सदस्य
4.	श्री बी.बी.एल. माथुर, विशिष्ट सचिव, कार्मिक विभाग, जयपुर	सदस्य
5.	श्री जयकिशन व्यास, प्रतिनिधि, जोधपुर, शिक्षक संघ	सदस्य
6.	श्री पुरुषोत्तम लाल चतुर्वेदी, प्रतिनिधि रा.वि.वि. एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ	सदस्य
7.	डा. आर.एन. चौधरी, शिक्षा निदेशक	सदस्य
8.	श्री चांदमल शर्मा, प्रतिनिधि रा.वि.वि. शिक्षक संघ	सदस्य
9.	श्री ज्ञानमल मेहता, प्रतिनिधि उदयपुर, वि.वि., उदयपुर	सदस्य
10.	श्रीमती कृष्णा भटनागर, उप सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
11.	श्री आर.के. अग्रवाल, उप सचिव, शिक्षा विभाग	सदस्य

136

सूची

उदयपुर विश्वविद्यालय

1. डा. आई.सी. शर्मा, प्रोफेसर
2. डा. जी.एन. राव, असिस्टेन्ट प्रोफेसर
3. मिसेज आशा भाटिया, असिस्टेन्ट प्रोफेसर
4. श्री ओ.पी. सिंह, असिस्टेन्ट प्रोफेसर
5. श्री के.एन. बन्सल, असिस्टेन्ट प्रोफेसर
6. मिस सजेन्द्रा पुरी, असिस्टेन्ट प्रोफेसर
7. डा. (मिसेज) शीला फडनीस, डीन
8. श्री बी. हेनरी, प्रवक्ता
9. श्री एन.एस. पिटले, लेक्चरार
10. डा. एम.के. माथुर, आपरेशनल रिसर्च आफिसर

राजस्थान विश्वविद्यालय

1. प्रोफेसर पी.एन. श्रीवास्तव
2. डा. ए. रमेशराव, लेक्चरार
3. श्री एन.डी. सक्सेना, लेक्चरार

जोधपुर विश्वविद्यालय

1. श्री सत्य भूषण वर्मा, लेक्चरार
2. श्री एन.एच. कुरेशी, लेक्चरार
3. डा. वीरेन्द्र सिंह, लेक्चरार

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 249 की सूची)

प्रदेश में डकैती, लूट, हत्या, तस्करी, जुआ, चोरी व महिलाओं एवं लड़कियों के अमौलिक व्यापार के सम्बन्ध में तुलनात्मक सूची—

सन्	डकैती	लूट	हत्या	जुआ	चोरी	मौलिक व्यापार	टोटल
1973	149	1146	699	977	18331	5	44229
1974	164	1301	730	766	19747	3	51102
1975	141	1337	710	712	21632	5	50984
जनवरी 1976	7	105	57	53	1896	—	4106

परिशिष्ट–11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 251 की सूची)

RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION, JAIPUR.

LOAN SANCTIONED AND DISBURSED BY THE R. F. C. SINCE INCEPTION TO 31-12-75

(Amount in lacs Rs.)

S.No.	District	Sanctions		Disbursement	
		Ut.	Amt.	Ut.	Amt.
1.	Ajmer	98	197.34	86	147.50
2.	Alwar	99	493.96	60	140.22
3.	Banswara	24	35.01	19	14.85
4.	Barmer	5	6.42	2	1.73
5.	Bharatpur	64	90.34	54	51.88
6.	Bhilwara	48	134.56	46	126.62
7.	Bikaner	18	29.55	6	23.55
8.	Bundi	8	27.58	7	25.26
9.	Chittorgarh	10	30.57	10	30.15
10.	Churu	24	22.47	17	17.68
11.	Dungarpur	3	1.53	3	1.29
12.	Jaipur	680	1135.67	600	759.27
13.	Jaisalmer	—	—	—	—
14.	Jalore	4	1.32	2	0.23
15.	Jhalawar	9	4.09	8	3.66
16.	Jhunjhunu	12	7.31	8	3.30
17.	Jodhpur	108	232.95	87	138.12
18.	Kota	107	224.64	88	182.62
19.	Nagaur	61	57.15	39	21.58
20.	Pali	22	31.46	21	22.15
21.	Sawaimadhopur	18	37.22	11	27.84
22.	Sikar	15	12.80	10	8.69
23.	Sirohi	11	17.09	6	8.06
24.	Sri Ganganagar	54	71.56	43	49.02
25.	Tonk	12	9.51	8	5.94
26.	Udaipur	91	208.20	68	111.24
	Total :	1595	3120.30	1309	1922.54

LOANS RECOMMENDED FOR GRANT OF SANCTION BY LOANS SUB-COMMITTEE FROM 1-4-75 TO 31-3-76

29-4-1975: Amount in lacs Rs.

1.	M/s	Laxmi Ice Factory, Dundlod	1.25
2.	,,	Plastic & Products, Jaipur	1.38
3.	,,	Ganesh Udyog, Jaipur	1.97
4.	,,	Bhartiya Engineering Works, Jaipur	2.00
5.	,,	Mechiteh, Jaipur	2.00
6.	,,	Shri Shanker Industries, Bharatpur	2.00
7.	,,	Singhal Steels, Jaipur	0.40

29-5-1975:

1.	M/s.	Ladha Lime Products, Marwar-Mundwa	1.44
2.	,,	Dinesh General Industries, Bonli	1.50
3.	,,	Rajora Marble Industries, Makrana..	1.50
4.	,,	Shri Laxmi Gum & Chemical Industries, Kuchaman City	1.50
5.	,,	S. M. Spokes Manufacturing Industries Ltd., Bhilwara.	1.50
6.	,,	Jain Enterprises, Udaipur	2.00

2-7-1975:

1.	M/s	Tractor Agro Industries, Jodhpur	1.50
2.	,,	Nav Bharat Udyog, Nawa	1.50
3.	,,	Chandak Marble Industries, Makrana	1.50
4.	,,	Neelam Food Products, Udaipur	1.18
5.	,,	Shyam Marble Udyog, Borawar	2.00
6.	,,	Bridhilal Banshidhar Mehta (Prop. Shri Ram Rice Mills, Kota)	1.50
7.	,,	R. S. Industries, Hanumangarh	1.19
8.	,,	Shri Jain Sizing Industries, Madanganj, Kishangarh	1.50
9.	,,	Orient Batteries, Jaipur	1.50
10.	,,	Dasinell Metal Industries, Alwar	1.50

5-8-1975 :

1.	M/s	International Engineering Works, Bhilwara	1.00
2.	,,	Laxmi Woollen Mills, Bikaner	1.30
3.	,,	Krishna Oil & Iron Industries, Bonli	1.50
4.	,,	Maha Laxmi Chemical Works, Kherthal	2.00
5.	,,	Anandi Knitting Garment Making Factory, Kota	1.19
6.	,,	Shri Chemical, Jaipur	1.09
7.	,,	Shiva Chemical, Udaipur	1.86

3-10-1975 :

1.	M/s	Jai Bharat Ice Factory, Deoli	1.15
2.	,,	Goel Industries, Jaipur	1.20
3.	,,	Taj Marble & Minerals Industries, Udaipur	1.33
4.	,,	Rajagarhia Oil & General Mills, Hanuman garh	1.50
5.	,,	B. L. Industries, Jaipur	1.50
6.	,,	Suman Textiles, Kota	1.72
7.	,,	National Casting & Industries, Jaipur	0.74 (Enhancement)
8.	,,	Rajasthan Technochem Industries	1.85
9.	,,	Premier Mineral & Grinding Mills, Ajmer	1.25
10.	,,	Inju Sizing Factory, Sawaimadhopur	2.00
11.	,,	Rakesh Engineering Works, Kota	1.85
12.	,,	Kanti Plastic Industries, Deeg	0.44 (Enhancement)
13.	,,	Mahan Industries, Pal, Jodhpur	2.04
14.	,,	Laxman Industrial Development Co., Dungarpur	1.26
15.	,,	Padam Industries, Alwar (5.8.1975)	1.63

13-11-1975 :

1.	M/s	Jagat Sodium Sulphide Co., Didwana	2.00
2.	,,	Rathore Sodium Sulphide Co., Didwana	2.00
3.	,,	Vinod Pulverising, Jaipur	1.50
4.	,,	B. C. Enterprises, Jaipur	1.23

(1UV)

5.	M/s	Bharat Asbestos Cement Co., Kota	1.23
6.	,,	Qualitech Metal Industries, Jodhpur	1.68
7.	,,	Adinath Soapstone Udyog, Udaipur	1.50
8.	,,	Sam Enterprises, Bhilwara	1.50

20-12-1975 :

1.	M/s	Himalaya Paper Works, Alwar	1.50
2.	,,	Udaipur Hosiery Factory, Udaipur	1.50
3.	,,	Alecap Electronic Enterprises, Jaipur	1.83
4.	,,	Madan Oil Mills, Bikaner	1.35
5.	,,	Swastik Oil & Dal Mills, Banswara	2.40
6.	,,	Shree Mahaveer Agro Industries, Jaipur	1.86

28-1-1976 :

1.	M/s	Glab Corporation, Jaipur	1.93
2.	,,	Lalit Industries Corporation, Jodhpur	1.50
3.	,,	Design Fabrication & Consultant Engineers, Jaipur	1.95
4.	,,	Shakti Iron & Steel Re-rolling Mills, Udaipur	1.30
5.	,,	Suresh Engineering Works, Ajmer	1.75
6.	,,	Rama Industries, Jodhpur	2.00

(20-12-1975)

7.	M/s	Parikh Chemicals India, Udaipur	1.90
8.	,,	Rajendra Agro Nutrient, Jaipur	1.14
9.	,,	Subh Industries, Udaipur	1.78

2-3-1976 :

1.	M/s.	Verma Cement Products, Jaipur	1.11
2.	,,	Pyare Lal & Co., Bharatpur	1.50

(142)

3.	M/s	Metals & Methods, Jaipur	1·17
4.	„	Pratap Oil Mills, Alwar	1.16
5.	„	G. R. Paper & Board Mills, Beawar	1.50
6.	„	Vijai Ice Factory, Bari, Bharatpur	1.50
7.	„	Brij Marble & Stones, Chittorgarh	1.20

3-3-1976 (Continued)

8.	M/s	Dhariwal Enterprises, Udaipur	2.29
9.	„	Mayur Crushing Mills, Mandal, Bhilwara	1.86
10.	„	Rajasthan Chemical Works, Bhilwara	1.97
11.	„	Ranka Industries, Bundi	1.80
12.	„	Mahalaxmi Chemical Works, Khertal	2.00
13.	„	Raj Minerals & Allied Products, Jaipur	1,50
14.	„	Dee's Pistons, Jaipur	1.91
15.	„	Accme Engineers, Jaipur	1·87
16.	„	Mewar Minerals, Udaipur	0.69
17.	„	Shri Ram Chandra Khandelwal, Udaipur	0.73
18.	„	Shri Satya Narayan Periwal, Jaipur	0.69

———

परिशिष्ट–12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 256 की सूची)

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार तैयार की गई तालिका

क्रम सं.	विभाग का नाम तथा बोर्ड, निगम आदि का नाम	मनोनीत सदस्य का नाम
1	2	3
1.	सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग	
	भारत सरकार द्वारा निर्धारित योजना के अन्तर्गत पंचम पंचवर्षीय योजना में ग्राम पंचायतों को पारितोषिक प्रतियोगिता के राज्य स्तरीय परिणाम घोषित करने हेतु निम्न सदस्यों की एक स्थाई राज्य स्तरीय समिति का गठन 26-6-75 को किया गया।	1. श्री सुखदेव दीपंकर 2. श्री जनार्दनसिंह गहलोत
2.	कार्यालय जिलाधीश, बूंदी	
	बूंदी जिले के श्री केशोराय पाटन सहकारी मिल्स लि. के., पाटन के संचालक मंडल पर राज्य सरकार के आदेश दिनांक 15-10-75 से मनोनीत।	1. श्री नन्दलाल बैरवा 2. श्री रमेशचन्द सैनी
3.	राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड	
	उक्त बोर्ड के 72 से अब तक मनोनीत दिये गये सदस्य।	1. श्रीमती गोरी पूनिया 2. श्रीमती कांता कथूरिया 3. श्रीमती नगेन्द्र बाला 4. श्रीमती मदन कौर 5. श्रीमती भगवती देवी 6. श्री माधु नाई (3 से 6) वर्तमान

1	2	3
4. राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड		
		1. श्री अमीलाल यादव 1970 से 22–2–73 तक
		2. श्रीमती कमला, राज्य मंत्री 6–4–75 से
5. आयोजना विभाग-राजस्थान आयोजना मण्डल		
मण्डल का गठन 6–2–73 को हुआ था ।		1. श्री लक्ष्मणसिंह 4–6–73 से
		2. श्री मोहनलाल छंगाणी 4–6–73 से मंत्री बनने तक श्रीमती निर्मलासिंह 21–10–75 से श्री छंगानी के मंत्री बनने के फलस्वरूप ।
6. नगर आयोजना विभाग		
नगर विकास, न्यास	जयपुर	1. श्री जनार्दनसिंह गहलोत
,,		2. श्री श्रीराम गोटेवाला
		3. श्री गिरधारीलाल भार्गव
		4. श्री मोहम्मद गफ्फारअली
..	जोधपुर	1. श्री अमृतलाल गहलोत
		2. श्री रामसिंह विश्नोई
,,	अजमेर	1. श्री किशन मोटवानी
		2. श्री मानकचन्द
,,	कोटा	1. श्री भुवनेश चतुर्वेदी
		2. श्रीमती नगेन्द्र बाला
,,	बीकानेर	1. श्री गोपाल जोशी
		2. श्रीमती कान्ता कथूरिया

1	2	3
नगर विकास न्यास	उदयपुर	1. श्री भानुकुमार शास्त्री
,,	भरतपुर	1. श्री राम किशन
,,	अलवर	1. श्री रामानन्द अग्रवाल
,,	गंगानगर	1. श्री केदार नाथ
,,	भीलवाड़ा	1. श्री भंवर लाल
,,	हिन्डौन	1. श्री उम्मेदी लाल
,,	चित्तोडगढ़	1. श्रीमती निर्मल कुमारी
,,	सीकर	1. गोरधन सिंह
,,	ब्यावर	1. श्री केशरीमल
,,	पाली	1. श्री शंकरलाल
,,	पुष्कर	1. श्रीमती प्रभा मिश्रा
,,	गंगापुर	1. श्री हरिशचन्द्र
,,	नाथद्वारा	1. श्री मनोहर कोठारी

7. राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड

1. श्री यशवंतसिंह नाहर
2. श्री अमृतलाल गहलोत
3. श्री श्रीनिवास शारदा

8. जिलाधीश सिरोही

नगर पालिका मण्डल, आबू रोड — 1. श्री भूरा राम

9. जिलाधीश, जैसलमेर

विकास अधिकरण संस्थान — 1. श्री भोपाल सिंह

10. निर्देशालय खान एवं भू विज्ञान

राजस्थान खनिज परामर्शदात्री मण्डल —
1. राज्य मंत्री, खनिज
2. श्री यशवंतसिंह नाहर
3. श्री शीशराम ओला
4. श्री केशरी मल

1	2	3
		5. श्री गुलाबसिंह शक्तावत 6. श्रीमती नगेन्द्र बाला 7. श्री बनवारी लाल 8. श्री ललितसिंह 9. श्री मनोहर लाल कोठारी 10. श्री भानुकुमार शास्त्री 11. श्रीमती गौरी पूनिया
11. वित्त ग्रुप–3		
	मद्य निषेध परामर्शदात्री समिति	1. मंत्री आबकारी 2. राज्य मंत्री, वित्त विभाग 3. श्री बद्री प्रसाद गुप्ता 4. श्री झाबर मल सूंडा
12. राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम		1. श्रीमती कान्ता कथूरिया
13. गुलाबपुरा कोआपरेटिव स्पी. एण्ड वीविंग मिल्स, गुलाबपुरा		1. श्री भंवर लाल भदादा
14. राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड।		
		1. मा. आदित्येन्द्र 31-8-73 तक 2. श्री श्रीराम गोटेवाला ,, 3. श्रीमती नगेन्द्र बाला 72 से आज तक 4. श्री मुंशी लाल महावर 9-5-75 तक 5. श्री नन्दलाल बेरवा 9-5-75 से आज तक

परिशिष्ट-13

सूची "म"

(अतारांकित प्रश्न संख्या 258 की सूची)

जोधपुर जिले में पिछले 4 वर्षों में विद्युतिकृत ग्रामों की सूची वर्ष 1971–72

क. सं.	गांव का नाम	तहसील	क. सं.	गांव का नाम	तहसील
1.	लवारी	बिलाड़ा	27.	सतलाना	,,
2.	गाड़लिया	,,	28.	लूनी छावनी	,,
3.	पाड़लसर खुर्द	,,	29.	नेतरा	,,
4.	गुजरवास	,,	30.	बावरी	,,
5.	उदलियावास	,,	31.	मांहिना कला	,,
6.	कलौना	,,	32.	गोपासरिया	ओसियां
7.	कूपड़ावास	,,	33.	कावला कलां	,,
8.	झक	,,	34.	कालवा खुर्द	,,
9.	बासनी खारिया	,,	35.	मनधाना	,,
10.	पालड़ी सिधान	,,	36.	घासियां	,,
11.	रावनियाना	,,	37.	घोवारा	,,
12.	पड़ासला कलां	,,	38.	बारो	,,
13.	खांगटा	,,	39.	दनवारा	,,
14.	बागोरिया	,,	40.	बिराई	शेरगढ़
15.	भोपालगढ़	,,	41.	खुडियाला	,,
16.	बासनी कपारड़ा	,,	42.	चिदवई	,,
17.	हीरादेसर	,,	43.	कुई इन्दा	,,
18.	घोरा	,,	44.	बालेस दुर्गावितान	,,
19.	गुंठा विश्नोइयान	जोधपुर	45.	उताम्बर	,,
20.	बारिया खुर्द	,,	46.	गोपालसर	,,
21.	पोपावास	,,	47.	वस्तवा	,,
22.	चांवड़ा	,,	48.	कुई जोधा	,,
23.	धुधाड़ा	,,	49.	बोलवा	,,
24.	लोलासनी	,,		वर्ष 1972–73	
25.	उछराना	,,	1.	बोरानाड़ा	जोधपुर
26.	ददिया	,,	2.	डोली	,,

148

क्र.सं.	ग्राम का नाम	तहसील	क्र. सं.	ग्राम का नाम	तहसील
3.	जानवर	जोधपुर	14.	खोड़ेचान	बिलाड़ा
4.	वासनी सिलावतान	,,	15.	ननान	,,
5.	कुरी	बिलाड़ा	16.	बिरानी	,,
6.	भारतिया कलां	,,	17.	कामावास	,,
7.	भारतिया खुर्द	,,	18.	हरिया	,,
8.	उस्तरान	,,			
9.	धाना मगरा	,,		वर्ष 1973–74	
10.	तिलवासनी	,,			
11.	सिल्लारी	,,	1.	जी. पासनी	उदयपुर
12.	आमका	,,	2.	नरनोदी	,,
13.	बान्द्रा	,,	3.	जालीवाड़ा खुर्द	बिलाड़ा

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 264 की सूची)

विराट नगर तहसील जयपुर जिला में लघु सिंचाई योजनाओं के सर्वेक्षण की स्थिति

(सिंचाई व लागत के आंकड़े प्रारम्भिक हैं)

(अ) जिन कार्यों का सर्वेक्षण हो चुका है एवं तखमीना बन रहा है।

क्र. सं.	योजना का नाम	अनुमानित लागत	अनुमानित सिंचाई	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	भागरू सिंचाई योजना	3.38 लाख	370 एकड़	तखमीना बनाया जा रहा है।
2.	छतरपुरा योजना	10.50 लाख	200 एकड़	तखमीना बना लिया गया है लेकिन भारी लागत के कारण इस योजना को स्थगित किया जा रहा है।
3.	शुक्लावास योजना	1.30 लाख	100 एकड़	योजना के तखमीने को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।
	(ब) जिन कार्यों का सर्वेक्षण चालू हैं।			
1.	झांझी योजना	5.00 लाख	100 एकड़	
2.	धूलकोट योजना	3.47 लाख	304 एकड़	योजना पर वर्तमान स्थान के एवजमें 1½ मील नीचे बेहतर स्थान पर सर्वे करायी जायेगी।
3.	लुहाकना योजना	1.96 लाख	116 एकड़	योजना के वेस्ट वियर का स्थान उपयुक्त न होने से इसका अतरिक्त सर्वेक्षण आवश्यक है एवं इसका प्रारूप बदला जा रहा है।

158

1	2	3	4	5
4.	बड़ी जोरी योजना	2.00 लाख	118 एकड़	इन योजनाओं के तखमीने के
5.	रामपुरा अम्तेला	1.63 लाख	80 एकड़	एतराजों की पूर्ती के लिए
6.	रघुनाथपुरा योजना	1.50 लाख	304 एकड़	आवश्यक सर्वेक्षण किया जा
7.	छापर योजना	3.00 लाख	168 एकड़	रहा है
	(स) जिन कार्यों का सर्वे शुरू करना हैं			
1.	भाई खेड़ी योजना	2.40 लाख	120 एकड़	
2.	माईवाड़ योजना	7.00 लाख	356 एकड	
3.	त्रिवेणी योजना	1.50 लाख	72 एकड़	
4.	देवन सिचाई योजना	—	—	

परिशिष्ट–15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 265 की सूची)

ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की नीम का थाना योजना में वर्ष 1975–76 में दिये गये कनेक्शन की ग्रामवार सूची :

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कनेक्शनों की संख्या
1.	चला	55
2.	मंडोली	31
3.	गोविन्दपुरा	22
4.	भागोट	22
5.	दयाल की नांगल	19
6.	नाया की नांगल	15
7.	मढावा	7
8.	ठीकरिया	4
9.	गांवली	4
10.	लावा की नांगल	4
11.	झालरा	3
12.	हरजनपुरा	3
13.	भाकड़ो	2
14.	बिहारीपुर	1
	योग	193

(152)

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 266 की सूची)

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD
STATEMENT SHOWING THE DISTRICT-WISE NUMBER OF SC/ST BASTIES ELECTRIFIED DURING THE PERIOD FROM JUNE, 75 TO FEB., 76 IN THE STATE OF RAJASTHAN

S. No.	Name of the District.	Basties As on 30-6-75	Electrified. 1-7-75 to Feb., 76.	Total as on Feb., 1976.
1.	Ajmer	108	1	109
2.	Alwar	14	—	14
3.	Banswara	35	19	54
4.	Barmer	49	—	49
5.	Bharatpur	21	—	21
6.	Bhilwara	49	43	92
7.	Bikaner	34	14	48
8.	Bundi	11	1	12
9.	Chittorgarh	15	3	18
10.	Churu	36	6	42
11.	Dungarpur	54	—	54
12.	Jaipur	128	14	142
13.	Jaisalmer	1	—	1
14.	Jalore	18	—	18
15.	Jhunjhunu	48	3	51
16.	Jhalawar	34	—	34
17.	Jodhpur	70	7	77
18.	Kota	70	—	70
19.	Nagaur	75	—	75
20.	Pali	75	5	80
21.	Sawaimadhopur	30	17	47
22.	Sikar	37	4	41
23.	Sirohi	22	—	22
24.	Sriganganagar	35	4	39
25.	Tonk	38	—	38
26.	Udaipur	66	—	66
	Total :	1173	141	1314

परिशिष्ट–17

(स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या 80 की सूची)

वर्ष 1971 से 1975 तक पुलिस सेवा में भर्ती किये गये लोगों की वर्ष वार एवं पदवार सूची

वर्ष	आर.पी.एस.	उपनिरीक्षक	पी.एस.आई.	कानिस्टेबिल
1971	2	60	12	1201
1972	7	–	–	687
1973	6	15	10	1755
1974	3	–	–	1579
1975	–	65	–	1633